लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit 18-8-92
Fumigated 15-9-84
On
Parliament Library

[खंड 14 में अंक 31 से 40 तक हैं
Vol. XIV Contains Nos. 31 to 40]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK-SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 36, बुधवार, 3 मई, 1972/13 वैशाख, 1894 (शक)

No. 36, Wednesday, May 3, 1972/Vaisakha 13, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
662. संकट ग्रस्त उद्योग	Sick Industries ..	1—5
664. त्रिचूर स्थित आकाशवाणी केन्द्र	Radio Station Trichur ..	5—6
665. टेलीविजन सैटों के निर्माण में वृद्धि	Increase in the Manufacture of T. V. Sets ..	6—8
668. बिजली की ऊंची दर का बिहार के औद्योगिक विकास पर प्रभाव	Effect of High Rate of Power on Industrial Development of Bihar ..	8—11
669. ठाकुर पेपर मिल्स, समस्तीपुर (बिहार) को पुनः चालू करना	Rehabilitation of Thakur Paper Mills Samastipur (Bihar) ..	11—14
672. बम्बई और कलकत्ता के लिए टेलीविजन केन्द्र	T. V. Stations for Bombay and Calcutta ..	14—15
673. भारत में सी० आई० ए० की गतिविधियां	Activities of C. I. A. in India ..	15—18
674. पंजाब में अकाली सरकार के भूतपूर्व मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच	Inquiry into the charges of corruption against former Ministers of Akali Government in Punjab ..	18—20
675. अम्बर चरखे के स्थान पर बिजली से चालित चरखा प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to Replace Ambar Charkha by a Power Driven Charkha ..	20
676. बम्बई मद्रास त्रिवेन्द्रम के बीच सूक्ष्म तरंग (माइक्रो वेव) प्रणाली	Micro wave System between Bombay-Madras-Trivandrum ..	21

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that member.

ता० प्र० संख्या
S. Q. Nos.

661.	परमाणु विज्ञान में अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Studies in Nuclear Science ..	21—22
663.	मैसर्स यूनियन कारबाइड द्वारा टार्चों का लाइसेंस क्षमता से अधिक उत्पादन	Production of Torches by M/s Union Carbide beyond licensed capacity ..	22
666.	कार बनाने वाली कम्पनियों के लिये लाभ की दर निश्चित करना	Fixation of Rate of Profit for Car Manufacturing Companies ..	23
667.	विज्ञान पुस्तकों के प्रकाशन के लिए राष्ट्रीय आयोग	National Commission for Production of Science Books ..	23
670.	कोटा के अणुशक्ति बिजलीघर में पाई गई त्रुटियां	Defects noticed in Kota Atomic Power Station ..	23—24
671.	राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को अपने कार्यक्रम कार्यान्वित करने में होने वाली कठिनाइयां	Difficulties experienced by National Laboratories in implementing their Programmes ..	24
677.	'अपना मीटर रखिए' योजना	"Own your Meter" Scheme ..	24
678.	चौथी योजना के दौरान हरियाणा में सरकारी क्षेत्र के कारखानों की स्थापना	Setting up of Public Sector Units in Haryana during Fourth Plan ..	25
679.	मंत्रालयों और विभागों की आन्तरिक प्रचार की व्यवस्था के बारे में अध्ययन दल	Study Team on Ministries and Departments Internal Publicity Set-ups ..	25
680.	आकाशवाणी और टेलीविजन पर राजनैतिक चर्चाएं	Political debates on A.I.R. and T.V. ..	26

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

4803.	नेपा नगर के प्रबन्धकों और श्रमिक संघों के बीच द्विपक्षीय करार	Bilateral Agreements entered into by Manager of Nepanagar with Labour Unions ..	26
4804.	चौथी योजना के दौरान अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कमी	Shortfalls in different Sectors of Economy during Fourth Plan ..	26—27
4806.	परमाणु विस्फोट	Nuclear Explosions ..	27

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4807. टाटा बन्धुओं को लाइसेंसों का जारी करना	Issue of Licences to Tatas ..	27—28
4808. मध्य प्रदेश में तीसरी और चौथी योजना के लघु उद्योग	Small Scale Industries in M. P. during Third and Fourth Plans	28
4809. ओरियेण्ट पेपर मिल, शहडोल (मध्य प्रदेश) का विस्तार	Expansion of Orient Paper Mill, Shahdol (M.P.) ..	28
4810. मध्य प्रदेश में लघु उद्योगों की स्थापना करने के लिये लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences for setting up of Small Scale Industries in M. P. ..	29
4811. मध्य प्रदेश में औद्योगिक संस्थान	Industrial Establishments in M. P.	29
4812. मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों से सहायता अनुदान के प्रार्थी	Applicants for Grant-in-Aid for Backward Areas of M. P.	29—30
4813. सस्ती दरों पर मनोरंजन देने के लिये सरकारी छवि गृहों की स्थापना	Setting up of Government Cinema Houses for providing Entertainment at Cheaper Rates ..	30
4814. संयुक्त परामर्शदाता संघ में शामिल होने के लिये आल इंडिया डिफेन्स इम्पलाईज फेडरेशन का निर्णय	All India Defence Employees Federation to join Joint Consultative Machinery ..	30—31
4815. अमरीका और अन्य यूरोपीय देशों में भारतीय वैज्ञानिक	Indian Scientists in U. S. A. and European Countries ..	31
4816. दिल्ली प्रशासन में चौबीस घंटे काम करने वाला शिकायत सैल	Round the Clock Complaints Cell in Delhi Administration ..	31—32
4817. आर्थिक सहयोग सम्बन्धी भारत श्रीलंका संयुक्त समिति	Indo-Ceylon Joint Committee on Economic Cooperation ..	32
4818. चौथी लोक सभा के संसद् सदस्यों पर बकाया टेलीफोन बिल	Uncollected Telephone Bills against M.Ps of 4th Lok Sabha ..	32—36
4819. फिल्म वित्त निगम के निदेशक मण्डल की बैठकें	Meetings of Directors of Board of Film Finance Corporation ..	36
4820. एक सरकारी कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु पर उसकी पत्नी को रोजगार देना	Providing Employment to the wife of a Government Servant in case of his Premature Death ..	36—37

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्रा० संख्या U. S. Q. Nos.			
4821. टेलीफोन ब्रांचों में इन्जीनियरिंग सुपरवाइजरों के पदों के लिए विज्ञान स्नातकों का चयन	Selection of B. Scs. for Engineering Supervisors in Telephone Branch	..	38
4822. लघु उद्योगपतियों को लाइसेंसों की डुप्लिकेट प्रति	Duplicate Copy of Licences to Small Industrialists	..	38
4823. भारतीय यूरेनियन निगम, जादुगुदा (बिहार) के जादुगुडा यूरेनियम कारखाने में मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ	Recognized Labour Unions in Jaduguda Uranium Plant of Uranium Corporation of India, Jaduguda (Bihar)	..	39
4824. भारत में जेलों में रखे गये बिहारी मुसलमान	Bihari Muslims kept in Jails in India	..	39
4826. शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शारीरिक प्रशिक्षण और सैद्धान्तिक कक्षाएं	R.S.S. Physical Training and ideological Classes in Educational Institutions	..	39—40
4827. मध्य प्रदेश में बिनौले की पेराई क्षमता को बढ़ाने की मांग	Demand for increase in Cotton Crushing Capacity in Madhya Pradesh	..	40
4828. बैकांक में एशिया और सुदूरपूर्व के लिए आर्थिक आयोग का सम्मेलन	E.C.A.F.E. Conference at Bangkok	..	40—41
4829. बेरोजगार वैज्ञानिक	Unemployed Scientists	..	42—43
4830. डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली में रह रहे अवकाश प्राप्त मेजर की गिरफ्तारी	Arrest of a Retired Major residing in Defence Colony, New Delhi	..	43
4831. बरेली में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र	Auto-Exchange at Bareilly	..	43—44
4832. केन्द्रीय सेवाओं के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की उप सचिव बने बिना संयुक्त सचिवों के पदों पर नियुक्ति	Appointment of Officers of Central Services Class I as joint Secretaries without being made Deputy Secretaries	..	44
4833. केन्द्रीय इंजीनियरी सेवाओं के अधिकारियों की संयुक्त सचिवों के पदों पर नियुक्ति	Appointment of Officers of Central Engineering Service as Joint Secretaries	..	44

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4834. गुजरात में उद्योगों के लिए निकास चैनल बनाने की योजना	Scheme for Constructing Disposal Channel for Industries in Gujarat ..	44—46
4835. भारत-बंगला देश चलचित्र समारोह	Indo-Bangla Desh Film Festival ..	46
4836. हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर, मद्रास के अनुसंधान विभाग द्वारा विकसित नये उत्पाद	Production of New Products Developed by R & D Deptt. af Hindustan Teleprinters, Madras	46
4837. बंगला देश के बारे में रेडियो प्रसारण के लिए आमंत्रित किये गये मुसलमान संसद् सदस्य	Muslim M.Ps Invited for Broadcasts on Bangla Desh ..	46—47
4839. भारतीय प्रशासनिक संघ के अधिकारियों की भूमिका के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को सचिवों की समिति द्वारा अस्वीकार किया जाना	ARCs recommendation on role of I.A.S. Officers turned down by the Committee of Secretaries	47
4840. भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 के सम्बन्ध में विधि आयोग की सिफारिशें	Law Commission recommendations on Indian Post Office Act, 1898 ..	47—48
4841. वर्तमान प्रशासनिक ढांचे का बदला जाना	Change in the Present Administrative Set up ..	48
4842. नेशनल इंडस्ट्रीयल डेवलमेंट कारपोरेशन लिमिटेड में कुप्रबन्ध	Mismanagement in N.I.D.C. Ltd.	48
4843. कछार के लिए प्रादेशिक भाषा (बंगाली) में मनीआर्डर फार्म	M. O. Forms in Regional Language (Bengali) for Cachar	48—49
4844. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कल्लमासैरी स्थित कारखाने में हड़ताल के कारण उसके उत्पादन पर प्रभाव	Effect of Strike on Production in Kalamassery Unit of H. M. T.	49
4845. भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं से पाकिस्तान से मुसलमानों की घुसपैठ	Infiltration of Muslims from across the Eastern and Western Borders of India ..	49
4847. सबिस्ता पुस्तक के प्रकाशकों के विरुद्ध जांच	Investigations against publishers of the Book 'SABISTA' ..	50

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4848. बिहार राज्य की आय को बढ़ाने के लिये किये गये उपाय	Measures adopted to increase the Income of Bihar State ..	50—51
4849. भारत में बिकने वाली श्रृंगार सामग्री	Toilet preparations sold in India	51
4850. बंगला देश को दर्शाने वाला नक्शा तैयार करना	Preparation of Map Indicating Bangla Desh ..	52
4851. रामपुर में देशीय ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Indigenous Tractors in Rampur ..	52
4852. सरकारी विभागों में 'कार्य दल' (टास्कफोर्स) की रचना	Creation of Task Forces in Government Departments ..	52—53
4853. बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ दरभंगा (बिहार) के हिसाब किताब में अनियमितताएं	Irregularities in the Accounts of Bihar Khadi Gramodyog Sangh, Darbhanga (Bihar) ..	53
4854. कार्यक्रम सामग्री (साफ्ट वेयर) के विकास के लिये संगणक व्यवस्था का आयात	Import of Computer System for Software Development ..	53—54
4855. खादी की वस्तुओं का निर्यात	Export of Khadi Goods ..	54
4856. हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड द्वारा किये गये निर्यात का कुल मूल्य	Total Value of Exports by Hindustan Teleprinters Limited ..	54—55
4857. लघु उद्योग को सहायता	Aid to Small Scale Industries ..	55
4858. कुटीर उद्योगों द्वारा वस्तुओं का निर्यात	Export of Goods by Cottage Industries ..	55
4859. लघु उद्योगों के उत्पादन के निर्यात में कमी	Lack of Export from Small Scale Industries ..	56
4860. केन्द्रीय सूचना सेवा के तदर्थ चतुर्थ ग्रेड पदों पर कर्मचारियों का खपाया जाना	Absorption of ad hoc Staff against Grade IV Posts of C. I. S. ..	56
4861. बिड़ला उद्योग समूह द्वारा लाइसेंसों का उपयोग	Utilisation of Licences by Birla Group of Industries ..	56—57
4862. बेरोजगारी दूर करने के लिये बिहार द्वारा मांगी गयी वित्तीय सहायता	Financial Assistance sought by Bihar to remove Unemployment ..	57

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4863. एच० एम० टी० कारखाने में "जवाहर रिस्ट वाच" का उत्पादन	Production of 'Jawahar Wrist Watch' in H.M.T. ..	57—58
4864. पिछड़े क्षेत्रों में स्कूटर बनाने के लिये लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences for Manufacture of Scooters in Backward Areas ..	58
4865. केन्द्रीय मन्त्रियों की सम्पत्तियां	Properties owned by Union Ministers ..	58
4866. भारत सरकार के अधिकारियों के पास सम्पत्ति	Properties owned by Officers of Government of India ..	59
4867. एकाधिकार आयोग द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों के कारण औद्योगिक प्रगति में बाधा	Set back of Industrial Growth due to Restrictions imposed by Monopolies Commission	59—60
4868. भारतीय साम्यवादी दल का इतिहास (हिस्ट्री आफ कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया)	History of Communist Party of India ..	60—61
4869. आरक्षित स्थानों पर नियुक्त किये गये सेवामुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों की तुलना में अनारक्षित पदों पर नियुक्त ऐसे अधिकारियों को सेवा लाभों से वंचित रखना	Denial of Benefits to released E. Co's Appointed in Unreserved Posts as against those appointed in Reserved Vacancies	61
4870. केन्द्रीय सरकार की सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में सुरक्षात्मक जांच पड़ताल का स्वरूप	Nature of Security Checks on Central Government Service Recruits ..	62
4871. केन्द्रीय सरकार की सेवा के लिये केरल से चुने गये प्रत्याशियों के सम्बन्ध में सुरक्षा सम्बन्धी अतिरिक्त जांच	Additional Security Check on Candidates selected for Central Government Services from Kerala ..	63
4872. केरल के शहरों में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के क्वार्टर	P & T Department Staff Quarters in Kerala Towns ..	63
4873. हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी जिलों में डाक वितरण के लिये हैलीकोप्टर की सेवा	Helicopter Mail Service in Hilly Districts of Himachal Pradesh ..	64

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
4874. डा० सारा भाई की मृत्यु की जांच	Investigation into the Death of Dr. Sarabhai	..	64
4875. बिहार में घटती हुई औसत आय	Decreasing Average Annual Income in Bihar	..	64
4876. पश्चिम बंगाल राज्य पुनः नामकरण	Renaming of the State of West Bengal	..	64—65
4877. बिहार खादी कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल	Strike by Bihar Khadi Karamchari Sangh	..	65
4878. क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं तथा अन्य परियोजनाओं के लिये पृथक रखी गई धन राशि का उपयोग न किया जाना	Non-Utilisation of Money set apart for New Regional Laboratories and other Projects	..	65
4879. अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन	Evaluation of Research and Development Projects	..	66
4880. मेनका राकेट	Menaka Rocket	..	66—67
4882. वर्ष 1971 के दौरान जारी किए गए लाइसेंसों का उपयोग	Utilisation of Licences Issued during 1971	..	67
4883. मध्य प्रदेश में टेलीफोन सुविधाओं की मांग	Demand for Telephone Facilities in Madhya Pradesh	..	67—68
4884. पासपोर्ट या बीजा की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी भारत में रहने वाले विदेशी	Foreigners Overstaying in India		68
4885. भारत पाक युद्ध के दौरान सरकार की राजनैतिक दलों का सहयोग	Political Parties Cooperation to Government during Indo-Pak war		68
4886. स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन पर किया जा रहा व्यय	Amount being Incurred on Pension of Freedom Fighters	..	68—69
4887. चौथी योजना में मैसूर के पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना	Setting up of Small Scale Industries in Backward Areas of Mysore during Fourth Plan	..	69—70
4890. आन्ध्र प्रदेश में चित्तूर के आस पास छोटे स्वचालित एक्सचेंजों का चित्तूर एक्सचेंज के स्थानीय सीमा क्षेत्र के अंदर आने वाले एक्सचेंजों के रूप में वर्गीकरण	Classification of Small Auto Exchanges around Chittor, Andhra Pradesh as local area of Chittor Exchange	..	70

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4891. समाचार पत्र वित्त निगम स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to Establish Newspaper Finance Corporation ..	70
4892. बेरोजगारी की समस्या के हल के लिये प्रस्ताव	Proposal for Tackling Problem of Unemployment	70—71
4893. वर्ष 1971 के दौरान उद्योगों को स्थापित करने के लिये विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration agreements for Setting up industries during 1971 ..	71
4894. देश में डाक तथा तार विभाग की नई कालोनियों का निर्माण	Raising of New P & T Colonies in the country ..	71
4895. विभिन्न संगठनों में भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित मानकों को अपनाया जाना	Adoption of Standards formulated by I.S.I. in various organisations	71—72
4896. पीलीभीत डाकघर भवन का पुनः निर्माण	Reconstruction of Pilibhit Post Office Building	72
4897. भारतीय प्रशासनिक सेवा का गिरता हुआ स्तर	Falling standards of I.A.S. ..	72
4898. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक की विदेश यात्राएं	Foreign tours of managing director of N.I.D.C. Limited ..	73—74
4900. औद्योगिक विकास परामर्शदाताओं को मान्यता देने के लिये विधान	Legislation for recognition of Industrial Development Consultants ..	74
4901. सभी लोगों के लिये रोजगार की व्यवस्था	Self Sufficiency in Employment ..	74
4902. पंजाब राजस्थान सीमा पर पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी	Arrest of Pak Spies on Punjab Rajasthan Border ..	75
4903. 60 वर्ष की आयु में स्टाफ आर्टिस्टों की टाप 'ए' कलाकारों की श्रेणी में पदोन्नति	Promotion of Staff artistes to Top 'A' Artistes at 60 years of age ..	75
4904. टेलीविजन कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण की योजना	Large scale training Scheme of TV personnel ..	75—76
4905. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों की मांगें	Demands of employees of K.V.I.C. ..	76

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4907. विभिन्न क्षेत्रों में गुजरात राज्य की प्रगति	Progress made by Gujarat State in different fields ..	76—77
4908. मध्य प्रदेश के लिये योजना संबंधी नियतन में वृद्धि	Increase in plan allocaticns for M.P. ..	77
4909. प्रशासन में भ्रष्टाचार के बारे में केन्द्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट	Central Vigilance Commissions report on Corruption in Administration ..	77—78
4910. नेपाल से लगे हुए बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल का तैनात किया जाना	Stationing of B.S.F. in border areas of Bihar adjoining Nepal	78
4911. दिल्ली के टेलीफोन एक्सचेंजों से नये कनेक्शन देने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के दौरान कुछ पार्टियों को टेलीफोन देना	Telephone Connections provided to Parties in Delhi during frozen period of Telephone Exchanges	78
4912. शिकायत आयुक्त और सतर्कता आयुक्त के कार्यालय का विलय	Merger of office of Grievances Commissioner and Vigilance Commissioner	79
4913. उड़ीसा के बालासोर और मयूरभंज जिलों के लिए पृथक डाक प्रभाग	Separate Postal Division for Balasore and Mayurbhanj District, Orissa	79
4914. नागालैण्ड से सशस्त्र सेना (विशेष शक्ति) विनियम सं० 2-1968 का वापिस लिया जाना	Withdrawal of Armed Forces (Special Power) Regulation No. 2-1968 from Nagaland ..	79—80
4915. समाचार पत्रों पर 10 पृष्ठ की अधिकतम सीमा के बारे में अखबारी कागज सम्बन्धी सलाहकार समिति के विचार	Newsprint Advisory Committee views on 10 page ceiling on newspapers	80
4916. बिहार में निजी क्षेत्र में स्कूटर कारखाना स्थापित करने के लिए आवेदन पत्र	Application for setting up of Scooter factory in Private Sector in Bihar ..	80
4917. बिहार सर्किल में डाक तार कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	P & T Employees quarters in Bihar Circle ..	81
4918. बिहार सर्किल में डाक तार कार्यालय किराये की इमारत में	P & T offices in Bihar circle in rented buildings	81

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.			
4919. पटना में डाक तार क्वार्टरों और इमारतों का रखरखाव	Maintenance of P & T quarters and buildings at Patna	..	82
4920. डाकूग्रस्त क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण	Construction of roads in dacoit infested areas	..	82
4921. आकाशवाणी केन्द्र, इन्दौर का विस्तार	Expansion of Indore A. I. R.		83
4923. देश से गरीबी का उन्मूलन	Removal of Poverty from the Country		83
4924. टेलीविजन पर रंगीन चित्र	Coloured Pictures on T. V.	..	83—84
4925. पश्चिम बंगाल से लाइसेंसों के के लिए आवेदन पत्र	Applications from West Bengal for Licences		84
4926. भारत के स्वतन्त्रता संघर्ष पर पूरी फिल्म	Full length Film on struggle for Indian Freedom		84
4927. रबड़ निर्माण उद्योग की उत्पादन क्षमता	Production capacity of Rubber Manufacturing Industry	..	84—85
4928. बिहार के दरभंगा जिले में डाक तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	P & T Staff Quarters in District Darbhanga, Bihar		85
4929. खादी उद्योग को ऋण तथा अनुदान	Loans and Grants to Khadi Industry	..	85—86
4930. लघु उद्योगों के लिये कच्चे माल का आयात	Import of Raw Materials for Small Scale Industries		86
4931. दक्षिण पूर्व संसाधन क्षेत्र के लिये क्षेत्रीय विकास योजना	Regional Development Plan for South East Resource Region	..	86—87
4832. दविण पूर्व संसाधन क्षेत्र के लिये क्षेत्रीय विकास योजना	Regional Development Plan for South East Resource Region	..	87—88
4933. विदेशी सहयोग समझौते	Foreign Collaboration Agreements	..	88
4934. परमाणु ऊर्जा विभाग का पुनर्गठन	Reorganisation of Atomic Energy Commission	..	88—89
4935. डाक तार विभाग के विभागेतर कर्मचारियों के बारे में मदन किशोर समिति	Madan Kishore Committee on Extra Departmental Employees of P & T Department	..	89

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्रा० संख्या U. S. Q. Nos.		
4936. डाक तार विभाग के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार	Improvement in Service Conditions of Extra Departmental Employees of P & T Department ..	89
4937 कच्चे माल के उपयोग के लिये भारत श्रीलंका संयुक्त उद्यम की स्थापना	Setting up of Indo Ceylon Joint Ventures for Utilisation of Raw Materials	90
4938. विदेशों से भारतीय वैज्ञानिकों और टेक्नोलोजिस्टों को आकर्षित करने के लिए पैकेज योजना	Package Scheme to attract Indian Scientists and Technologists working Abroad	90—91
4939. कलपक्कम परमाणु परियोजना	Kalpakkam Atomic Power Project	91
4940. 1972-73 के लिए राज्यों की वार्षिक विकास योजनाएं	Annual Development Plans for States for 1972-73	91
4941. कोयम्बतूर में 'तमिलनाडु फार तमिलियन्स' पोस्टर और नारे	Placards and Slogans "Tamil Nadu for Tamilians" appearing in Coimbatore ..	92
4942. दक्षिण क्षेत्र के फिल्म उद्योग में चलचित्र वित्त निगम द्वारा पूंजी विनियोजन	Film Finance Corporation investment in Film Industry in South ..	92
4943. चलचित्र वित्त निगम का मद्रास में कार्यालय का खोला जाना	Opening of Office of Film Finance Corporation at Madras	92
4944. मद्रास में टेलीविजन केन्द्र	T. V. Centre in Madras	93
4945. आकाशवाणी कार्यालयों में परिवहन सुविधाएं	Transport facilities in A. I. R. Offices	93
4946. विविध भारती के लिये दक्षिण भारतीय फिल्मी गानों का चयन	Selection of South Indian Film Songs for Vividh Bharati ..	93—94
4947. संघ लोकसेवा आयोग तथा अन्य सरकारी उपक्रमों की भर्ती सम्बन्धी नीति में परिवर्तन	Change in the Recruitment Policy of UPSC and other Public Undertakings ..	94
4948. चीन द्वारा परमाणु विस्फोटों के कारण भारत के ऊपर विकिरण में वृद्धि	Increase in Radiation over India due to Nuclear Explosions by China ..	94—95
4949. फिल्म वित्त निगम द्वारा वित्तीय सहायता	Film Finance Corporation's Financial Assistance ..	95—96

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

4950. जयपुर में सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा वाले डाकघरों की संख्या	Number of Post Office in Jaipur with P. C. O. Facilities	96
4951. उपभोक्ताओं से बकाया टेलीफोन बिल	Outstanding Telephone Bills from Subscribers ..	96—97
4952. उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन	PCOs attached to Post Offices in Bareily U. P. ..	97
4953. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में संगठन और पद्धति एककों की पुनः सक्रियता	Reactivising of O & M Units in different Ministries/Departments ..	97—98
4954. केन्द्र तथा राज्यों की सेवाओं में पिछड़े वर्गों को दिया गया प्रतिनिधित्व	Representation given to Backward Classes in Central and State Service ..	98—99
4955. संगीत और नाटक विभाग के सेवामुक्त कलाकारों को सुविधाएं	Facilities to relieved Song and Drama Division Artistes	99
4956. टेलीफोन केन्द्र, अगरतला, त्रिपुरा	Telephone Exchange, Agartala, Tripura ..	99—100
4957. भारत-जर्मनी का अन्य देशों में संयुक्त उद्यम	Indo-German Joint Ventures in Third Countries ..	100
4958. ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन में महा प्रबन्धक की नियुक्ति	Appointment of General Manager, British India Corporation	100
4959. अप्रैल, 1972 में डाकुओं द्वारा किया गया आत्म समर्पण	Surrender by Dacoits during April 1972 ..	101—101
4960. संसद् सदस्यों के ऊपर बकाया टेलीफोन बिल	M. Ps. Outstanding Telephone Bills ..	101
4961. उद्योगों की स्थापना के लिए राज्यों को अधिकार	Powers to States for Setting up Industries	101
4962. तमिलनाडु में कच्चे माल की कमी	Shortage of Raw Materials in Tamil Nadu	102
4963. संविधान की समवर्ती और राज्य सूचियों का संशोधन	Modification of Concurrent and State Lists in the Constitution ..	102
4964. समुद्र विज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान में कार्यरत एजेन्सियों में ताल-मेल	Coordination among the Agencies engaged in Oceanographic Research ..	102—103

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		

4965. दिल्ली टेलीफोन के अन्तर्गत टेस्ट काल आपरेटरों की श्रेणी तीन के कर्मचारियों के रूप में खपाना	Absorption of Test Call Operators under Delhi Telephones as Class III Employees	103—104
4966. पश्चिम बंगाल में सीमेंट की कमी	Shortage of Cement in West Bengal	104
4968. बंगला देश के लिये नमक के उत्पादन में वृद्धि	Increase in production of Salt for Bangla Desh ..	104—105
4969. मनीला में अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के बोर्ड की बैठक	Meeting of the Board of International Rice Research Institute at Manila ..	105
4970. केरल में बागानों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Plantations in Kerala ..	105—106
4971. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा प्रोटोटाइप उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र ओखला के कर्मचारियों की मांग	Demands of Employees in N. S. I. C. and P. P. T. C. Okhla ..	106—107
4972. रायलसीमा के लिए क्षेत्रीय विकास योजना	Regional Development Plan for Rayalseema	107
4973. बेरोजगार व्यक्तियों को सहायता देने के लिये योजना आयोग द्वारा की गई सिफारिशें	Recommendations made by Planning Commission to help unemployed persons	107
4974. आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने के अधिनियम के अधीन राज्यों में व्यक्तियों की गिरफ्तारी	Arrest of persons under maintenance of Internal Security Act in States ..	107—108
4975. संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की मांगें	Demands of Class IV employees ef Union Territory of Chandigarh ..	108
4976. दिल्ली नगर निगम में सहायक इंजीनियरों की नियुक्ति	Appointment of Assistant Engineers in Delhi Municipal Corporation	108—109
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
एयर फ्रांस के पदाधिकारियों द्वारा भारतीय यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने का समाचार	Reported Maltreatment of Indian Passengers by Air France Officials ..	109—113

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री बी० के० दास चौधरी	Shri B. K. Das Choudhury	..109, 110-111
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh	109—113
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table ..	113
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	113
13 वां प्रतिवेदन	Thirteenth Report	113
नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter Under Rule 377	114
आवड़ी स्थित भारी मोटर गाड़ी फैक्टरी में ताला बन्दी	Lock-out in Heavey Vehicles Factory at Avadi	114
सदस्य के निलम्बन की समाप्ति	Termination of Suspension of Member	115—118
(श्री हुकमचन्द कछवाय)	(Shri Hukam Chand Kachwai)	115—118
अनुदानों की मांगें, 1972-73	Demands for Grants, 1972-73	118—149
श्रम और पुनर्वास मंत्रालय	Ministry of Labour and Rehabilitation ..	118—136
श्री बालगोविन्द वर्मा	Shri Balgovind Verma	118
श्री प्रसन्नभाई मेहता	Shri P. M. Mehta	120
श्री रामनारायण शर्मा	Shri R. N. Sharma ..	120—121
श्री हुकमचन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	121—122
श्री दामोदर पांडे	Shri Damodar Pandey ..	122—123
श्री धनशाह प्रधान	Shri Dhan Shah Pradhan ..	123—124
श्री आर० वी० स्वामीनाथन	Shri R. V. Swaminathan ..	124—125
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	125—126
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव	Shri R. P. Yadav ..	126
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya	126—127
श्री सी० एम० स्टीफेन	Shri C. M. Stephen ..	127—128
श्री एस० बी० गिरि	Shri S. B. Giri ..	128—129
श्री आर० के० खाडिलकर	Shri R. K. Khadilkar ..	129—135
इस्पात और खान मन्त्रालय	Ministry of Steel and Mines ..	136—149
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharyya ..	136—139
श्री स्वर्ण सिंह सोखी	Shri Swaran Singh Sokhi ..	139—140

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
श्री पी० गंगादेव	Shri P. Gangadeb	..	145
श्री डी० के० पण्डा	Shri D. K. Panda	..	145—146
श्री राम नारायण शर्मा	Shri R. N. Sharma	..	147
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty	..	147—148
श्री पी० आर० शिनाय	Shri P. R. Shenoy		149
श्री दामोदर पांडे	Shri Damodar Pandey	..	149

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 3 मई, 1972/13 वैशाख, 1894 (शक)

Wednesday, May 3, 1972/Vaisakha 13, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

प्रश्न संख्या 661 के बारे में
Re: Q. 661

अध्यक्ष महोदय : श्री एस० एन० मिश्र अनुपस्थित हैं। इस प्रश्न में माननीय सदस्य ने कुछ जानकारी मांगी थी और यह जानकारी 50-60 पृष्ठों में है। हम हिसाब लगा रहे थे कि प्रत्येक प्रश्न पर कम से कम 3-4,000 रुपये खर्च होते हैं और उनकी छपाई पर लगभग 10-15,000 रुपये खर्च होते हैं। यह बड़े दुःख की बात है कि माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं। अगला प्रश्न।

संकट ग्रस्त उद्योग

*662. **श्री निहार लास्कर** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संकट ग्रस्त उद्योगों की दशा में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार सभी ऐसी मिलों का नए सिरे से पुनर्निर्माण करने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य है औद्योगिक उत्पादन में निरन्तर वृद्धि बनाए रखना। सरकार यह मानती है कि संकट ग्रस्त व बन्द पड़े उपक्रम एक ऐसी आतंकमयी बीमारी है जिसका उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अतएव, इसे प्रभावशाली ढंग से रोकना आवश्यक है व सरकार निम्न-लिखित रूप से इसका समाधान कर रही है :—

(1) विदेश व्यापार मंत्रालय के अन्तर्गत सरकार ने नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन की स्थापना की है जो उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अनुसार संकटग्रस्त व बंद पड़े उपक्रमों की अधिग्रहीत कर उनका कार बार चलाता है। यह कम्पनी 1968 में निगमित की गई वह अप्रैल 1972 के मध्य तक देश के 45 टेक्सटाइल एककों का प्रबन्ध इसने उन एककों का आधुनिकी–करण करने, पुनः बसाने तथा नवनिर्माण करने की दृष्टि से, अपने हाथ में लिया है।

(2) सरकार ने औद्योगिक एककों को शीघ्र हाथ में लेने की दृष्टि से हाल ही में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम का संशोधन किया है (प्रभावी 1 जनवरी 1972 से) जिससे उन संकटग्रस्त व बन्द पड़े एककों की जिनमें उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है अथवा जिनमें कुप्रबन्ध है उनकी जांच करने हेतु अधिक शक्तियां प्रदान की जा सकें। स्वयं इन शक्तियों के मिलने से ही कारखानों के गलत तरीकों से बन्द हो जाने पर एक निवारक असर पड़ा है।

(3) औद्योगिक विकास मंत्रालय में अलग से एक प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है, जिससे :—

(क) जांच पड़ताल में समन्वय लाया जा सके व उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई प्रक्रियाएं आगे बढ़ाई जा सकें ताकि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जिन मामलों की समीक्षा की गई है अथवा जिनमें जांच पड़ताल की गई है उन पर सरकार शीघ्रतापूर्वक निर्णय ले सके।

(ख) कम्पनी मामलों तथा बैंकिंग विभाग तथा तकनीकी विकास के महानिदेशक के परामर्श से औद्योगिक एककों के सुचारु रूप से चलने का निरन्तर पुनरीक्षण किया जा सके।

(4) इंडस्ट्रियल रिकन्सट्रक्शन कारपोरेशन आफ इंडिया, लिमिटेड, कलकत्ता के कार्यक्षेत्र को अधिकाधिक व्यापक बनाया गया है ताकि संकटग्रस्त व बंद पड़े एककों को विशेषकर पश्चिम बंगाल में, उनके पुनर्निर्माण में आर्थिक सहायता पहुंचायी जा सके। यद्यपि इस निगम का कार्य प्रारम्भ हुए अभी एक ही वर्ष हुआ है इसने 21 अप्रैल, 1972 तक 44 एककों को (इनमें से 43 पश्चिम बंगाल के हैं) 6.59 करोड़ रुपये की पुनर्निर्माण सहायता दी है जिसमें से 1.86 करोड़ रुपये बांटे जा चुके हैं। और भी इस अवधि में निगम ने अन्य बैंकों के माध्यम से 4.45 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की व्यवस्था की है। इन 44 एककों में 35,077 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।

(5) विभिन्न टेक्सटाइल व नान टेक्सटाइल यूनिटों को भी सरकार ने क्रमशः 11.614 करोड़ व 7.01 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता पहुंचाने की व्यवस्था की है।

(6) सरकार, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत हाथ में लिये गये नान

टेक्सटाइल क्षेत्र के संकटग्रस्त औद्योगिक एककों का प्रबन्ध करने हेतु एक सरकारी क्षेत्र के निगम की स्थापना के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है। इस विषय में अभी खोज बीन ही हो रही है।

जबकि सरकार इस बात के लिये उत्सुक है कि किसी उपयोगी औद्योगिक एकक के बंद करने की अनुमति न दी जाये, स्पष्ट है कि अर्थ और प्रबन्ध सम्बन्धी संसाधनों की बाधाएं और उपस्थित होती हैं और आर्थिक समृद्धि व योग्यताओं के बावजूद संभवतः सरकार सभी बंद हुए एककों को हाथ में नहीं ले सकती। आवश्यक रूप से सरकार को चुनाव का मार्ग अपनाना पड़ता है और वहीं 'हाथ में लेने' की बात चरितार्थ हो सकती है जो अत्यावाश्यक सार्वजनिक हितों के अनुकूल होती है।

श्री निहार लास्कर : मैं इस सम्बन्ध में यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जब संकट ग्रस्त मिलें बन्द हो जाती हैं तो इससे हजारों श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं। मंत्री महोदय ने विवरण के पृष्ठ 3 में कहा है कि सरकार नान-टेक्सटाइल क्षेत्र के संकटग्रस्त औद्योगिक एककों का प्रबन्ध करने हेतु एक सरकारी क्षेत्र के निगम की स्थापना करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है। इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : यह मामला सचिवों की एक समिति को भेजे गये कुछ ब्यौरे की जांच पड़ताल करने के लिये सरकार के विचाराधीन है और मुझे पता चला है कि वे शीघ्र अपना निर्णय करेंगे। सरकार इस मामले की जांच करके निर्णय करेगी।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : पश्चिम बंगाल के लिये अब तक कोई कपड़ा निगम नहीं बनाया गया है। वहां लगभग 20 कपड़ा मिलें बन्द हैं। इन बन्द मिलों के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : किसी राज्य विशेष के लिये कोई अलग निगम स्थापित नहीं किया गया है। समस्त देश के लिये एक निगम बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में बन्द कपड़ा मिलों की वास्तविक स्थिति यह है कि दिसम्बर, 1971 के अन्त में 12 कपड़ा मिलें, जिनमें 13,372 श्रमिक काम कर रहे थे और एक विद्युतचालित करघा जिसमें 538 श्रमिक कार्य करते थे, बन्द पड़े थे। शेष कपड़ा मिलें समाप्त करने योग्य हैं और उन्हें पुनः नहीं खोला जा सकता। इनमें से 4 मिलों को हमने अपने नियंत्रण में ले लिया है। 4 मामलों में जांच के आदेश दिये गये थे और प्रतिवेदनों की प्रतीक्षा की जा रही है। एक अन्य मामले का प्रतिवेदन मिल गया है और वह सरकार के विचाराधीन है। एक मामले में प्रतिवेदन मिल गया था और इस पर विचार करने के बाद यह निर्णय किया गया था कि सरकार उसको अपने नियंत्रण में नहीं ले सकती। एक अन्य मामले में राज्य सरकार के माध्यम से सर्वेक्षण किया जा रहा है। शेष दो मामलों में से एक के परिसमापन का मामला उच्चन्यायालय में चल रहा है और दूसरा कारखाना बन्द हो गया है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या पंजाब सरकार ने अमृतसर स्थित हेमला एम्ब्राइड्री मिल्स को अपने नियंत्रण में लेने की सिफारिश की है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : बिना पूर्व सूचना के मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : कुल कपड़ा उत्पादन में इन संकटग्रस्त मिलों का योगदान कितना है ?

अध्यक्ष महोदय : यह अलग प्रश्न है और इसके लिए पूर्व सूचना दी जानी चाहिए क्योंकि इसमें काफी जानकारी एकत्र करनी पड़ेगी ।

Shri Achal Singh : May I know the names of the sick Mills in Uttar Pradesh and steps are being taken to improve their condition ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : उत्तर प्रदेश में संकटग्रस्त मिलों की संख्या 24 है जिनमें 4357 श्रमिक काम कर रहे हैं । उनके नाम आदि के ब्योरे के बारे में मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री एस० बी० गिरि : क्या यह सच है दो महीने पूर्व एलकाक एण्ड एशडाऊन इंजीनियरिंग फर्म को बन्द कर दिया गया है और यदि हां तो क्या सरकार बेरोजगारी की समस्या को ध्यान में रखते हुए इसका नियंत्रण अपने हाथों में लेने के लिये तैयार है ?

अध्यक्ष महोदय : मिलों की संख्या बहुत अधिक है । यह एक सामान्य प्रश्न है :

"(क) संकटग्रस्त उद्योगों की दशा में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार सभी ऐसी मिलों का नये सिरे से पुनर्निर्माण करने का है ?"

आप विशिष्ट मिलों के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं ।

श्री सुबोध हंसदा : प्रस्तुत विवरण में पता चलता है कि औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने 44 एककों को सहायता दी है और इनमें से 43 उद्योग पश्चिम बंगाल में स्थित हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि इनमें से कितने एकक लघु एककों की कोटि में आते हैं ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : सामान्यत: निगम बड़े बड़े एककों को ऋण देता है । यदि उन्होंने कुछ लघु एककों को ऋण दिया है तो मैं इस सम्बन्ध में अभी कोई जानकारी नहीं दे सकता ।

श्री प्रबोध चन्द्र : क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि इन संकटग्रस्त मिलों को अपने नियंत्रण में लेना अकुशलता को प्रोत्साहन देना है और क्या सरकार को इस बात का भी पता चला है कि सरकार द्वारा हाथ में ली जाने वाली मिलें अपने काल्पनिक ऋण बता देती हैं ताकि सरकार उन सभी ऋणों का भुगतान कर दे ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : यह ठीक है कि यदि बिना पूरी जांच किये हम किसी मिल को अपने नियंत्रण में लेंगे तो इसका अर्थ कुप्रबन्ध को प्रोत्साहन देना होगा । इसीलिए उसमें जांच करने की व्यवस्था है । यदि कोई असाधारण मामला हो तो वह अलग बात है । इसलिये सरकार प्रत्येक मामले के आर्थिक पहलू पर विचार करती है और ऋणों आदि के स्वरूप की भी जांच करती है । ऐसी कई मिलें बन्द पड़ी हैं जिन्हें हमने अपने नियंत्रण में नहीं लिया है क्योंकि हमने महसूस किया कि ऐसा करने से राष्ट्र पर अनुचित देयताओं का बोझ पड़ेगा ।

श्री समर गुह : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में पश्चिम बंगाल में केवल कपड़ा मिलें बन्द होने

का उल्लेख किया है। परन्तु यह प्रश्न संकटग्रस्त सभी उद्योगों से सम्बन्धित है। क्या यह सच नहीं है कि हावड़ा जिले और पश्चिम बंगाल के अन्य भागों में कांच के कारखाने और इन्जीनियरी उपक्रमों जैसे कई कारखाने बन्द पड़े हैं या संकटग्रस्त हैं? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और उन्हें पुनः खोलने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री मोइनुल हक चौधरी : माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। बन्द मिलें केवल कपड़ा मिलें ही नहीं हैं बल्कि अन्य मिलें भी हैं, परन्तु यह प्रश्न कपड़ा मिलों से सम्बन्धित है। 1-4-1971 को पश्चिम बंगाल में 336 कपड़ा मिलें तथा अन्य मिलें बन्द थीं। 31 दिसम्बर, 1971 तक उनमें से 88 मिलें पुनः खोली गयीं और इसलिए अब उनकी संख्या 232 रह गई है। मिलों के पुनः खोले जाने से 27,920 व्यक्तियों को रोजगार मिला है। 3-4-1972 को बन्द मिलों की संख्या 161 रह गई थी जिसका अर्थ यह है कि 71 और मिलें खोली गई थीं जिससे लगभग 13,000 लोगों को रोजगार मिला था। अतः हम अपनी कोशिश निरन्तर कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि 1-1-1971 से 18-4-1971 तक हमने 7 नान-टेक्सटाइल मिलों की जांच की थी।

श्री मनोरंजन हाजरा : राष्ट्रीय कपड़ा निगम और औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने कितनी कितनी कपड़ा मिलों को अपने हाथ में लिया है?

श्री मोइनुल हक चौधरी : औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने कितनी मिलों को अपने हाथ में लिया है उसके मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। कपड़ा निगम ने अब तक 45 कपड़ा मिलों को अपने हाथ में लिया है।

श्री पी० वेंकट सुब्बया : क्या सरकार का विचार वर्गीकृत पिछड़े क्षेत्रों में कुछ संकटग्रस्त उद्योगों को अपने नियंत्रण में लेने का है, यद्यपि कुछ उद्योग चलाये गये हैं परन्तु उनका कार्य संतोष-जनक नहीं है? यदि हां, तो क्या वर्गीकृत पिछड़े क्षेत्रों में स्थित उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया जायेगा?

श्री मोइनुल हक चौधरी : जब हम बन्द मिलों के बारे में विचार करते हैं तब हम पिछड़े तथा अन्य क्षेत्रों के बीच कोई भेदभाव नहीं करते। परन्तु जब हम अन्तिम निर्णय करते हैं तब उस क्षेत्र के पिछड़ेपन को भी ध्यान में रखते हैं।

त्रिचूर स्थित आकाशवाणी केन्द्र

*664. **श्री सी० जनार्दनन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार त्रिचूर स्थित आकाशवाणी केन्द्र का वर्तमान दर्जा बढ़ाकर उसको एक स्वतन्त्र प्रसारण केन्द्र बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, हां।

(ख) सितम्बर, 1972।

श्री सी० जनार्दनन : धन्यवाद, मुझे कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछना है।

श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले : क्या सरकार का विचार दक्षिण भारत में सबसे अधिक शक्तिशाली केन्द्र एल्लीपी आकाशवाणी केन्द्र का दर्जा बढ़ाने का है ?

अध्यक्ष महोदय : वह त्रिचूर से एल्लीपी पहुंच गये हैं।

श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले : त्रिचूर के सभी कार्यक्रम एल्लीपी आकाशवाणी केन्द्र से रिले किये जाते हैं, इसलिये यह सम्बन्धित प्रश्न हैं।

श्रीमती नन्दिनी सतपथी : एल्लीपी में 100 किलोवाट का मीडियम वेव का ट्रांसमीटर है। यदि त्रिचूर केन्द्र को अधिक मजबूत बनाया गया तो स्वभावतः कार्यक्रम को अधिक दूर तक और केरल के अधिकांश भाग में सुना जा सकेगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या आकाशवाणी का एल्लीपी केन्द्र खराब है ?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न के साथ, जो त्रिचूर केन्द्र के बारे में था, कोई सम्बन्ध नहीं है।

Increase in the Manufacture of T. V. Sets

***665. Dr. Sankata Prasad** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government propose to increase the manufacture of Television sets ;

(b) if so, whether Government have issued any orders to the Company concerned, for the purpose ; and

(c) if so, the name of the Company and the number of Television sets to be manufactured by it ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : (a) Yes. The sanctioned capacity has been increased from 40,000 TV sets per annum to 2,28,000 sets per annum.

(b) and (c). The names of Public and Private Sector units in the organised sector to whom industrial licences/letters of intent have been issued for the manufacture of TV sets along with the number of sets are listed in the table below. In addition to the capacity of 1,10,000 sets allotted to these units, a capacity of 1,18,000 sets has been authorised to 45 units in the small scale sector.

S. No.	Name of Private Sector and Public Sector Units in the organised sector	Capacity for TV sets already licensed	New Capacity for TV sets for which Letters of intent issued
1.	J. K. Electronics, Kanpur	10,000	10,000
2.	Telerad, Bombay	10,000	10,000
3.	John Prasad, Srinagar	10,000	—
4.	Electronics Corporation of India, Hyderabad	20,000	—
5.	Tamilnadu State Industrial Development Corporation and Shri Obul Reddy, Madras	—	10,000
6.	REMCO, Bangalore	—	5,000
7.	Kerala State Industrial Development Corporation	—	5,000
8.	Rajasthan State Industrial Development Corporation	—	5,000
9.	Punjab State Industrial Development Corporation	—	5,000
10.	Haryana State Industrial Development Corporation	—	5,000
11.	Orissa State Industrial Development Corporation	—	5,000
		50,000	60,000
		Total	.. 1,10,000

Dr. Sankata Prasad : May I know whether there are chances of reduction in the prices of TV sets as a result of increase in the manufacture of Television sets ?

Shri K. C. Pant : We shall make efforts to see that prices are reduced and that components are manufactured on a large scale and TV sets are assembled in the same proportion so that the prices of TV sets are reduced. A proposal for the manufacture of transistorised TV sets with small screen is also under consideration. It will also lead to reduction in the prices of TV sets.

Dr. Sankata Prasad : Is it a fact that private sector always tries to put public sector to loss ; if so, what steps are being taken by Government in this respect ?

Mr. Speaker : Let the production start first.

Shri K. C. Pant : Out of the new licences issued for the manufacture of TV sets more than 50 per cent have been issued to small scale sector. There is one unit in Tamil Nadu and Tamil Nadu Industrial Corporation will have majority of shares in it. Sanction for 1,18,000 TV sets has been given to 45 units in small scale sector. So there will be increased production in the small scale sector units. However, two big units, which exist in private sector at present, have been allowed to expand their production capacity. No new industrial licence has been issued for a big unit in private sector.

श्री राम सहाय पांडे : क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स ने टेलिविजन सेट के निर्माण हेतु लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र दिया था जो काफी समय से अनिर्णीत पड़ा था। किन्तु उस पर गत दो वर्षों से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस बीच गैर सरकारी क्षेत्र को लाइसेंस दिये गये हैं। सरकारी क्षेत्र की तुलना में गैर सरकारी क्षेत्र को तरजीह दिये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरे पहले उत्तर का माननीय सदस्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जहां तक हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स का सम्बन्ध है, इलैक्ट्रानिक्स कमीशन ने उसका आवेदन पत्र रद्द कर दिया था।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इस प्रश्न का उत्तर सभा में पहले भी दिया जा चुका है।

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : मैं इसके कारण भी बता सकता हूं।

श्री राम सहाय पांडे : रक्षा (उत्पादन) मंत्री द्वारा कल दिये गये वक्तव्य से ऐसी धारणा बनी थी कि उसका पत्र विचाराधीन है।

Shri Bibhuti Mishra : May I know the total number of sets manufactured in private as well as public sector and the number of sets required in the country ? The Prime Minister, when she was incharge of this Ministry, once assured that the production will be pushed up soon in order to percolate the benefit of television to a larger number of people. Now this facility is limited to Delhi only.

Shri K. C. Pant : As regards the demand of TV sets in the country 200,000 sets will be required annually to meet the demand by the end of the fifth Plan. That is why we have given sanction for production capacity of 2,28,000 sets per annum. Secondly, the big or small units which have been issued licences or allowed to expand their capacities, are scattered all over the country. They are not limited to Delhi alone. As you will see in the statement some of them are State Industrial Corporations. Inference can be drawn from the statement that the TV units are scattered all over the country.

Shri Ram Surat Prasad : May I know the time by which the target of maximum production of TV sets will be achieved, so that the people of low income group may also take advantage of it ?

Shri K. C. Pant : The production of transistorised TV sets has not yet started. At present ordinary TV sets are being manufactured on a large scale. But we hope that the production of transistorised TV sets will begin by the end of this year.

Effect of High Rate of Power on Industrial Development of Bihar

*668. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether the rate per unit of power being supplied to industries in Bihar is so high that it retards industrial growth in Bihar besides increasing the cost of production ; and

(b) whether Government have taken any steps to overcome this difficulty in the way of industrial development of Bihar and if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Bihar State is served by the Damodar Valley Corporation, Bihar State Electricity Board, captive generating plants of individual industrial units and private licensees. The comparative chart attached would indicate that the industrial power tariff of the Bihar State Electricity Board is higher than that of many other Boards. The rates of the Damodar Valley Corporation are, however, significantly lower in the areas of Bihar served by it.

The electricity tariff is one of the considerations which specifically weigh with the entrepreneur in locating an industry, particularly if the industry is electricity-intensive. During his visit to the Bihar State in September 1971, it was brought to the notice of the Minister of Industrial Development by entrepreneurs that high electricity tariffs for industrial use and interruptions in power supply were causing hardships to industrial units and stood in the way of further industrial development in the State. The Minister brought it to the notice of the State Government authorities in his discussions for appropriate remedial measures.

Comparative chart of electricity tariffs in different States (brought upto 29-2-72) Source : Central Water and Power Commission

(Paise, per KWH)

S. No.	State/Board	Small industries 10 KW 20% L. F.	Medium industries 50 KW 30% L.F.	Large indutsries 250 KW 40% L. F.	Large industries 1000 KW 50% L. F.	Heavy industries 5000 KW 60% L. F.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Andhra Pradesh	20.68	20.09	17.38	15.50	12.18
2.	Assam	17.00	16.35	13.88	10.25	8.34
3.	Bihar—					
	(i) Electricity Board	21.00	21.00	16.09	14.96	14.21
	(ii) D. V. C.	No low tension tariff		10.13	9.36	8.84
4.	Gujarat	18.46	18.01	15.83	14.55	12.32
5.	Haryana	14.40	12.42	10.66	9.23	7.84
6.	Himachal Pradesh	0.34	9.92	8.12	7.38	
	(a) Urban (b) Rural					6.78
7.	Jammu & Kashmir					
	(a) Jammu	11.12	9.37	6.45	6.08	5.84
	(b) Kashmir	8.82	7.07	4.73	4.36	4.12
8.	Kerala	16.50	15.60	13.62	9.96	0.72

1	2	3	4	5	6	7
9.	Madhya Pradesh	16.50	16.50	14.06	13.10	11.95
10.	Maharashtra					
	(a) Hydro	19.00	19.00	11.59	10.63	9.41
	(b) Steam			13.02	11.76	9.94
11.	Mysore	16.50	16.50	10.18	9.04	8.01
12.	Nagaland	20.00	20.00	15.97	13.69	12.04
13.	Orissa					
	(a) Hydro	16.10	16.10	11.50	11.50	11.26
	(b) Diesel	25.30	25.30	No. HT tariff	No. HT tariffs	
14.	Punjab/Chandigarh	12.80	11.50	9.53	8.24	7.00
15.	Rajasthan					
	(a) Hydro & Steam	15.53	15.53	11.24	10.29	9.40
	(b) Diesel	29.90	29.90	No. HT tariff	No. HT tariffs	
16.	Tamilnadu					
	(a) Thermal	18.00	18.00	17.70	16.35	14.79
	(b) Rest			14.29	11.72	9.12
17.	Uttar Pradesh	18.32	17.04	13.71	12.23	10.89
18.	West Bengal	19.50	17.42	14.70	13.17	12.35
19.	Manipur	25.00	25.00	No. HT tariff	No. HT tariffs	
20.	Tripura					
	(a) Agartala (b) Rest	19.00	31.00	—do—	—do—	—do—
21.	N. E. F. A.	—	—	—do—	—do—	—do—

NOTE: The rates are those of the State Electricity Boards/Depts. except in Bihar where the D. V. C. (Damodar Valley Corporation) rates have also been indicated.

Shri K. M. Madhukar : Sir, this statement is not sufficient. Bihar Government and the Central Government have no policy for Bihar State and this is the reason why there is no development in the power generation and industries in that State. I would like to know the number of small and medium scale industries which are getting power from Damodar Valley Corporation at cheaper rates and the number of such industries in Barauni area. What steps are being taken by the Central Government to ensure that small and medium industries in Bihar get power at cheaper rates ? Secondly, I would like to know the outcome of the talks held in 1971 in regard to the industrial development and the progress made in that regard.

Shri Siddheshwar Prasad : This information was not sought in the original question. So the data in respect of the number of industries existing in Chhota Nagpur and Barauni areas have not been collected. As regards the Central Government, we have drawn the attention of Bihar Government to the fact that the rate per unit of power being supplied to industries in Bihar is higher and we have asked them to take steps to effect reduction in rates. Bihar Government have told us that they will discuss it with the State Electricity Board.

Shri K. M. Madhukar : I would like to know the decisions arrived at as a result of the discussion held.

Shri Siddheshwar Prasad : It has been told by the Bihar Government that the matter is under consideration and no final decision has been taken so far in the matter.

Shri Nawal Kishore Sinha : May I know whether the Bihar Electricity Board or the State Government have represented to the Central Government that the recovery of instalment of loans given to Bihar State Electricity Board falls due even before the transmission lines have been laid and whether the Central Government have suggested specific measures as would enable the State Government to reduce the rates?

Shri Siddheshwar Prasad : As far as I know the Bihar Government have not so far asked for our suggestions in this matter but the Ministry of Irrigation and Power have suggested some measures to them and there will be reduction in the rates if they are adopted.

Shri Ramavtar Shastri : Sir, may I know whether power will be supplied at cheaper rates to those who want to establish industries in the backward areas of Bihar and whether Government propose to have a discussion on this question with the Bihar Government.

Shri Siddheshwar Prasad : The Bihar Government has announced that electricity will be supplied to those industries on concessional rates which will be set up in such areas.

Shri Dinen Bhattacharyya : The electricity production in Bihar is low and its cost is high so I want to know whether there is possibility to construct two extra dams D.V.C. for generating more electricity in Mathan Hydro-electric Power. Is there any suggestion to this effect ?

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न से भिन्न है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह प्रश्न इसलिए उठाया गया है क्योंकि यह बिजली की लागत से सम्बन्धित है। बिजली का कम उत्पादन के कारण बिजली की लागत अधिक है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस तर्क पर चलें तो अन्य प्रश्न भी उठ सकते हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह आप पर निर्भर है।

ठाकुर पेपर मिल्स, समस्तीपुर (बिहार) को पुनः चालू करना

*669. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री ठाकुर पेपर मिल्स, समस्तीपुर (बिहार) को पुनः चालू करने के बारे में 19 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 591 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना उच्च न्यायालय ने मैसर्स ठाकुर पेपर मिल्स, समस्तीपुर, से संबंधित मामले के बारे में अपना निर्णय इस बीच दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस पेपर मिल को अपने नियंत्रण में लेने के बारे में कोई निर्णय किया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां ।

(ख) उच्च न्यायालय ने, औद्योगिक वित्त निगम तथा बिहार राज्य वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋण के सम्बन्ध में मूलधन और व्याज की वसूली करने के लिए कम्पनी की गिरवी रखी गई सम्पत्ति को सार्वजनिक नीलामी द्वारा बिक्री करने का आदेश दिया है । उच्च न्यायालय ने और आगे यह भी आदेश दिया है कि जिला न्यायाधीश, दरभंगा के न्यायालय की परिसीमा में तथा न्यायालय के अधिष्ठाता अधिकारी की मौजूदगी में सम्पत्ति की बिक्री की जानी चाहिए ।

(ग) जी, नहीं ।

Shri Bhogendra Jha : The backwardness of Bihar is known to every one. In view of the feudal set up in Bihar, unfortunately Governments in that State did not take interest in the industrialisation. (**Interruption**). The Hon. Minister has stated that decision has been taken to shift Ashoka Paper Mill to Assam but the local people have resolved not to allow shifting of the machines from there, then you will resort to firing and violence will take place. Now decision has been taken to auction Thakur Paper Mills and the machines will be shifted from there. I want to know if you are going to auction the Paper Mill and local people resist it then would you resort to firing or the Ministry has any scheme to run the Mill at the same place ?

Shri Siddheshwar Prasad : The Government has not taken a decision to close down or auction the mill. It is the verdict of the Patna High Court and this action is being taken accordingly.

Shri Bhogendra Jha : The Patna High Court has asked for the realisation of the amounts. What I want to say is that it was decided to produce paper in the mill where it is situated. Land for those mills was acquired. The farmers have given their land and both mills are set up in 600 acres of land. So is the Government going to make arrangement for running that mill by taking up the matter regarding that amount with Industrial Finance Corporation or not ?

Mr. Speaker : The question was raised in the last Lok Sabha.

Shri Siddheshwar Prasad : The question does not arise after the verdict of the High Court.

Shri Bhogendra Jha : Why do you bring High Court in this matter ? What is the Policy of the Government ? The I.F.C. filed the case and the High Court ordered for auction. The Government may reply whether they are going to make financial arrangement to run the mill at the same place ?

Shri Siddheshwar Prasad : I have stated that there is no need for the Government to run the mill after the verdict of the High Court. The High Court has given its verdict that the mill may be auctioned. I have also stated in reply to the original question that the High Court in its verdict has asked to auction the assets of that mill in the premises of District Court, Dharbanga, so there is no relevance of the question being raised by the Hon. Member.

Shri Bibhuti Mishra : There are two mills in Bihar. One is being shifted to Assam and the condition of the other mill is bad. The Prime Minister is here. The condition of north

Bihar is not good. Under such a situation will the Government take over this mill and run it because raw material is available there ?

Shri Siddheshwar Prasad : This is the same question of which reply has been given just now.

श्री भोगेन्द्र झा : क्या सरकार इसे अपने अधिकार में ले रही है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : मैं इस स्थिति को स्पष्ट करूंगा। यह एक टेन टन मिल है जो अलाभकारी है। सरकार द्वारा इसे अपने नियंत्रण में लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। **(व्यवधान)** यह एक टेन टन मिल है **(व्यवधान)** यदि माननीय सदस्य इसे सुनना नहीं चाहते हैं तो मैं बैठ सकता हूं।

जैसा कि मैंने कहा है कि यह टेन टन मिल है। उन्होंने इसे किसी अन्य को बन्धक में दिया था। उस पार्टी ने उच्च न्यायालय में जाकर डिगरी प्राप्त कर ली। इसको नीलाम करना पड़ा था। यदि मेरे मित्र इस कम्पनी को, जिनमें स्थानीय बिहारी लोग हैं, यहीं बनाए रखना चाहते हैं, तथा इसे खरीदना चाहते हैं तो यह बिहार में ही रहेगी। हमसे यह प्रश्न पूछने के स्थान पर आप वहां के लोगों को संगठित क्यों नहीं करते हैं। आप एक सहकारी संस्था बनाकर इसको वहीं बनाए रख सकते हैं ? आप इस मामले को सरकार को क्यों सौंपते हैं कि वह इस टेन-टन मिल को अपने नियंत्रण में ले ले ? **(व्यवधान)**

Shri Bibhuti Mishra : Why do the Government not take over that mill when they are running big plants like Bokaro itself ?

Mr. Speaker : I have not allowed you to speak. Why are you interrupting.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मुझे एक मूल प्रश्न पूछना है। सरकार ने दो मिलों को लाइसेंस दिया था जो लगभग 10 से 12 मील की दूरी पर स्थित हैं। एक मिल समस्तीपुर में है और दूसरा हायाघाट में। इनके प्रति सरकार का कुछ उत्तरदायित्व है क्योंकि ये दो मिलें लाइसेंसशुदा हैं। उन्होंने परियोजना के लाभ के बारे में जांच किया होगा। यदि वे समझते हैं कि इन परियोजनाओं से लाभ नहीं मिल रहा है तो क्या सरकार पर इसे चलाने का दायित्व नहीं है ? अथवा वे इन मिलों को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं जैसा कि कपड़ा मिलों के सम्बन्ध में ऐसा किया गया है।

श्री मोइनुल हक चौधरी : जैसा कि मैंने, कहा है कि संसद द्वारा पारित कानून यथा, औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत बीमार अथवा कुप्रबन्ध वाली मिल को अपने नियंत्रण में लेने से पूर्व सरकार को यह देखना पड़ता है कि क्या ऐसा करना लाभप्रद है। जैसा कि मैंने कहा है कि यह टेन टन मिल है जो 1965 में बन्द कर दी गई थी। यह हमारे लिए लाभ की नहीं है। **(व्यवधान)** अशोक पेपर मिल के बारे में आज उत्तर नहीं दे रहा हूं। इसके लिए पृथक प्रश्न दिया जा सकता है। मैं ठाकुर पेपर मिल के बारे में उत्तर दे रहा हूं। यह 10 टन की मिल है जो 1965 में बन्द हो गई थी। इसे लाभ पर नहीं चलाया जा सकता, इसलिए सरकार इसे अपने हाथ में नहीं ले सकती। यदि कोई स्थानीय पार्टी इसे लेना चाहे तो वह उच्च न्यायालय द्वारा की जाने वाले नीलामी में बोली दे कर ले सकता है। इसके लिए हम हर संभव सहायता देने को तैयार हैं। परन्तु इस कारण सरकार इसे अपने हाथ में नहीं ले सकती।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : इसे बड़ा बनाकर लाभकारी बनाया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री ओंकार लाल बेरवा–अनुपस्थित, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह–अनुपस्थित, डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय ।

बम्बई और कलकत्ता के लिए टेलीविजन केन्द्र

*672. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई और कलकत्ता के प्रस्तावित टेलीविजन केन्द्र कब तक चालू हो जायेंगे ; और

(ख) इन केन्द्रों से कितने कितने क्षेत्र में प्रसारण किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सतपथी) : (क) बम्बई टेलीविजन केन्द्र के अक्टूबर, 1972 में तथा कलकत्ता टेलीविजन केन्द्र के मार्च, 1974 में चालू हो जाने की उम्मीद है ।

(ख) पूना के रिले केन्द्र सहित बम्बई टेलीविजन केन्द्र के कार्यक्रम 36,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सुने जा सकेंगे । कलकत्ता टेलीविजन केन्द्र के कार्यक्रम 18,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सुने जा सकेंगे ।

Dr. Laxmi Narain Pandey : I want to know the reasons for the delay in commissioning of TV Station at Calcutta and whether the Bombay TV Station will start functioning according to schedule or not.

श्रीमती नन्दिनी सतपथी : कलकत्ता निगम और भारत सरकार के बीच लम्बे पत्राचार के पश्चात स्थान के बारे में फैसला हुआ इसलिए विलम्ब हुआ है । इसके बाद भी राज्य के मुख्य मंत्री ने एक अन्य स्थान का सुझाव दिया है । पहला स्थान विक्टोरिया पार्क था जब कि अब टालीगंज का सुझाव आया है । इस पर पुनः विचार करना पड़ेगा । अन्य औपचारिकताओं और प्रारंभिक कार्यों का काम जारी है ।

बम्बई केन्द्र का काम समयानुसार चालू है और यह केन्द्र अक्तूबर के आरंभ में या मध्य में चालू हो जायेगा ।

Dr. Laxmi Narain Pandey : I want to know as to when the entire country is proposed to be covered by TV ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : शायद माननीय सदस्य जानते हैं कि कलकत्ता और बम्बई के केन्द्रों के अलावा चौथी योजना में कुछ और केन्द्र भी बनेंगे–जैसे श्रीनगर और मद्रास में । बम्बई केन्द्र का पूना में एक रिले केन्द्र होगा और इसी प्रकार कलकत्ता केन्द्र का रिले केन्द्र दुर्गापुर-आसनसोल में होगा जिसके कार्यक्रम मिदनापुर और खड़गपुर के कुछ भागों और बांकुरा जिले के अधिकांश भाग में देखे जा सकेंगे ··· **(अन्तबार्धाएं)**

दिल्ली के टेलीविजन केन्द्र के विस्तार से ··· **(अन्तर्बाधाएं)** हमारी योजना मसूरी में एक रिले केन्द्र खोलने की है जिससे इस क्षेत्र के अधिकांश भाग को लाभ मिलेगा। हम प्रयत्न तो कर रहे हैं परन्तु संसाधनों के अभाव में सारे देश को तुरन्त यह लाभ नहीं पहुंचाया जा सकता। हमें यह कार्य क्रमबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा करना होगा और पांचवीं योजना में देश के विभिन्न भागों में कई केन्द्र बन जाएंगे। हमारी योजनानुसार अगले कुछ वर्षों में सभी राज्यों की राजधानियों में ये केन्द्र खुल जाएंगे।

श्री रघुनन्दनलाल भाटिया : इस सदन में कुछ समय पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री के यह बताने पर कि अमृतसर में शीघ्र ही टेलीविजन केन्द्र बन जायेगा, अमृतसर, गुरदासपुर, जालंधर और फिरोजपुर के बहुत से लोगों ने टेलीविजन सैट खरीद लिए और अब वे पाकिस्तानी प्रचार कार्यक्रम देखते हैं। इसे देखते हुए क्या मंत्री महोदया यह बताएंगी कि वहां केन्द्र कब तक बन जाएगा ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : अमृतसर में टी वी केन्द्र इस वर्ष अगस्त-सितम्बर में खुल जाएगा। यहां से दिल्ली के कार्यक्रम दिखाए जाएंगे।

श्री एम० एस० संजीवी राव : विश्व-विख्यात प्रक्षेपास्त्र विशेषज्ञ, डा० बराऊन ने बर्लिन में हुए एक सम्मेलन में कहा था कि भारत देश भर में टेलीविजन के प्रसार के लिए एक उपग्रह छोड़ने वाला है। क्या यह सच है और क्या यह उपग्रह 1974 में छोड़ा जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न केवल कलकत्ता और बम्बई के केन्द्रों के बारे में था। अगला प्रश्न।

Shri Ishwar Chaudhary : I want to know when Bodh Gaya, a world famous centre of pilgrimage, would be covered by TV and if not it should also be included therein?

Mr. Speaker: If the hon. Minister can tell something about it, she may do so.

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : चौथी योजना में तो इसे शामिल करना सम्भव नहीं होगा। आगामी योजना में आशा है इसे शामिल कर लिया जाएगा।

भारत में सी० आई० ए० की गतिविधियां

\+
*673. **श्री भारत सिंह चौहान :**
श्री के० मालन्ना :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में सी० आई० ए० के जासूसों का एक बड़ा जाल फैला हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस एजेन्सी की गतिविधियों की जांच की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) भारत में सी० आई० ए० की गतिविधियों को रोकने के लिये, सरकार ने क्या कार्य-वाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). सरकार सी० आई० ए० समेत विदेशी आसूचना संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखती है। सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अच्छे सम्बन्ध बढ़ाने के लिये ऐसो गतिविधियां सहायक नहीं हैं। किन्तु माननीय सदस्य अनुभव करेंगे कि सरकार द्वारा ऐसी गतिविधियों का प्रतिकार करने के लिये क्या कार्यवही की जाती है, इसका ब्यौरा प्रकट करना लोक हित में नहीं होगा।

Shri Bharat Singh Chauhan : Much light had been thrown on the activities of CIA agent in India during the last Lok Sabha. Many religious, Educational and business organisations were found to have links with CIA. I want to know what steps have been taken by Government against them and whether they continue to exist in India ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri K. C. Pant) : Reports regarding many such organisation had appeared in the American Press also in 1967. In India, the Asia Foundation used to receive money from the CIA, its offices were closed down in 1968 under Government of India's Orders.

Shri Bharat Singh Chauhan : This is about one organisation only. But in the last Lok Sabha it was stated that there are 6-7 such organisations. I want to know whether these organisations still continue to function or whether they have been closed down ?

Shri K. C. Pant : This was the only organisation about which government had received definite information of receipt of CIA Funds and which has since been closed down by government. As I had myself stated that reports appeared in American Press about many such organisations, but here we had definite information about Asia Foundation alone.

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्योंकि पी० एल०-480 की राशि का लगभग आधा भाग अमरीका द्वारा भारत में खर्च किया जाता है जिसकी सूचना सरकार को बिलकुल नहीं है, इसलिये क्या अमरीकी सरकार को यह बताने के लिये कोई कदम उठाया गया है कि हमारी तरह की सरकार की राजनीतिक नींव उखाड़ने के लिये उसे इस प्रकार धन को व्यय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं इस धन को व्यय करने के बारे में कुछ नहीं जानता। वित्त मंत्रालय इसका उत्तर अधिक ठीक ढंग से दे सकता है...

श्री पीलू मोडी : इसका सी० आई० ए० के धन से क्या सम्बन्ध है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, वह सभी प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखती है और जब वह यह समझती है कि कोई विशेष कार्य देश के हित में नहीं है, तब हम कार्यवाही करते हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैंने एक विशिष्ट बात का उत्तर मांगा था। 9 मास में अमरीका द्वारा विदेश मन्त्रालय के लिये पूरे वर्ष के बजट के समान धन खर्च होता है, तो क्या सरकार ने इस पहलू पर कोई ध्यान दिया है कि इतना अधिक धन क्यों और कैसे खर्च किया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुके हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : उन्होंने उत्तर कहां दिया है ? उन्होंने यह कहा है कि सरकार निगाह रखती है और सभी बातों का ध्यान रखती है।

अध्यक्ष महोदय : वह फिर से उत्तर सुन सकते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह मामले का अलग पहलू है कि क्या हिसाब दिया जाता है, किस प्रकार धन खर्च किया जाता है और वित्त मन्त्रालय लेखा प्राप्त करती है अथवा नहीं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : उन्हें यह बताना चाहिए कि यह सच है या नहीं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह सच है कि धन का एक भाग खर्च किया जाता है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : 'हां' या 'ना' में उत्तर दीजिए।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जी, हां। यह धन खर्च किया जाता है, सरकार को इस बात की जानकारी है। यह सामान्यतया जानकारी में है। मुझे नहीं मालूम कि सरकार को क्या जानकारी दी जाती है।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : क्या यह सच है कि अभी हाल के विधान सभा चुनावों के दौरान कुछ राज्यों में सी० आई० ए० काफी सक्रिय रही है और यदि हां, तो मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या इस बारे में कुछ मुख्यमन्त्रियों को शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

श्री पीलू मोदी : आन्ध्र प्रदेश में वे इतने अधिक सक्रिय थे कि कांग्रेस की वहां भारी विजय हुई।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस शिकायत में कोई सचाई है कि विधान सभा के पिछले चुनावों में सी० आई० ए० मध्य प्रदेश में सक्रिय थी और श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध प्रचार करने के लिये उन्होंने कुछ साम्प्रदायिक दलों को वित्तीय सहायता दी ? क्या सरकार को इन शिकायतों के बारे में जानकारी है कि ये शिकायतें उत्तरदायी सूत्रों द्वारा की गई हैं और क्या इस शिकायत में कोई सचाई है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जहां तक मुझे याद है, मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने एक वक्तव्य दिया था कि बम्बई में रह रहे अमरीकी सरकार के किसी अधिकारी ने मध्य प्रदेश का दौरा किया था और कुछ विरोधी नेताओं से भेंट की थी। हमने इस बारे में पूछताछ की और सम्बद्ध व्यक्तियों से पूछा कि वास्तव में वहां क्या हुआ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति और विशेष कर कुछ अधिकारियों के विरुद्ध सी० आई० ए० के साथ सांठगांठ करने के लिये कार्यवाही की गई है। मैं केवल सामान्य सूचना चाहता हूं, व्यक्तियों के नाम नहीं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे ऐसी किसी घटना का पता नहीं, जिसमें किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई हो . . .

श्री श्यामनन्दन मिश्र : किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भी नहीं ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे अभी ऐसी किसी घटना की याद नहीं ।

Inquiry into the charges of Corruption against Former Ministers of Akali Government in Punjab

*674. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government had appointed a Commission to go into the charges of corruption levelled against the former Ministers of the Akali Government in Punjab ;

(b) if so, whether it has submitted its report ; and

(c) if not, the time by which its report is likely to be submitted?

The Minister of State in the Ministry of Home Affirs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b). A Commission has been appointed to enquire into certain allegations against certain former Ministers of the State of Punjab. The Commission of Inquiry has not yet submitted its report.

(c) The Commission has intimated that it is not possible at this stage to indicate the time by which it is likely to complete its work.

Shri Ishwar Chaudhary : I would like to know the names of the Ministers of Punjab against whom there are certain allegations and also the details of the allegations ? Are there charges against ex-Ministers of other States also and whether Government propose to set up an Enquiry Commission and if so, how long will it take to set up such a Commission ?

Mr. Speaker : This question is about Punjab and not other States.

Shri Ram Niwas Mirdha : It would not be proper to disclose the names of the Ministers and the details of the allegations. The whole matter is before the Commission....

Shri Ramavtar Shastri : Why do you have any objection in disclosing the names ?

श्री एच० एन० मुकर्जी : आपको इस बारे में अपना निर्णय देना चाहिए । मन्त्री महोदय इस बात को कैसे छोड़ सकते हैं ?

Shri Ram Niwas Mirdha : I was saying that there are several charges against many Ministers. The whole matter is before the Commission. Therefore, it is neither possible nor proper to disclose the names of the Ministers and the details of the charges. The Commission is itself enquiring into the case and issuing notices to all. Therefore, in the house....

Shri Ishwar Chaudhary : It has been reported in the Press. Why can it not be disclosed in the house ?

Mr. Speaker : Please wait.

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं चाहता हूं कि आप मेरा मार्गदर्शन करें। उन्होंने यह कहा कि कुछ मन्त्रियों के विरुद्ध आरोप हैं। हम नहीं जानना चाहते कि आरोप क्या हैं, क्योंकि वे आयोग के समक्ष हैं और वे सही सिद्ध होते हैं अथवा नहीं। हम तो केवल उन मन्त्रियों के नाम जानना चाहते है।

Shri Ram Niwas Mirdha : I had stated that the hole matter is before the Commission. Several charges have been levelled against the Ministers and as the Commission is enquiring into the matter ; it would, not be proper to disclose the whole matter here.

Shri Ramavtar Shastri : What is the objection in disclosing the names.

Mr. Speaker : You must disclose the names.

Shri Ram Niwas Mirdha : I have no objection in disclosing them. But there are certain charges which........(**Interruptions**) I do not have full information about the charges.

Shri Ramavtar Shastri : We would like to know about the names.

Shri Ram Niwas Mirdha : This Commission is enquiring against 19 Ex-Ministers. I read out their names with your permission. Shri Prakash Singh Badal, Shri Teja Singh, Shri Narendra Singh, Shri Sarjit Singh, Shri Atma Singh, Shri Rawel Singh, Shri Randhir Singh Cheema, Shri Satnam Singh Bajwa, Shri Gurmit Singh, Shri Bawa Harnam Singh, Shri Balwant Singh, Shri Surjit Singh, Shri Trilochan Singh Riasati, Shri Balramji Das Tandon, Shri Manmohan Kalia, Shri Kishan Lal, Shri Radha Krishna, Shri Gurnam Singh, Shri Tara Singh Layalpuri.

श्री पीलू मोदी : वह उन मन्त्रियों की छोटी सी सूची क्यों नहीं पढ़ देते, जिन्हें छोड़ दिया गया है ?

Mr. Speaker : He has read out the names of all the gentlemen.

Shri Ishwar Chaudhary : I have to ask another question.

It is never too late to mend. I thank him that he has disclosed the names. I would like to know whether there are charges against ex-Ministers of other States like those of Punjab and whether the Government propose to set up an Enquiry Commission in those cases also ? You have stated that so far as this Commission is concerned, the charges could not be disclosed. But I would like to know as to how long would the Commission take to submit its report ? What action is the Government going to take to dispose of the cases expeditiously ?

Shri Ram Niwas Mirdha : We are in touch with the Commission. We have requested them to complete their work expeditiously. But the Commission has stated that they have not been able to make much progress due to certain reasons. Still we hope that they would finish their work shortly.

Shrimati Sahodrabai Rai : I would like to know if there are certain ex-Ministers in Madhya Pradesh also against whom charges have been made and if so, what is the number thereof ?

Mr. Speaker : This question is about Punjab.

Shrimati Sahodrabai Rai : I would like to know about Madhya Pradesh as well ?

Mr. Speaker : You leave Madhya Pradesh. Let only Punjab be proud of it.

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : मन्त्री महोदय ने कहा है कि 19 भूतपूर्व मन्त्रियों के विरुद्ध आरोप हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या किसी व्यक्ति के नाम को छोड़ दिया गया है अथवा केवल 19 भूतपूर्व मन्त्रियों के विरुद्ध ही आरोप हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : किसी भी नाम को छोड़ा नहीं गया है और पूरी सूची मैंने पढ़ दी है ।

अम्बर चरखे के स्थान पर बिजली से चालित चरखा प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव

*675. **श्री धर्मराज अफजलपुरकर :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में बड़े पैमाने पर अम्बर चरखे के स्थान पर बिजली चालित बहुतकली वाला चरखा प्रतिस्थापित करने की सम्भाव्यता की जांच कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का विचार 1972-73 और 73-74 में उत्पादन में वृद्धि करने के साथ साथ कारीगरों की आय बढ़ाने तथा उत्पादन लागत कम करने के लिये, मार्गदर्शी वाणिज्यिक परीक्षण के आधार पर 4,450 बहु तकवे वाले शक्तिचालित स्पिनिंग फ्रेम चलाने का है । किन्तु वे अम्बर चरखे का इससे प्रतिस्थापन नहीं कर रहे हैं । योजना सरकार के विचाराधीन है ।

श्री धर्मराव अफजलपुरकर : विवरण पत्र में यह कहा गया है कि वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान अनेक तकुओं वाले विद्युत-चालित 4,450 चरखे लगाने का खादी और ग्रामोद्योग आयोग का विचार है, जिससे उत्पादन में और आय में वृद्धि हो सके । मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये 4,450 चरखे तैयार हैं अथवा उनका निर्माण किया जा रहा है और यदि हां, तो कब से और कितना उत्पादन होगा और लागत कितनी है ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : यह प्रस्ताव तो अभी विचाराधीन है । इस पर अन्तिम निर्णय ले लिये जाने के पश्चात् ही हम लागत और अन्य बातें जानने की स्थिति में होंगे ।

श्री धर्मराव अफजलपुरकर : मूल प्रश्न के उत्तर के अनुसार बहुत तकुओं वाले विद्युत चालित चरखों के चालू होने से उत्पादन में वृद्धि होगी । उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी और आय क्या होगी ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मार्गदर्शी योजना जिसका अभी परीक्षण किया जा रहा है, उसके अनुसार आमदनी 4 रुपये के करीब होगी और उस मोटे कपड़े के उत्पादन में 25 प्रतिशत कमी होगी, जिसका उत्पादन अभी कपड़ा मिलों द्वारा किया जा रहा है ।

बम्बई-मद्रास-त्रिवेन्द्रम के बीच सूक्ष्म तरंग (माइक्रो-वेव) प्रणाली

*676. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **संचार** मंत्री बम्बई-मद्रास-त्रिवेन्द्रम माईक्रोवेव रेडियो रिले व्यवस्था के बारे में 1 दिसम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2389 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि योजना के पूरा होने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री केदार नाथ सिंह) माइक्रोवेव योजना का इंजीनियरी और साइट संबंधी सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। साइट सर्वे की व्यौरेवार रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

इन मार्गों के लिए माइक्रोवेव का साज-सामान देश में तैयार करने में अभी कुछ समय लग सकता है। इसका आयात करने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। विदेशी फर्म से प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या मद्रास और बंगलौर के विशिष्ट भाग के बीच चिन्तूर में सूक्ष्म तरंग रिपीटर स्टेशन स्थापित करने पर विचार किया जायगा ?

श्री केदार नाथ सिंह : चित्तूर को जोड़ना अभी संभव नहीं है।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : मैं मूल स्टेशन की स्थापना की बात नहीं कह रहा, बल्कि रिपीटर स्टेशन की बात कह रहा हूं जो बंगलौर और मद्रास के बीच स्थापित होना जरूरी है और चित्तूर बंगलौर और मद्रास के बीच में है जहां इसकी स्थापना की जा सकती है।

श्री केदार नाथ सिंह : यह सम्भव नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

परमाणु विज्ञान में अध्ययन के लिये वित्तीय सहायता

*661. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमाणु विज्ञान में अध्ययन के उत्कर्ष के लिये गत वर्ष कितनी वित्तीय सहायता दी गई ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को छात्र-वृत्तियां अथवा अनुदान दिये गये ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख). अपेक्षित सूचना से युक्त निम्नलिखित 4 विवरण सभा

पटल पर प्रस्तुत हैं :—

विवरण संख्या 1– परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाले सहायता प्राप्त संस्थानों को दिया गया अनुदान ।

विवरण संख्या 2– अनुसंधान परियोजनाओं से सम्बन्धित कार्यों के लिए संस्वीकृत अनुदान ।

विवरण संख्या 3– परमाणु ऊर्जा विभाग से अनुसंधान शिक्षावृत्ति प्राप्त लोगों के नाम ।

विवरण संख्या 4– तदर्थ योजनाओं के लिए दिए गए अनुदान । [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1918/72**]

मैसर्स यूनियन कारबाइड द्वारा टार्चों का लाइसेंस क्षमता से अधिक उत्पादन

*663. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स यूनियन कारबाइड ने वर्ष 1971 में 90 लाख से 1 करोड़ के बीच टार्चें बनाई थीं जब कि उनकी लाइसेंस क्षमता केवल 60 लाख टार्च प्रति वर्ष है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा औद्योगिक विकास विनियमन अधिनियम के उपयुक्त उल्लंघन की स्वीकृति देने के क्या कारण हैं ; और

(ग) भारतीय टार्च निर्माताओं के वैध हितों पर एक विदेशी एकाधिकारी फर्म के अनधिकृत अतिरिक्त उत्पादन का क्या असर पड़ा है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) जी, हां, । वर्ष 1971 में उनके यहां 9.02 मिलियन टार्चों का उत्पादन हुआ था ।

(ख) सरकार द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर 1970 को परिचालित किये गये निर्णय की भावना के अनुरूप ही उत्पादन में यह वृद्धि हुई है । लाइसेंसीकृत क्षमता से अधिक उत्पादन में वृद्धि की अनुमति इस बात को ध्यान में रखकर दी गई थी कि निर्माण-कर्ता एकक देश में ही अधिकाधिक उपलब्ध बनाये गये पुर्जों व कच्ची सामग्री के प्रयोग से बिना विदेशों से अतिरिक्त मशीनरी मंगाए व विदेशी मुद्रा खर्च किये, उत्पादन बढ़ा सकते हैं । जैसाकि और वर्षों में हुआ था वर्ष 1971 में 6 मिलियन टार्चेज की पंजीयित क्षमता के आधार पर ही कच्ची सामग्री का बटवारा किया गया था । उन्होंने अपनी पंजीयित क्षमता की पात्रता को ध्यान में रखकर, कई पारियों में काम करके व बिना अतिरिक्त कच्ची सामग्री मांगें, अधिक उत्पादन किया है । अतएव, इस विषय में औद्योगिक (विकास तथा मिनियमन) अधिनियम, 1951 का अतिक्रमण नहीं हुआ है ।

(ग) ऐसी अर्थव्यवस्था में जब कि टार्चों की मांग बहुत है और उस समय जबकि मैसर्स जीप फ्लैशलाइट जैसी प्रमुख फर्मों को इस विषय में 12 मिलियन से लेकर 5 मिलियन तक की लाइसेंसीकृत क्षमता से अधिक की वृद्धि करने की अनुमति दी गई है, मैसर्स यूनियन कार्बाइट (इण्डिया) के लाइसेंसीकृत क्षमता से अधिक किये गये उत्पादन द्वारा ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अधिक अन्य टार्च बनाने वालों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और न ही इस विषय में कोई शिकायत प्राप्त हुई । वस्तुतः, देश के टार्च निर्मातागण टार्चों की बढ़ती मांग की संतोषजनक रूप से पूर्ति नहीं कर सके हैं ।

कार बनाने वाली कम्पनियों के लिये लाभ की दर निश्चित करना

*666. **श्री हरिकिशोर सिंह :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारों के मूल्यों के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए कार बनाने वाली विभिन्न कम्पनियों के लाभ की दर निश्चित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(क) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) और (ख). सर्वोच्च न्यायालय ने 24 नवम्बर, 1971 को दिए गए अपने निर्णय में उन सिद्धान्तों को निर्धारित किया है जिन पर देश में निर्मित तीन प्रकार की कारों का भावी विक्रय मूल्य निकाला जाना चाहिए और सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाना चाहिए। निर्धारित किया गया एक सिद्धान्त यह है कि नियोजित पूंजी पर निर्माताओं को 10% लाभ की अनुमति दी जानी चाहिए, जैसा कि कार मूल्य जांच आयोग ने सिफारिश की है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए न्यायालय के निर्णय की तिथि के पश्चात् कारों की कीमत निर्धारित करने में लाभ की इस दर की अनुमति दे दी गई है।

विज्ञान-पुस्तकों के प्रकाशक के लिये राष्ट्रीय आयोग

*667. **डा० रानेन सेन** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान पुस्तकों के प्रकाशन के लिये एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या क्या हैं ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Defects Noticed in Kota Atomic Power Station

*670. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the minister of **Atomic Energy** be pleased to state :

(a) whether the construction work of Atomic Power Station being set up at Kota has been found defective and if so, the defects noticed therein ;

(b) whether the construction work has been executed by the Department or on contract basis, and

(c) the amount suspected to have been misappropriated therein ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Home Affairs and Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi): (a) No defects have been noticed.

(b) All work relating to the nuclear portion of the Station is executed by the Department whereas a major portion of the remaining work is done on contract basis.

(c) Nil.

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को अपने कार्यक्रम कार्यान्वित करने में होने वाली कठिनाइयां

*671. **श्री बी० एन० बी० सिंह** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को अपने कार्यक्रम कार्यान्वित करने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ; और

(ख) उन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). अधिकतर राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की प्रबन्ध-व्यवस्था कार्यकारी परिषदों में निहित हैं और वे, जहां तक सम्भव है, अधिकारों के अधिक से अधिक विकेन्द्रीकरण के साथ स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। उनके कार्य करने में तथा कार्यक्रमों के कायन्वियन में कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई। फिर भी, सरकार समिति ने अपने प्रतिवेदन के खण्ड-2 में प्रत्येक स्तर पर अधिकारों के अधिकाधिक विकेन्द्रीयकरण और प्रयोगशाला में एक सामन्वयिकि प्रणाली के प्रशासन की सिफारिश की है। सिफारिशें स्वीकार कर ली गयी हैं और इन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है।

'अपना मीटर रखिये' योजना

*677. **श्री बेकारिया : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार टेलीफोन के लिये अपना टेलीफोन रखिये योजना की तरह 'अपना मीटर रखिये' योजना प्रारम्भ करने का है ;

(ख) क्या योजना को इस बीच अंतिम रूप दे दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी नहीं। जिन क्षेत्रों में टेलीफोन शुल्क कालों के हिसाब से लिया जाता है, उनमें प्रत्येक टेलीफोन उपभोक्ता की लाइन के लिए मीटर होता है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

चौथी योजना के दौरान हरियाणा में सरकारी क्षेत्र के कारखानों की स्थापना

*678. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान हरियाणा राज्य में सरकारी क्षेत्र के कितने कारखाने स्थापित करने का विचार है ;

(ख) ये कारखाने किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे ; और

(ग) प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या है और इस प्रयोजन के लिये कितनी निधि नियत की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) से (ग). प्रति वर्ष 12,000 की क्षमता से "जीटर" 2011/2511 (20 अ० श०) के कृषि ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिए एक परियोजना चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में केन्द्रीय क्षेत्र में हरियाणा के पिंजौर में स्थापित की जा रही है, इस परियोजना के लिए चौथी योजना में 5 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है ।

राज्य क्षेत्र में चौथी योजना में राज्य की औद्योगिक परियोजनाओं के लिए 81 लाख रुपये के व्यय की व्यवस्था है, चौथी योजना में निम्नलिखित परियोजनाओं को क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है :–

1. मद्यनिर्माणशाला परियोजना, मुर्थल (सोनीपत के निकट)
2. कांच की बोतल परियोजना, मुर्थल (– वही –)
3. चर्मशोधन परियोजना, जिंद
4. सिगरेट परियोजना
5. इस्पाती बिलेट परियोजना

मंत्रालयों और विभागों के आंतरिक प्रचार की व्यवस्था के बारे में अध्ययन दल

*679. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** :
श्री सी० चित्ति बाबू :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अध्ययन दल ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के आंतरिक प्रचार की व्यवस्था के बारे में पुनर्विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पुनर्विचार के क्या मुख्य निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) अध्ययन दल के सुझावों पर क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) से (ग). जी, हां । अध्ययन दल ने अभी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की है ।

आकाशवाणी और टेलीविजन पर राजनैतिक चर्चाएं

*680. **श्री बी० वी० नायक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजनैतिक चर्चाओं के लिये रेडियो एवं टेलीविजन पर समय देने के बारे में सभी दलों की सहमति प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या सभी दलों की सहमति से अथवा उसके बिना रेडियो और टेलीविजन के समय के बटबारे के सम्बन्ध में संसदीय समय के बटवारे के सिद्धांत नहीं अपनाये जा सकते ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) और (ख). सरकार ध्वनि तथा टेलीविजन माध्यमों द्वारा दलीय राजनैतिक प्रसारणों के लिए समय के आवंटन के प्रश्न पर किसी भी स्वीकृत व्यवस्था का स्वागत करेगी। तथापि, चुनावों के समय इस प्रकार की व्यवस्था पर सभी दलों की सहमति प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा किये गये अनेक प्रयत्न अभी तक असफल रहे हैं।

Bilateral Agreements entered into by Manager of Nepanagar with Labour Unions

4803. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) the number of bilateral agreements entered into by the Managers of Nepanagar with the different Labour Unions during the last three years, Year-wise up-to the end of February, 1972 ;

(b) the names of labour unions recognised there during the said period year-wise ; and

(c) whether any assessment has been made or is proposed to be made with a view to improving industrial relations at Nepanagar ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Number of bilateral agreements reached by the management of NEPA Mills with the representative union was two in 1970, nil in 1971 and seven in 1972 so far.

(b) During the period under reference, only one union, namely, Rashtriya Kagaz Mill Karmchari Union has been the recognised union.

(c) The industrial relations in Nepamills have been cordial and the question, therefore, does not arise.

चौथी योजना के दौरान अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कमी

4804. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कितनी कमी आई है ; और

(ख) इस कमी को पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). कहां तक कमियां आई हैं तथा इनके निराकरण के लिए प्रस्तावित कदम सभा में हाल में प्रस्तुत मध्यावधि मूल्यांकन दस्तावेज तथा वार्षिक योजना 1972-73 दस्तावेज में विस्तार से बताये गये हैं ।

परमाणु विस्फोट

4806. **श्री वयालार रवि** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विस्फोट का पता लगाने वाली हमारे देश की प्रणाली में चीन द्वारा किये गये कितने परमाणु विस्फोट रिकार्ड किये गये ;

(ख) क्या विश्व के विभिन्न भागों में भूमिगत विस्फोटों सहित परमाणु विस्फोटों को रिकार्ड करने के लिये हमारे केन्द्रों की कार्य-कुशलता बढ़ाने का सरकार का प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है तथा इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) परमाणु अस्त्रों के विस्फोट का पता लगाने वाली हमारी व्यवस्था ने सन् 1966 से लेकर अब तक चीन द्वारा किये गये पांच विस्फोटों का पता लगाया है ।

(ख) परमाणु विस्फोटों, जिनमें भूमि के नीचे किए गए विस्फोट भी शामिल हैं, का पता लगाने के लिए भारत में स्थापित केन्द्रों की कार्यक्षमता को बढ़ाने की सम्भावनाओं का पुनरीक्षण भारत सरकार निरन्तर करती रहती है । ये केन्द्र विश्व के विभिन्न भागों में किए जाने वाले विस्फोटों का पता लगाने में पूर्णतः सक्षम हैं । अतः वर्तमान में बड़े पैमाने पर इनका विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

टाटा बन्धुओं को लाइसेंसों का जारी करना

4807. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में और चालू वर्ष में अब तक टाटा उद्योग समूह से सम्बन्धित (एक) टाटा कैमीकल्ज लिमिटेड, (दो) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, (तीन) लक्मे लिमिटेड और (चार) इण्डियन स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड कम्पनियों को किस प्रकार के लाइसेंस जारी किये गये हैं ;

(ख) क्या उपरोक्त फर्मों ने इन लाइसेंसों का पूरी तरह से उपयोग कर लिया है ; और

(ग) यदि नहीं । तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1/1/70 से 31/3/72 तक की अवधि में टाटा उद्योग समूह के उद्योगों द्वारा नियंत्रित इन फर्मों को 7 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये । इन औद्योगिक लाइसेंसों का किस्म वार ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है ।

फर्म का नाम	लायसेंस की किस्म	जारी किये गये लाइसेंसों की संख्या
1. मे० टाटा कैमिकल्स लि०	कार्य चलाने के लिये	2
	पर्याप्त विस्तार	1
2. मे० टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लि०	कार्य चलाने के लिये	1
	पर्याप्त विस्तार	1
3. लैक्मे लि०	कार्य चलाने के लिये	1
4. इंडियन स्टैंडर्ड मैटल क० लिमिटेड	कार्य चलाने के लिये	1

(ख) और (ग). लाइसेंस जारी होने से उत्पादन आरम्भ करने में औद्योगिक उपक्रमों को साधारणतया 2 वर्ष से 3 वर्ष तक लग जाते हैं। इसीलिए, पर्याप्त विस्तार के लिये दिये गये लाइसेंस क्रियान्वयन की विभिन्न स्थितियों में हैं।

मध्य प्रदेश में तीसरी और चौथी योजना के लघु उद्योग

4808. **श्री मार्तण्ड सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी और चौथी योजना में मध्य प्रदेश में क्षेत्रवार कितने लघु उद्योग स्थापित किए गये ; और

(ख) किस प्रकार से उद्योग स्थापित किए गए ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Expansion of Orient Paper Mill Shahdol (M. P.)

4809. **Shri Martand Singh :** Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether any proposal for expansion of Orient Paper Mill, Shahdol (Madhya Pradesh) has been submitted for consideration of the Central Government ; and

(b) if so, the action taken by Government thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) A prima-facie rejection letter was issued on the ground that the State Government was not in a position to guarantee sustained availability of raw materials. The company's representation against the primafacie rejection is under consideration in further consultation with the State Government.

Issue of Licences for setting up of Small Scale Industries in M. P.

4810. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) the number and names of small scale industries in Madhya Pradesh to which licences were granted during 1970-71 ; and

(b) the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). No licence is generally required for setting up small scale industries.

Industrial Establishments in M. P.

4811. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state the number of industrial establishments functioning in Madhya Pradesh State at present ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : In the Central public sector, the industrial establishments functioning in the State of Madhya Pradesh at present are :

1. Bhilai Steel, Bhilai.
2. Heavy Electricals (India) Ltd., Bhopal.
3. Nepa Mills, Nepanagar.
4. Security Paper Mills, Hoshangabad.
5. Korba Aluminium, Korba.
6. Mandhar Cement Factory, Mandhar.
7. Alkaloid Factory, Neemuch.
8. Collieries owned and controlled by the National Coal Development Corporation.
9. National Mineral Development Corporation, Bailadila Project No. 14.

In addition there are installations belonging to Indian Oil Corporation and Central Warehousing Corporation.

2. In the private sector, the number of industrial units registered with the State Director of industries, both in the large and medium sector and small scale sector, as at the end of 1971, was as follows :

Large and Medium Sector under I (D&R) Act	—	137
Small Scale Sector	—	19,441

मध्य प्रदेश के पिछड़ क्षेत्रों से सहायता अनुदान के प्रार्थी

4812. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में स्थित उद्योगों के लिए केन्द्रोय सरकार से सहायता अनुदान लेने हेतु कितने लोगों ने अपने नाम रजिस्टर कराए हैं ;

(ख) इस प्रयोजन के लिए मध्य प्रदेश राज्य को अब तक कितनी धनराशि दी गई है ; और

(ग) धन के वितरण के लिए किस मापदण्ड को अपनाया गया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). 10 प्रतिशत केन्द्रीय सीधा अनुदान या राज सहायता योजना, 1971 के अन्तर्गत 25 अप्रैल, 1972 तक 33 आवेदकों ने स्वयं को राज्य सरकार के पास पंजीकृत किया बताया गया है। योजना की प्रयोज्यता और वितरण करने के ढंग को 26 अगस्त, 1971 की राजपत्र अधिसूचना में विस्तार से दिया गया है, योजना के अनुरूप, आवेदन पत्रों की जांच करने और निर्धारित ढंग से वितरण करने के लिए एक राज्य-स्तर समिति स्थापित की जानी है। राज्य सरकार ने यह भी बताया है कि कोई भी आवेदन अभी वितरण योग्य नहीं हुआ है और कोई वितरण नहीं किया गया है।

सस्ती दरों पर मनोरंजन देने के लिए सरकारी छवि गृहों की स्थापना

4813. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सस्ते दामों पर और एक साथ अधिक संख्या में जनता का मनोरंजन करने हेतु छवि-गृहों की स्थापना करने की वांछनीयता पर विचार किया है ; और

(ख) क्या फिल्म उद्योग ने सरकार के विचार के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव उसे दिया है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) देश में सिनेमाघरों की कमी को महसूस करते हुए, सरकार अधिकाधिक सिनेमाघरों की स्थापना की आवश्यकता से सदैव सहमत रही है। सिनेमा राज्य विषय है, अतः केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से नए सिनेमाघरों के निर्माण के लिए प्रोत्साहन तथा सुविधाएं देने के लिए समय समय पर अपील की है।

(ख) जी नहीं; फिल्म उद्योग की प्रतिनिधि संस्थाओं ने इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं किया है।

संयुक्त परामर्शदाता संघ में शामिल होने के लिये आल इण्डिया डिफेन्स इम्प्लाईज फेडरेशन का निर्णय

4814. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया डिफेन्स इम्प्लाईज फेडरेशन ने संयुक्त परामर्शदाता तंत्र में शामिल होने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय परिषद् और विभागीय परिषद के लिए भेजे गये नामों पर गृह मंत्रालय ने अभी तक स्वीकृति नहीं दी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करने के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाये गये हैं ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). राष्ट्रीय परिषद तथा रक्षा मन्त्रालय की विभागीय परिषद के लिए फेडरेशन द्वारा भेजे गये नामों की स्वीकृति पर विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की आशा है।

अमरीका और अन्य यूरोपीय देशों में भारतीय वैज्ञानिक

4815. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **विज्ञान और प्रोद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका, ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय देशों में देशवार कितने भारतीय वैज्ञानिक हैं ;

(ख) उनमें से कितने वैज्ञानिकों ने, यदि उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध किये जायें, तो भारत वापस आने के लिये सरकार से अनुरोध किया है ;

(ग) उनमें से कितनों को भारत में रोजगार दे दिया गया है ; और

(घ) उनमें से अब तक कितने व्यक्ति भारत वापस आ गये हैं ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) कोई ठीक-ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय रजिस्टर के प्रवासी भारतीय अनुभाग, जिसका पंजीकरण स्वैच्छिक है, से उपलब्ध सूचना के अनुसार 31.12.1971 को यू. एस. ए., यू. के. और अन्य यूरोपीय देशों में 2208 वैज्ञानिक थे। उनका देशवार विवरण इस प्रकार है :–

यू. एस. ए.	–	1437
यू. के.	–	443
अन्य यूरोपीय देश–		328
		2208

(ख) कुछ अपवादों को छोड़कर, उन सभी लोगों ने जिन्होंने राष्ट्रीय रजिस्टर के प्रवासी अनुभाग में अपना पंजीकरण कराया है, किसी रोजगार के प्रस्ताव के बिना भी, किसी न किसी समय, भारत वापस आने की इच्छा व्यक्त की है।

(ग) और (घ). वर्ष 1971 के दौरान विदेशों में स्थित कुल 2,208 वैज्ञानिकों में से 268 वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक पूल में चयन किया गया था। उनमें से 121 वैज्ञानिक भारत वापस लौट आये थे। अन्य वैज्ञानिक भी वापस आते हैं और सीधे रोजगार तलाश कर लेते हैं।

दिल्ली प्रशासन में चौबीस घंटे काम करने वाला शिकायत-सेल

4816. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन का विचार दिन-रात कार्य करने वाला कोई शिकायत-सेल स्थापित करने का है जिससे विभाग के बारे में शिकायतें प्राप्त हो सकें ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए पुलिस नियंत्रण कक्ष और आबकारी विभाग में पहले से ही ऐसे दो सेल हैं। हाल के युद्ध के दौरान परिवहन निदेशालय, खाद्य व सम्भरण विभाग में इसी प्रकार के सेल स्थापित किये गये थे किन्तु अब ये रात-दिन काम नहीं कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त सचिव (शिकायतें) के अधीन एक विशिष्ट सेल है जिसमें सामान्य शिकायतें तथा प्रेस में प्रशासन के विरुद्ध आरोपों पर कार्यवाही की जाती है। यह सेल केवल कार्यालय समय में कार्य करता है। दिल्ली प्रशासन का रात-दिन कार्य करने वाला कोई अन्य शिकायत-सेल स्थापित करने का विचार नहीं है।

आर्थिक सहयोग सम्बन्धी भारत-श्रीलंका संयुक्त समिति

4817. **श्री० बी० के० दासचौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सहयोग सम्बन्धी भारत-श्रीलंका संयुक्त समिति की एक बैठक 5 अप्रैल, 1972 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में क्या चर्चा की गई थी और क्या निर्णय किए गये थे ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). आर्थिक सहयोग पर भारत-श्रीलंका संयुक्त समिति की एक बैठक 5 से 7 अप्रैल, 1972 तक नई दिल्ली में हुई थी, बैठक की समाप्ति पर जारी की गई संयुक्त वक्तव्य की एक प्रति संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1919/72**]

चौथी लोक सभा के संसद् सदस्यों पर बकाया टेलीफोन बिल

4818. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी भी ऐसे टेलीफोन बिल पड़े हैं जिनका गत संसद् के संसद् सदस्यों ने भुगतान नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उनकी यथाशीघ्र वसूली के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) अनुबन्ध "क" और "ख" पर एक सूची रखी है जिसमें नीचे बताए अनुसार दिल्ली में संसद-सदस्यों को संसद-सदस्यों के लिए आवास तथा टेलीफोन सुविधा सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत दिये गए टेलीफोनों के सम्बन्ध में पिछली संसद की अवधि की बकाया राशियां दिखाई गई हैं।

(i) चौथी लोक-सभा के संसद सदस्य जो पांचवीं लोक-सभा के लिए फिर से नहीं चुने गए।

(ii) चौथी लोक-सभा के संसद-सदस्य जो पांचवी लोकासभा के लिए फिर से चुने गए।

संसद सदस्यों को दिल्ली से बाहर उनके अपने चुनाव क्षेत्र में दिये गए टेलीफोनों के सम्बन्ध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

भूतपूर्व संसद सदस्यों के नाम, जो फिर से नहीं चुने गए, बकाया राशियों के मामलों पर उनसे और लोक-सभा सचिवालय से लिखा-पढ़ी चल रही है ताकि सदस्यों को देय अंतिम वेतन में से इन बकाया राशियों को समायोजित कर लिया जाए।

जहां तक दोबारा चुने गए सदस्यों का प्रश्न है, उनके मामलों में स्वयं उन्हीं से लिखा-पढ़ी चल रही है।

अनुबंध "क"

चौथी लोक-सभा के संसद-सदस्यों, जो पांचवीं लोक-सभा में फिर से नहीं चुने गए, के नाम बकाया राशियां और उन बकाया राशियों को वसूल करने के लिए की गई कार्रवाई।

(i) सदस्य का नाम और उसके नाम बकाया राशि जो कि लोक-सभा सचिवालय को संबंधित सदस्यों के अंतिम वेतन बिलों से वसूल करने के लिए सूचित कर दी गई है।

सदस्य का नाम	बकाया राशि जिसके लिए सदस्यों के अंतिम वेतन बिल में से कटौती करने के लिए लोक-सभा सचिवालय को निवेदन किया गया है।
	रुपये
1. श्रीमती पद्मावती देवी	59.00
2. श्री रणधीर सिंह चौधरी	29.00
3. श्री के० पी० सिंह देव	115.80
4. श्री यज्ञदत्त शर्मा	34.20
5. श्री पी० सी० अदिचन	35.00
6. श्री देवेन सेन	39.60
7. श्री सूरजभान	74.00
8. श्रीमती गिरजा कुमारी	64.75
9. श्री टी० एल० पी० शाह	159.00
10. श्री आर० के० गुप्ता	46.90
11. श्री मुशीर अहमद खान	83.90
12. श्री एस० पी० पुरी	24.00
13. श्री एस० एन० शुक्ल	13.70

सदस्य का नाम	बकाया राशि जिसके लिए सदस्यों के अंतिम वेतन बिल में से कटौती करने के लिए लोक-सभा सचिवालय को निवेदन किया गया है।
14. श्री जे० एच० पटेल	261.30
15. श्री पाशा भाई पटेल	145.00
16. श्री जे० बी० मुथयाल राव	196.40
17. श्री कंसारी हल्दार	5.00
18. श्री ए० एन० मुल्ला	2.10
19. श्री एन० एस० शर्मा	32.20
20. श्री ए० के० चावडा	4.00
21. श्री श्रीनिवास मिश्र	86.40
22. श्री बलराज मधोक	2.00
23. श्री ओ० पी० त्यागी	155.05
24. श्री जी० एस० रेड्डि	27.60
25. श्री एन० अम्बूचेजियन	102.80
26. श्री सी० मुत्तुस्वामि	146.00
27. श्री सी० दास	85.30
28. श्रीमती शारदा मुखर्जी	90.00
29. श्री रामचरन	12.30
30. श्री एस० एन० द्विवेदी	4.10
31. श्री अमर सिंह सहगल	114.70
32. श्री बी० नारायणन्	4.00

(ii) भूतपूर्व संसद-सदस्यों के विवरण जिनके नाम की बकाया राशियां वसूल करने के लिए उन्हें नियमित तौर पर रिमाइंडर/नोटिस जारी करके लिखा पढ़ी चल रही है।

सदस्य का नाम	बकाया रकम रुपये
1. श्री मनु भाई पटेल	940.45
2. श्री (मेजर) रणजीत सिंह	755.85
3. श्री अब्दुल गनी दर	1805.65
4. श्री गुरचरन सिंह	692.76
5. श्री कीकर सिंह	3470.20
6. श्री एस० डी० माने	5190.75
7. श्री मेघराज जी	1155.00

सदस्य का नाम	वकाया रकम रुपये	
8. श्री यशपाल सिंह	100.40	
9. श्री लखन लाल कपूर	973.55	
10. श्री निरलेप कौर	4858.20	
11. श्री समरेन्द्र कुन्दू	534.75	
12. श्री जे० एन० हजारिका	1446.75	
13. श्री ललित सेन	591.31	
14. श्री धीरेश्वर कलिता	5.02	
15. श्री एम० एल० मीना	2621.75	
16. श्री बी० के० डी० बर्मन	3304.47	
17. श्री बाल्मीकि चौधरी	1227.40	
18. श्री देवेन्द्र विजय सिंह	1040.64	
19. श्री के० अपारायगन	270.32	
20. श्री मानवेन्द्र शाह	1599.60	
21. श्री कामेश्वर सिंह	1100.22	
22. श्री शशिरंजन	4255.29	
23. श्री डी० एन० पटोदिया	2819.60	
24. श्री के० एन० बजाज	290.95	
25. श्री गुणानंद ठाकुर	502.85	
26. श्री ओंकार लाल बोहरा	820.45	
27. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया	78.27	
28. श्री जमुना लाल बेरुवा	1359.25	
29. श्री टी० विश्वनाथन्	137.10	
30. श्री मृत्यंजय प्रसाद	492.25	
31. श्रीमती (डा०) सुशीला नय्यर	465.05	
32. श्री तुलसी दास सेठ	428.18	
33. श्री आर० के० अमीन	246.15	
34. श्री भानुप्रकाश सिंह	341.00	
35. मास्टर भोला नाथ	255.06	(मीटर रीडिंग की शिकायत पर विचार किया जा रहा है)

अनुबंध "ख"

चौथी लोक-सभा के उन सदस्यों के नाम जो पांचवीं लोक-सभा में भी फिर से चुने गए हैं और जिनके नाम की बकाया राशियों की वसूली के मामलों पर सामान्य तरीके से लिखा-पढ़ी चल रही है :

सदस्य का नाम	बकाया राशि रुपये	
1. श्री एन० के० पी० साल्वे	10,220.10	
2. श्री सी० सी० देसाई	344.28	
3. श्री वी० के० कृष्ण मेनन	10,45.60	
4. श्री दिग्विजय नारायण सिंह	8,307.50	
5. श्री एस० एम० बनर्जी	1,516.85	
6. श्री आर० आर० सिंह देव	456.90	
7. श्री के० एन० तिवारी	260.95	बिल विवाद-ग्रस्त है ।
8. श्री बूटा सिंह	825.22	

फिल्म वित्त निगम के निदेशक मण्डल की बैठकें

4819. **श्री वयालार रवि** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म वित्त निगम के निदेशक मण्डल की 1970 से कितनी बैठकें हुई ; और

(ख) इस अवधि में निदेशक मण्डल के सदस्यों के यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्तों पर कितना धन व्यय हुआ ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जनवरी, 1970 से मार्च, 1972 तक की अवधि में दस ।

(ख) 14,565/- रुपए ; इसमें इस अवधि के लगभग 8,500/- रुपए के वे देय भत्ते शामिल नहीं हैं, जिनके बारे में अभी तक सम्बन्धित निदेशकों से क्लेम प्राप्त नहीं हुए हैं ।

एक सरकारी कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु पर उसकी पत्नी को रोजगार देना

4820. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सरकारी कर्मचारी की पत्नी को उसके पति की आकस्मिक मृत्यु पर उपयुक्त रोजगार दिया जाता है ;

(ख) क्या ऐसे मामलों में योग्यता सम्बंधी रियायत भी दी जाती और मिडिल पास विधवा को निम्न श्रेणी लिपिक का पद दिया जाता है और उससे दो वर्ष में मैट्रिक पास करने को कहा जाता है ; और

(ग) क्या सभी कार्यालयों में इस नियम का पालन समान रूप से किया जाता है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार के अधीन श्रेणी iii तथा श्रेणी iv के पदों के लिए निर्धारित भर्ती पद्धति के अनुसार श्रेणी iii तथा श्रेणी iv के पदों की भर्ती रोजगार कार्यालयों के माध्यम से होनी आवश्यक है—इसमें श्रेणी iii के वे पद शामिल नहीं हैं जिनकी भर्ती सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान के माध्यम से की जाती है । तथापि, 1958 में जारी हुए गृह मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार, यदि कोई सेवारत सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान मृत्यु के कारण अपने परिवार को निर्धन हालात में छोड़ जाए तो उसके लड़के/लड़की/निकट सम्बन्धी (इसमें विधवा भी शामिल है), को सरकार के अधीन श्रेणी iii/iv के पदों पर नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि उसकी मृत्यु के कारण, और परिवार में कोई दूसरा कमाने वाला सदस्य न होने के कारण, उसका परिवार तात्कालिक सहायता का जरूरतमंद हो। अगस्त, 1966 में आदेश जारी किए गए जिसके अनुसार नियम एस० आर० 2 (10) के अधीन विभागाध्यक्ष के रूप में घोषित कोई अधिकारी अपने अधीन सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय के किसी पद पर उपरोक्त सन् 1958 के आदेशों के अनुसार, रोजगार कार्यालय को बिना लिखे, उस मृतक कर्मचारी के लड़के/लड़की/निकट सम्बन्धी को नियुक्त कर सकता है । सन् 1968 में, 1958 के उपरोक्त आदेशों को और अधिक उदार रूप देते हुए यह व्यवस्था की गई कि किसी सरकारी कर्मचारी के सेवा काल में मृत्यु के कारण उसके परिवार की निर्धन अवस्था तथा तत्काल सहायता की जरूरत को देखते हुए, बावजूद इस बात के कि उसके परिवार में कोई कमाने वाला सदस्य है, उसके लड़के/लड़की/निकट संबंधी की श्रेणी iii/श्रेणी iv के पदों पर नियुक्ति पर, मंत्रालय/विभाग के सचिव की विशेष अनुमति से तथा रोजगार कार्यालय को बिना लिखे, विचार किया जा सकता है।

2—उपरोक्त आदेशों के अनुसार किसी मृतक सरकारी कर्मचारी के लड़के/लड़की/निकट संबंधी की श्रेणी iii (केन्द्रीय सचिवालय के अवर श्रेणी क्लर्क के पद को छोड़ कर) । श्रेणी—iv के पदों पर नियुक्ति के मामलों में, निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं में, यदि आवश्यक हो, अस्थायी छूट दी जा सकती है, बशर्ते कि सम्बन्धित उम्मीदवार को दो वर्ष में अपेक्षित योग्यता पा लेने का वचन देना होगा ।

3—जहां तक केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में सम्मिलित अवर श्रेणी लिपिकों के पदों का सवाल है (जिसकी भर्ती सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान के माध्यम से की जाती है), संवर्ग प्राधिकारी, कार्मिक विभाग के परामर्श से किसी भी वर्ष की कुल रिक्तियों के अधिक से अधिक 5 प्रतिशत रिक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम 1962 को व्यवस्थाओं के प्रतिकूल, सेवा काल में मृत्यु को प्राप्त हुए सरकारी कर्मचारी के लड़के या लड़की या पत्नी या पति या भाई या बहन की नियुक्ति द्वारा भर सकता है । अलबत्ता ऐसे मामलों में निर्धारित शैक्षिक योग्यता में छूट नहीं दी जाती ।

टेलीफोन ब्रांचों में इंजीनियरिंग सुपरवाइजरों के पदों के लिए विज्ञान स्नातकों का चयन

4821. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम्** : क्या **संचार** मंत्री टेलीफोन ब्रांचों में इंजीनियरिंग सुपरवाइजरों के पदों के लिए इंजीनियरिंग के डिप्लोमा धारियों की अपेक्षा विज्ञान स्नातकों को प्राथमिकता देने के बारे में 12 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2564 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन ब्रांचों में इंजीनियरिंग सुपरवाइजरों की भर्ती के लिए इंजीनियरिंग के डिप्लोमा धारियों की अपेक्षा विज्ञान स्नातकों को प्राथमिकता देने के क्या कारण हैं, और

(ख) क्या विज्ञान स्नातकों की भर्ती इसलिए की गई थी कि इंजीनियरी डिप्लोमा धारी उपलब्ध नहीं थे ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) डाक-तार विभाग की दूरसंचार शाखा में कई तरह के साज-सामानों का इस्तेमाल होता है और दूरसंचार के क्षेत्र में टेक्नालोजी का तेजी से विकास हो रहा है। इंजीनियरिंग सुपरवाइजरों के स्तर पर जो स्टाफ भर्ती होता है उसकी शैक्षिक पृष्ठभूमि अच्छी होनी चाहिए और वैज्ञानिक क्षेत्र में उसे अच्छी ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है जिससे कि वह तेजी से बदलती हुई टेक्नालोजी को शीघ्र आत्मसात कर सकें और अपने आपको उसके अनुसार ढाल भी सकें। उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार चुनने से इसमें मदद मिलती है।

(ख) जी नहीं।

लघु उद्योगपतियों को लाइसेंसों की डुप्लिकेट प्रति

4822. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ छोटे उद्योग पतियों ने, जिनके उद्योग-लाइसेंस खो गये थे, उनके मंत्रालय से कुछ समय पहले लाइसेंस की डुप्लीकेट प्रति देने का अनुरोध किया था, और उनके आवेदन पर अभी भी निर्णय नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). इस किस्म के लाइसेंस धारी औद्योगिक उपक्रमों से औद्योगिक लाइसेंस की अनुलिपि प्राप्त करने के प्रार्थना पत्र समय समय पर मिलते रहे हैं। औद्योगिक उपक्रम पंजीयन तथा लाइसेंसिंग नियम, 1952 के निमय 19 बी के अनुसार इस कार्य के लिये उन्हें 5 रुपये फीस देना पड़ती है। जब कभी भी अपेक्षित फीस के साथ ऐसे प्रार्थनापत्र प्राप्त होते हैं, यथासंभव शीघ्रता से उन पर कार्यवाई की जाती है। फिर भी, बहुत अधिक पुराने अथवा बेठिकाने रखे हुए रिकार्ड के मिलने में हुई देरी के कारण किन्हीं मामलों में डुपलीकेट लाइसेंस जारी करने में अधिक समय लगा होगा।

भारतीय यूरेनियम निगम, जादूगुडा (बिहार) के जादूगुडा यूरेनियम कारखाने में मान्यता प्राप्त कार्मिक संघ

4823. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय यूरेनियम निगम, जादूगुडा, जिला सिंहभूम, बिहार राज्य के जादूगुडा यूरेनियम कारख़ाने में कितने कार्मिक संघ हैं ; और

(ख) इस समय कितने कार्मिक संघों को प्रबन्ध ने मान्यता दे दी है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तथा (ख). यूरेनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के संयंत्र में जादूगुडा लेबर यूनियन तथा यूरेनियम कर्मचारी संघ नामक दो श्रमिक संगठन थे। इनमें से जादूगुडा लेबर यूनियन को कारपोरेशन द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। तथापि, उनको लगातार चलने वाली ऐसी गति-विधियों के कारण जो कि अनुशासन सम्बन्धी नियमों के विरुद्ध थीं, इसकी मान्यता 4 दिसम्बर, 1971 को रद्द कर दी गई।

भारत में जेलों में रखे गये बिहारी मुसलमान

4824. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश में रह रहे बिहारी मुसलमानों को बंगला देश में स्वतंत्रता आन्दोलन आरम्भ होने के बाद भारत लाकर जेलों अथवा किसी विशेष जगह पर रखा गया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है तथा उन्हें अब भी जेल में रखने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उनके पुनर्वास के लिए सरकार का क्या तथा कब तक कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग). बंगला देश में स्वतंत्रता आन्दोलन के आरम्भ होने के बाद किसी ऐसे कथित बिहारी मुसलमान के भारत में लाये जाने और उसे किसी जेल में रखे जाने की सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शारीरिक प्रशिक्षण और सैद्धान्तिक कक्षाएं

4826. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य सरकार की जानकारी में लाया गया है कि देश के विभिन्न भागों में हाई स्कूलों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं के परिसर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शारीरिक प्रशिक्षण और सैद्धान्तिक कक्षाएं चलती हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में एम० जी० एम० हाई स्कूल में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रशिक्षण

के सम्बन्ध में हिन्दपुर ताल्लुक छात्र फैडरेशन, आन्ध्र प्रदेश के सैक्रेटरी की ओर से विशेष शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) कोई ऐसी विशिष्ट शिकायत प्राप्त हुई प्रतीत नहीं होती । यह राज्य सरकार से मालूम किया जा रहा है कि क्या इस स्कूल में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की कोई गतिविधियां की जाती हैं ।

(ग) मध्य प्रदेश तथा मैसूर की सरकारों और दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और इसी प्रकार की संस्थाओं की गतिविधियों के लिये सरकारी स्कूलों के प्रांगणों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने वाले अनुदेश जारी किये गए हैं । अन्य राज्य सरकारों से सूचना अभी प्राप्त होनी है ।

Demand for increase in Cotton Crushing Capacity in Madhya Pradesh

4827. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) the quantum of cotton-seeds crushed for extracting oil in Madhya Pradesh during the last three years ;

(b) whether the Madhya Pradesh Government have sought any help from the Central Government for increasing its crushing capacity ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The quantity of cotton seed crushed in the State of Madhya Pradesh during the last three years in the organised sector is as under :

Year	**Quantity** (in '000 tonnes)
1969	30
1970	17
1971	16.7

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

बैंकांक में एशिया और सुदूरपूर्व के लिये आर्थिक आयोग का सम्मेलन

4828. **श्री राम सहाय पांडे :**
श्री बी० के० दासचौधरी :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बैंकांक में हुए एशिया और सुदूरपूर्व के लिये आर्थिक आयोग के सम्मेलन

में एशिया के उद्योग और प्राकृतिक संसाधनों का विकास करने के लिये नई परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त आयोग द्वारा बनाई गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा भारत को किन-किन परियोजनाओं से लाभ पहुंचेगा ; और

(ग) उक्त सम्मेलन में बनाई गई योजना के अन्तर्गत भारत के उद्योगों और प्राकृतिक संसाधनों के विकास के लिये आयोग से भारत को किस प्रकार की तकनीकी और वित्तीय सहायता मिलेगी ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) से (ग). एशिया और सुदूर पूर्व देशों के आर्थिक आयोग (इकाफे) के हाल में बैंकांक में हुए सम्मेलन में एशिया में उद्योगों और प्राकृतिक स्रोतों के विकास के सम्बन्ध में किन्हीं नई परियोजनाओं वाली कोई विशिष्ट योजना तैयार नहीं की गई हैं। अतः इस योजना के अधीन आयोग से भारत को तकनीकी और आर्थिक सहायता मिलने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। किन्तु पहले स्वीकार की गई योजनाओं की आयोग देख भाल कर रहा है। आयोग प्रतिवर्ष अपना वार्षिक सम्मेलन बुलाता है जिसमें उस वर्ष का कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है इस वर्ष आयोग का 28वां वार्षिक अधिवेशन 15 मार्च से 27 मार्च, 1972 तक बैंकाक में हुआ तथा उस अधिवेशन में 1972-73 के लिये कार्यक्रम निर्धारित किया गया।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1972-73 की अवधि में आयोग द्वारा लिये जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रस्तावित कार्यों चाहे वे "चल रही" प्रायोजनाओं से सम्बन्धित हो अथवा "नई" प्रायोजनाओं से उनका विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। उद्योगों और प्राकृतिक स्रोतों से विषयक मानवीय परिस्थितियों से सम्बन्धित केवल एक प्रायोजना इस वर्ष के कार्यक्रम में दृष्टिगोचर होती है और वह भी सभी विकासशील कार्यों में वातावरण सम्बन्धी महत्व को ध्यान में रखकर विशेषकर उद्योगों और प्राकृतिक स्रोतों के विकास के लिये सम्मिलित की गई है।

परिस्थिति जन्य विषयों को ध्यान में रखते हुए विकास सम्बन्धी योजनायें तैयार करने विकास सम्बन्धी महत्व की दृष्टि से कार्यक्रमों और प्रायोजनाओं को तैयार करने तथा उस क्षेत्र की परिस्थिति सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं को विविध पहलुओं से सुलझाने में सदस्य देशों की सहायता करना इस नई प्रायोजना की मुख्य बातें हैं। इस उद्देश्य के लिए अन्य कार्यों के साथ प्रायोजना में इकाफे सचिवालय में ह्यूमन एनवाइरनमेंट एकक स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था किन्तु आयोग ने अनुभव किया कि इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र इस वर्ष जून में स्टाकहोम में ह्यमन एनवायरनमेंट (मानक परिस्थितियों) पर आयोजित होने वाले सम्मेलन के परिणामों से अवगत होने के पश्चात् विचार किया जाये। क्षेत्र की परिवेश सम्बन्धी परिस्थितियों में गम्भीर गिरावट को रोकने के लिये समय से कार्यवाही करने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर आयोग ने एकाफे सचिवालय से स्टाकहोम सम्मेलन के तुरन्त बाद एकाफे क्षेत्र की मानवीय परिस्थितियों के बारे में व्यापक योजना सम्मेलन के अनुरूप और इकाफे क्षेत्र के सदस्य देशों की विशिष्ट परिस्थितियों के संदर्भ में तैयार करने को तथा उसे 1973 में होने वाले 29 वें अधिवेशन में प्रस्तुत करने को कहा है। इस प्रकार की ह्यूमन एनवायरनमेंट सम्बन्धी कार्यक्रम या योजना का जब कभी भी इकाफे के तत्वाधान में कार्यान्वियन किया जायेगा तो क्षेत्र के अन्य देशों के साथ भारत वर्ष भी इस नई योजना से लाभान्वित होगा।

बेरोजगार वैज्ञानिक

4829. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने वैज्ञानिक बेरोजगार हैं ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में उन्हें रोजगार देने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) वर्ष 1971 की जन-गणना के अनुसार देश में 94,147 वैज्ञानिक बेरोजगार थे।

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति ने वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक पैनल स्थापित किया है, जो आशा है, योजना आयोग के साथ परामर्श कर इस सम्बन्ध में ठोस सुझाव तैयार करेगा। भारत सरकार का यह भी प्रस्ताव है कि विशिष्ट इंजीनियरों और वैज्ञानिकों आदि को भारत में ही रखने के लिये अधिसंख्यक पद बनाये जायें ताकि उनको रोजगार के अभाव में विदेशों में न जाना पड़े। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का वैज्ञानिक पूल, विदेशों से भारत में रोजगार मिलने का आश्वासन प्राप्त किये बिना वापस आने वालों तथा भारत में ही उपलब्ध विशिष्ट योग्यता प्राप्त बेरोजगार वैज्ञानिकों को अस्थाई नियुक्ति प्रदान करता है।

रोजगार के अवसरों को उन्नत करने के लिये जो उपाय किये गये हैं, उनका विवरण संलग्न है।

विवरण

वैज्ञानिकों के लिये रोजगार की सुविधाओं में सुधार लाने के लिये जो उपाय किये जा चुके हैं, वे इस प्रकार हैं :

(1) रोजगार के लिये उपलब्ध व्यक्तियों का विवरण देते हुए 'तकनीकी जनशक्ति बुलेटिन' प्रकाशित किया जाता है। इस बुलेटिन की लगभग 3,000 प्रतियां रोजगार प्रदान करने वाले संगठनों को निःशुल्क वितरित की जाती हैं ताकि उनको ऐसे व्यक्तियों का उपयोग करने में सुविधा हो।

(2) भर्ती करने वाले निकायों तथा रोजगार देने वालों द्वारा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को प्रेषित अधिसूचनाओं के प्रतिउत्तर में योग्य उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की जाती है।

(3) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों की जांच भी करता है और उन विज्ञापनों के अनुसार उपयुक्त योग्यता वाले पंजीकृत लोगों के नामों की विचारार्थ सिफारिश भी करता है।

(4) विशेष कर विदेशों से वापस लौटने वाले सुयोग्य भारतीय वैज्ञानिकों, तकनीकीविदों, इंजीनियरों और डाक्टरों को वैज्ञानिक पूल में अस्थाई नौकरी दिलाना।

(5) देश में वैज्ञानिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिये राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों और अनुसंधान केन्द्रों तथा विश्वविद्यालयों के बाहर भी शिक्षावृत्तियां दी जाती हैं ।

(6) अनुसंधान कार्य के लिये वैज्ञानिकों को सहायता अनुदान प्रदान करना ।

(7) सरकार ने विदेशों में कार्यरत और अध्ययनरत वैज्ञानिकों को तुरन्त अस्थायी नौकरी प्रदान करने के लिये स्वीकृत वैज्ञानिक संस्थानों को भी अधिसंख्यक पदों के निर्माण का अधिकार दे दिया है ।

(8) बेरोजगार उद्योगी व्यक्तियों (वैज्ञानिकों सहित) को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है ।

(9) वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और अन्य बेरोजगार व्यक्तियों को अपने आप धंधा चलाने के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की है ।

डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली में रह रहे अवकाश प्राप्त मेजर की गिरफ्तारी

4830. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली में रह रहे एक अवकाश प्राप्त मेजर को धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में 24 फरवरी, 1972 को गिरफ्तार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस अवकाश प्राप्त मेजर का पूर्व जीवनवृत्त क्या है तथा उसके विरुद्ध क्या आरोप लगाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). पुलिस थाना डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली में एक मामले प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 149 दिनांक 23-2-1972 में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420/511/467/471 के अन्तर्गत एक अवकाश प्राप्त मेजर दर्शन सिंह अहलुवालिया आत्मज स्व० सरदार लाभ सिंह, निवासी ए-197 डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली 23-2-1972 को गिरफ्तार किया गया था न कि 24-2-1972 को। वह ग्राम वछौरा जिला सियालकोट (पश्चिम पाकिस्तान) से आया है। उसने 1946 में हैदराबाद से मैट्रिक परीक्षा और 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट परीक्षा पास की थी। उसको भारतीय सेना में 15-1-1950 को कमीशन दिया गया था और वह 23-9-1969 को एक मेजर के पद से सेवा निवृत्त हुआ । पुलिस को सूचना मिली थी कि वह जाली डालरों का व्यापार करता है और उसके पास एक जाली डिमान्ड बैंक ड्राफ्ट है । फंसाने के लिये एक ग्राहक उसके पास भेजा और मेजर दर्शन सिंह को बैंक आफ अमेरिका के 240 अमरीकी डालरों के एक डिमान्ड बैंक ड्राफ्ट के साथ गिरफ्तार कर लिया। जांच करने के दौरान मालूम हुआ कि यह डिमान्ड बैंक ड्राफ्ट जाली था ।

Auto-Exchange at Bareilly

4831. **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the time likely to be taken in the construction of Auto-exchange at Bareilly ; and

(b) the expenditure to be incurred thereon ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) The building is expected to be completed by December, 1973.

(b) The building is likely to cost about Rs. 42.83 lakhs.

केन्द्रीय सेवाओं के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की उप-सचिव बने बिना संयुक्त सचिवों के पदों पर नियुक्ति

4832. **श्री कार्तिक उरांव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सेवाओं के श्रेणी–1 अधिकारी भारत सरकार के 1957 के आदेशों के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय में वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के लिये पात्र हैं ; और

(ख) क्या उपरोक्त आदेशानुसार ऐसे अधिकारियों को बिना पहले उप-सचिव नियुक्त किये, सीधे संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों को सचिवालय के पदों पर उनकी पात्रता तथा उपयुक्तता के आधार पर नियुक्त किया जा सकता है । संयुक्त सचिव के पदों पर नियुक्ति का पात्र होने के लिए यह जरूरी नहीं कि उन्होंने इससे नीचे के पदों पर कार्य किया हो ।

केन्द्रीय इंजीनियरी सेवाओं के अधिकारियों की संयुक्त सचिवों के पदों पर नियुक्ति

4833. **श्री कार्तिक उरांव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय इंजीनियरी सेवाओं के मुख्य इंजीनियर के बराबर के पद के अधिकारियों को 1957 के आदेशों के अनुसार संयुक्त सचिव के तौर पर नियुक्त करने पर विचार किया जा रहा है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : केन्द्रीय इंजीनियरी सेवाओं के मुख्य इंजीनियर के बराबर के पद के अधिकारियों को, श्रेणी–1 के अधिकारी होने के कारण संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करने पर विचार किया जा सकता है बशर्तें कि उन्होंने श्रेणी-1 की अपेक्षित सेवा-अवधि पूरी कर ली हो, और वे उपयुक्तता सम्बन्धी मानदण्डों को दृष्टि से अनुकूल हों ।

गुजरात में उद्योगों के लिये निकास-चैनल बनाने की योजना

4834. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान द्वारा गुजरात में उद्योगों के लिये निकास चैनल बनाने की योजना का अध्ययन आरम्भ कर दिया गया है ;

(ख) उसके निर्देश-पद क्या हैं ; और

(ग) इसके कब तक पूरा होने और सरकार को प्रस्तुत किये जाने की आशा है ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी, अभी नहीं। अध्ययन को अपने अन्तर्गत लेने के लिये संस्थान गुजरात सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहा है।

(ख) संस्थान को गुजरात सरकार के तकनीकी परामर्शदाता के रूप में कार्य करना है और उसके अध्ययन की सीमायें निम्नलिखित होंगी :—

(1) प्रत्येक उद्योग के प्रदूषण के स्वरूप और सीमा का मूल्यांकन यह कार्य प्रत्येक उद्योग के प्रदूषण का नमूना लेकर, उसका प्रयोगशाला स्तर पर विश्लेषण कर तथा हौज में भरे मिश्रित बहत्तमल के लक्षणों का संगणक द्वारा गुणांकन किया जाये।

(2) हौज में भरे मिश्रित बहत्तमल में यदि कोई हानिकारक तत्व हों तो उनका पता लगाना तथा उसे जलधारा द्वारा प्रवाह योग्य बनाने के लिए आवश्यक उपचार के स्वरूप का सुझाव देना।

(3) हौजों में भरे हुए बहत्तमल को खुली हुई जलधाराओं में प्रवाहित करने के लिए उपयुक्त मानक विशिष्टियां तैयार करना। इन्हें इस तथ्य को ध्यान में रखकर स्थापित करना चाहिए कि इन खुली हुई जल धाराओं का पशु और यहां तक कि मानव भी उपयोग कर सकेंगे। अतएव उपर्युक्त मानकों को उपयोग में लाने हेतु आवश्यक उपचार का सुझाव देना।

(4) हौजों में भरे हुये बहत्तमल की समुद्र में निकासी के लिये ऐसी मानक विशिष्टियां निर्धारित करना ताकि उसके जल में मिलने पर सामान्य जन्तु एवं बनस्पति और मछली के लिये अनुकूल वातावरण प्रभावित न हो सके। उपर्युक्त मानकों को उपलब्ध करने के लिये आवश्यक उपचार सुझाना।

(5) जलराशि सर्वेक्षण द्वारा अनुकूलतम तनुकरण को प्राप्त करने के लिये आवश्यक वहिःश्राव की लम्बाई का पता लगाना।

(6) हौजों में भरे हुये मिश्रित बहत्तमल में हानिकारक तत्वों का, यदि हों तो, पता लगाना और उसके लिये आवश्यक उपचार सुझाना। ताकि यदि बहत्तमल को उपचारित करके सिंचाई के लिये काम में लेने अथवा माही नदी की जलधारा में किसी स्थान पर प्रवाह के लिये छोड़ने के लिये एकत्रित किया जाये तो उसका संरचना और उपचार संयंत्र के उपकरणों पर कोई हानिकारक प्रभाव न पड़े।

(7) माही नदी में निकासी के उपयुक्त मानक विशिष्टयां प्राप्त करना।

(8) नाले-परनालों की मंद को उपचारित करने के बाद माही नदी में निकासी के लिये उपयुक्त स्थान का पता लगाना।

(9) हौजों में भरे हुए बहत्तमल की सिंचाई के काम में लेने के लिये उपयुक्त मानक विशिष्टियां निश्चित करना।

(10) धरती पर हौजों में भरे हुए मिश्रित बहत्तमल को उपयोग में लेने के लिये प्रयोगशाला स्तर के परीक्षणों द्वारा आवश्यक जीव-वैज्ञानिक उपचार का स्वरूप और सीमा सुझाना।

(11) इन विकल्पों की आर्थिक लागत और उपयोगिता का अध्ययन करना और स्थानीय परिस्थितियों के लिये अनुकूलतम उपायों की सिफारिश करना।

(ग) कार्य आरम्भ होने की तारीख से 15 महीने अध्ययन में लग सकते हैं।

भारत-बंगला देश चलचित्र समारोह

4835. **श्री समर गुह : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशिष्टतया ढाका और कलकत्ता में भारत-बंगला देश चलचित्र समारोह करने की योजना बना ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान टेलिप्रिंटर, मद्रास के अनुसंधान विभाग द्वारा विकसित नये उत्पाद

4836. **श्री आर० पी० उलगनम्बी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संचार विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन, 1970-71 के पृष्ठ 24 पर उल्लिखित नए उत्पादों का, जिसको हिन्दुस्तान टेलिप्रिंटर, मद्रास के अनुसंधान तथा विकास विभाग ने विकसित किया है, कम्पनी ने निर्माण कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां उच्च गति टेप रीडरों तथा टेप पंचों के अलावा।

(ख) गणक (कम्प्यूटर) के क्षेत्र में तेजी से हो रहे तकनीकी और अन्य आवश्यकता से सम्बन्धित परिवर्तनों की पूर्ति के लिए उच्च गति वाले टेप रीडर और पंचों के सम्बन्ध में विकास-कार्य हो रहा है।

बंगला देश के बारे में रेडियो प्रसारण के लिए आमंत्रित किये गये मुसलमान संसद् सदस्य

4837. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और पटना के आकाशवाणी केन्द्र तथा आकाशवाणी के विदेश सेवा में मार्च

1971 से दिसम्बर 1971 तक बंगला देश पर रेडियो प्रसारण के लिए कितने मुसलमान संसद् सदस्यों को आमंत्रित किया गया था ; और

(ख) प्रत्येक रेडियो प्रसारण की क्या तिथि थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क)

दिल्ली केन्द्र	—	5
पटना केन्द्र	—	1
विदेश सेवाएं	—	20

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी हुई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1921/72**]

भारतीय प्रशासनिक संघ के अधिकारियों की भूमिका के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को सचिवों की समिति द्वारा अस्वीकार किया जाना

4839. **डा० रानेन सेन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासनिक सेवा की भूमिका और सरकार में मध्यम तथा वरिष्ठ प्रबन्धक पदों पर कर्मचारियों को नियुक्त करने के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की प्राथमिक सिफारिशों को सचिवों की समिति ने अस्वीकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) ये सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 के सम्बन्ध में विधि आयोग की सिफारिशें

4840. **श्री वी० मयावन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 के सम्बन्ध में विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो सुझाए गए परिवर्तनों को विधान का रूप कब दिया जायेगा ; और

(ग) विधि आयोग के 38 वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को लागू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) सरकार अभी इन सिफारिशों पर विचार कर रही है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

वर्तमान प्रशासनिक ढांचे का बदला जाना

4841. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने, नवम्बर, 1967 में रुड़की विश्वविद्यालय में अपने दीक्षान्त भाषण में यह घोषणा की थी कि वह वर्तमान प्रशासनिक ढांचे को, जिसमें, सरकार इंजीनियरी अथवा चिकित्सीय सेवाओं में आने वाले योग्य नवयुवक और युवतियां प्रशासन के साधारण अधिकारियों से पीछे रह जाते हैं, बदलने जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार क्या परिवर्तन करने जा रही है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान। प्रधान मंत्री ने यह अवश्य कहा था कि वह वर्तमान प्रशासनिक ढांचे को बदल कर उसके स्थान पर एक ऐसी प्रणाली लाने के लिए प्रयत्नशील हैं जिसके अनुसार अर्थ-लाभ तथा मानव-कल्याण के क्षेत्र में व्यक्ति विशेष के योगदान को प्रकट किया जा सके।

(ख) कार्मिक प्रशासन विषय पर प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में ऐसी सिफारिशें हैं कि सरकार के मध्यवर्गीय तथा उच्चस्तर के प्रबन्ध-पदों पर, शिल्प-वैज्ञानिकों सहित विभिन्न क्षेत्र के व्यक्तियों की तैनाती की जाए। ये सिफारिशें विचाराधीन हैं।

नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड में कुप्रबन्ध

4842. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक संसद सदस्य ने 10 अगस्त, 1971 के अपने पत्र द्वारा उनको नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली में अत्यधिक कुप्रबन्ध के बारे में लिखा था ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम के प्रबन्ध संचालन के सम्बन्ध में एक संसद सदस्य से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इनकी जांच की गई है। माननीय सदस्य द्वारा टिप्पणी में उल्लिखित मामलों के तथ्यों के संदर्भ में सरकार द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई करनी आवश्यक नहीं है।

कछार के लिये प्रादेशिक भाषा (बंगाली) में मनीआर्डर फार्म

4843. **श्रीमती ज्योत्सना चंदा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कछार जिले की प्रादेशिक भाषा बंगाली है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कछार में बंगाली में छपे मनीआर्डर फार्म भी उपलब्ध करेगी ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख). मनीआर्डर फार्म एक साथ तीन भाषाओं (अर्थात् हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा) में छापने की मंजूरी डाक तार बोर्ड दे चुका है। अब भारत सरकार के नियंत्रक, मुद्रण और लेखन सामग्री मनीआर्डर फार्म का आकार बढ़ाए बिना उसे एक साथ तीनों भाषाओं में छापने को तकनीकी सम्भावना की जांच कर रहे हैं। हिन्दी, अंग्रेजी और असमिया में छापे गए त्रिभाषी मनीआर्डरों के साथ साथ हिन्दी, अंग्रेजी और बंगला में छापे गए त्रिभाषी फार्म भी कछार जिले में सप्लाई किए जाएंगे।

Effect of strike on Production in Kalamassery Unit of H. M. T.

4844. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether the employees of Kalamassery (Kerala) Unit of Hindustan Machine Tools Ltd., were on strike for about a month ; and

(b) if so, the effect on production and the estimated financial loss incurred as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir. The workers of Hindustan Machine Tools Ltd., Kalamassery remained on strike from the 16th March, 1972 to the 4th April, 1972. Prior to going on strike, there was "go-slow" in the factory since January, 1972.

(b) It has been estimated that as a result of the strike and 'Go-slow', the unit has suffered loss in production valued at Rs. eighty lakhs. The financial loss is estimated to be of the order of Rs. 45 lakhs.

भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं से पाकिस्तान से मुसलमानों की घुसपैठ

4845. **श्री समर गुह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत भारत-पाकिस्तान युद्ध के परिणामस्वरूप बहुत से मुसलमान शरणार्थी भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं से घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान और बंगला देश से भारत आने वाले मुसलमान शरणार्थियों की घुसपैठ की नई समस्या से निपटने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख). बंगला देश से गर बंगाली मुसलमानों के आगमन के बारे में 11 अप्रैल, 1972 को सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में गृह मंत्रालय में मंत्री द्वारा सूचना दे दी गई थी। सीमा पार से व्यक्तियों के ऐसे अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए किये गये उपाय भी स्पष्ट कर दिये गये थे। केन्द्र सरकार के पास पश्चिमी सीमा से मुस्लिम शरणार्थियों की किसी घुसपैठ की कोई सूचना नहीं है। पंजाब सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि उनके ध्यान में ऐसा कोई दृष्टान्त नहीं आया है। जम्मू व कश्मीर, राजस्थान और गुजरात सरकारों से सूचना प्रत्याशित है।

'सविस्ता' पुस्तक के प्रकाशकों के विरुद्ध जांच

4847. **श्री एस० एन० मिश्र:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उर्दू में प्रकाशित 'सविस्ता' नामक पुस्तक की ओर आकर्षित किया गया है, जो न केवल अत्यधिक साम्प्रदायिक है, बल्कि हिन्दुओं के विरुद्ध मुसलमानों को भड़काती है ;

(ख) क्या इलाहाबाद सोराओं निर्वाचन क्षेत्र में, जहां उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए उप- चुनाव हो रहा है, श्री नईम सिद्दीकी नामक एक व्यक्ति ने उक्त पुस्तक की लगभग 10,000 प्रतियां वितरित की थीं ;

(ग) क्या मामले की जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा गया था और इस पुस्तक के प्रकाशन एवं वितरण से सम्बद्ध युवकों, प्रकाशकों और व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ). तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

Measures adopted to increase the income of Bihar State

4848. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the State of Bihar enjoyed fourth position from economic point of view after the attainment of Independence ;

(b) whether the State has been relegated to the 17th position in 1972 ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the measures proposed to be adopted by Government to increase income of Bihar State ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) to (d). There have been differences in concept, methodology, source material used and the base year, in compiling figures of per capita income of various States over the period 1948-49 till today. As a result, the estimates of per capita incomes of different States at different times, are not comparable. The available information does, however, indicate that the per capita income of Bihar is quite low when compared to that of other States.

2. The comparatively low level of economic development in Bihar has been caused by a variety of complex factors such as lack of adequate infrastructural facilities, feudal structure of society, backwardness in education, lack of spirit of enterprise and the like. Periodical visitations of natural calamities like flood and famine, have also played a significant role.

3. A number of measures have already been taken to bring about an improvement in the level of social economic development of Bihar. The successive Five Year Plans (including the three Annual plans 1966-69) consisted of measures calculated to bring about such development in Bihar. In the Fourth Plan Bihar has received proportionately higher Central assistance on account of its

comparative backwardness. Sizeable investment in Central industrial projects has also taken place in the State. To remedy the backwardness of certain areas of the State in industrial development, the scheme of concessional finance by public financing institutions and that of Central subsidy to the fixed capital investment of new industrial units in two selected industrially backward States, which has been introduced all over the country, has also been made applicable to Bihar. Special programmes for small and marginal farmers and agricultural labourers, rural works programmes for droughtprone areas and schemes of dry farming have also been introduced in the State. The Government of Bihar have also been taking steps for the amelioration of backward social conditions and for providing roads and other necessary infrastructure. For the predominantly tribal area of Chhota Nagpur Division a Development Board has been set up to take care of the special needs of the area.

The Government of Bihar have been requested to improve the planning capability of the State and also to prepare district plans which could form the basis for a more careful planning for an integrated development of the entire State on the basis of its needs and priorities and the resources which can be mobilised for the purpose.

भारत में बिकने वाली श्रृंगार सामग्री

4849. **श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बिकने वाली 99 प्रतिशत श्रृंगार सामग्री में हैक्साक्लोरोफीन होता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह खतरनाक रसायन है जिससे जल जाने के मामलों में इससे धुलाई करने से दौरे (ब्रेन सीज्योर्स) पड़ने लगते हैं और दुर्गन्धनाशक स्प्रे प्रयोग करने वाली महिलाओं के त्वचा पर खारिश होने लगती है और क्या उन शिशुओं के शरीर में हैक्साक्लोरोफीन जमा हो जाता है जिन्हें यह प्रसाधन मिले पानी से नियमित रूप से नहलाया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सभी प्रकार के साबुनों, शैम्पू, टूथपेस्ट और उन सभी प्रसाधनों में, जो नवजात शिशुओं को नहलाने के काम आते है ; हैक्साक्लोरोफिन के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) हैक्साक्लोरोफीन का प्रयोग कुछ श्रृंगार सामग्रियों के उत्पादों में किया जाता है, किन्तु अनेक लोकप्रिय साबुनों, दंत मंजनों, श्रृंगार सामग्रियों और प्रसाधनों के बनाने में हैक्साक्लोरोफीन का प्रयोग नहीं होता, इसलिये यह कहना उचित नहीं होगा कि भारत में बेची जाने वाली 99 प्रतिशत प्रसाधन सामग्री में हैक्साक्लोरोफीन होती है

(ख) और (ग). यह पाया गया है कि हैक्साक्लोरोफीन के प्रयोग का कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है यद्यपि इसका प्रयोग प्रसाधनों में प्रतिपूय (एन्टीसैप्टिक) के रूप में किया जाता है । इसलिए सरकार ने स्वास्थ्य प्राधिकारियों और विभिन्न सम्बन्धित संस्थाओं को निदेश जारी कर दिये हैं, जिसमें उनका ध्यान हैंक्साक्लोरोफीन की विषाक्तता की ओर आकर्षित किया गया है और उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले चिकित्सा अधिकारियों को बता दिया गया है कि यदि शिशु साबुन आदि में यह पद्धति अपनाई जा रही है तो हैक्साक्लोरोफीन विलपन के प्रयोग को बंद करें ।

इस सम्बन्ध में औषध और अंगराग नियम के अंतर्गत स्थापित औषध परामर्शदायी समिति द्वारा बताई गई अनेक सिफारिशें समीक्षाधीन हैं ।

बंगला देश को दर्शाने वाला नक्शा तैयार करना

4850. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में छात्रों की सुविधा और सहकारी कार्यालयों में तथा सामान्य जनता के उपयोग के लिये सरकार ने बंगला देश को एक स्वतंत्र देश के रूप में दर्शाने वाले नये नक्शे तैयार करने की दिशा में कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) और (ख). दीवारों पर लटकाये जाने वाले भारत और निकटवर्ती देशों के मानचित्र और भारत के रेल तथा सड़क के मानचित्रों में बंगला देश को एक स्वतंत्र देश दर्शाने के लिये परिवर्तित संस्करण प्रसारित करने के सम्बन्ध में भारतीय सर्वेक्षण विभाग आवश्यक कार्यवाही कर रहा है । भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बिना बिके मानचित्रों को भी हाथ की मुहर द्वारा ठीक किया जा रहा है ।

रामपुर में देशीय ट्रैक्टरों का निर्माण

4851. **श्री पम्पन गौडा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में निर्मित भारतीय ट्रैक्टरों की जांच केन्द्रीय सरकार के जांच केन्द्र द्वारा की गई हैं ;

(ख) क्या इन ट्रैक्टरों को किसानों द्वारा प्रयोग के लिए उपयुक्त पाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस ट्रैक्टर निर्माता को ट्रैक्टर उत्पादन के लिये लाइसेंस देगी ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) बूंदी के परीक्षण केन्द्र में निरीक्षण या जांच के लिये ऐसा कोई ट्रैक्टर नहीं आया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

सरकारी विभागों में 'कार्य-दल' (टास्क फोर्स) की रचना

4852. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'कार्य-दल' (टास्क फोर्स) बनाने सम्बन्धी भारत के राष्ट्रपति की घोषणा को केन्द्रीय सरकार के किसी भी विभाग में कार्य-रूप दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और यदि नहीं, तो सरकार का विचार इसे कब तक बना देने का है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलेक्ट्रानिकी मन्त्री, गृह मन्त्री, तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां। राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिन सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों का जिक्र आया था, उनसे सम्बन्धित सभी मंत्रालयों/विभागों में कृतिक बल (टास्क फोर्स) स्थापित कर दिये गये हैं :-

(ख) कृतिक बलों के मुख्य कार्य ये हैं।

वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों सहित आयोजनाएं बनाना ; मंजूरियां शीघ्रता से प्राप्त करना और जारी करना ; कठिनाइयों वाले स्थलों का पता लगाना और उनको दूर करने के लिए उपाय निकालना ; सामयिक रूप से प्रगति की समीक्षा करना और इस बात का सुनिश्चय करना कि जहां तक सम्भव हो सके निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किये जायें।

बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ दरभंगा (बिहार) के हिसाब किताब में अनियमितताएं

4853. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1965-66 के हिसाब किताब की लेखा परीक्षा के फलस्वरूप दरभंगा (बिहार) के बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ के लेखा आदि में 7.25 लाख रुपये की अनियमितताएं पाई गई थीं ;

(ख) क्या उसके पश्चात् भी बाद में और अनियमितताएं पाई गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने बताया है कि वर्ष 1965-66 की अवधि में बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ की लेखा परीक्षा करते समय लेखा परीक्षकों ने ऋण लेखों में 5.24 लाख रुपये (न कि 7.25 लाख रुपये) की अनियमिततायें बताई हैं। केवल 0.35 लाख रुपये को छोड़कर जिसके बारे में आयोग जांच कर रहा है। इन अनियमितताओं को ठीक कर दिया गया था। और लेखा परीक्षकों ने उन्हें मान लिया है।

(ख) आयोग की अंतरिम लेखा परीक्षा पार्टी ने वर्ष 67-68 के संघ के हिसाब किताब और वित्तीय स्थिति की मई, 1970 में समीक्षा की। इसमें कोई गम्भीर अनियमितता नहीं पाई गई।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कार्यक्रम सामग्री (साफ्ट वेयर) के विकास के लिये संगणक व्यवस्था का आयात

4854. **श्री सी० चित्ति बाबू**: क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्यक्रम सामग्री (निर्यात के लिए) के विकास के लिए, संगणक व्यवस्था का आयात करने के सम्बन्ध में मैसर्ज आई० बी० एम०, मैसर्ज आई० सी० एल० और 'टेल्को' के मामले में किस प्रस्ताव को अन्तिमरूप दिया गया है ; और

(ख) इन्हें कब क्रियान्वित किया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तथा (ख). कंप्यूटर सोफ्ट वेयर के निर्यात विकास के लिये, यह आवेक्षित समझा गया कि प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को एक कंप्यूटर आयात करने की अनुमति दी जाय बशर्ते कि :–

(1) वे उस आयात किये हुये कंप्यूटर के प्रयोग करने को कुछ प्रयोजना सम्बन्धी शर्तें मान लें।

(2) वे इस बात की गारंटी दें कि 5 वर्षों की अवधि में, विदेशी मुद्रा का अर्जन दो गुना करें। (विदेशी फर्मों के मामले में तिगुना जैसे आई० बी० एम०/आई० सी० एल०) जो कंप्यूटर आयात करने के लिये आवश्यक हैं।

उपर्युक्त वर्णित तीनों फर्मों ने कंप्यूटरों के आयात के लिये योजनायें प्रस्तुत की हैं। मैसर्ज आई० बी० एम० ने निर्धारित शर्तों को नहीं माना है ; मैसर्ज आई० सी० एल० ने उस पत्र का उत्तर नहीं दिया है जिसमें इन शर्तों का उल्लेख भेजा गया था ; और मैसर्स टेल्को ने अपने आवेदन पत्र को वापस ले लिया है।

खादी की वस्तुओं का निर्यात

4855. **श्री प्रिय रंजन दासमुंशी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970-71 में विदेशों को निर्यात की गई खादी की वस्तुओं से वास्तव में कितना लाभ हुआ ;

(ख) क्या इन वस्तुओं की मांग बढ़ रही है ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने निर्यात के लिए खादी की वस्तुओं में और सुधार करने के लिए कहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) खादी भवन द्वारा खादी का निर्यात करके 5.33 लाख रु० की राशि अर्जित की गई थी। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों, जिनमें आयोग ने भाग लिया था, 0.55 लाख रु० की बिक्री की गई थी।

(ख) सिल्क खादी जैसे टसर मट्का खादी, कढ़े हुए वस्त्र और बने बनाए छपे हुए वस्त्रों की पश्चिमी देशों के मांग में वृद्धि के संकेत हैं, आयोग ने अमरीका, ब्रिटेन तथा जापान में खादी वस्त्रों के विपणन के बारे में पता लगाने का काम भारतीय विदेश व्यापार संस्था को सौंपा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Total Value of Exports by Hindustan Teleprinters Limited

4856. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the total value of exports made by the Hindustan Teleprinters Limited during 1970–71 and 1971-72 ;

(b) the percentage of production of the said Company being consumed in the country and exported separately ; and

(c) whether the said Company is working to its full production capacity ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) :

(a) **Year**	**Value of Exports**
1970-71	Rs. 27.74 lakhs
1971-72	Rs. 7.27 lakhs

(b) **Year**	**Local Sales**	**Exports**
1970-71	92%	8%
1971-72	98%	2%

(c) Although the production capacity of the machinery installed is 8,500 units per year in double shift, the man power employed and the production developed is for 5,500 units in single shift as per requirements. The current year's target with partial double shift is 6,200 units.

लघु उद्योगों की सहायता

4857. **श्री एम० एम० जोजफ :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय निर्माता संघ के लघु उद्योग तथा सहायक परिषद् में चेयरमैन ने देश के लघु उद्योगों के लिए कोई सहायता मांगी थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Export of Goods by Cottage Industries

4858. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) the names of commodities manufactured by Cottage Industries which are exported by India to foreign countries ; and

(b) the foreign exchange earned by these industries during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

लघु उद्योगों के उत्पादन के निर्यात में कमी

4859. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या बढ़ी है। परन्तु उनके उत्पादन और उनके उत्पादों के निर्यात में तदनुसार वृद्धि नहीं हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). एककों की संख्या, उनके उत्पादन और निर्यात में भी वृद्धि हुई है।

केन्द्रीय सूचना सेवा के तदर्थ चतुर्थ ग्रेड पदों पर कर्मचारियों का खपाया जाना

4860. **श्री शशि भूषण** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मार्च, 1970 में तत्कालीन सूचना और प्रसारण मन्त्री श्री सत्यनारायण सिन्हा ने, केन्द्रीय सूचना सेवा एसोसिएशन द्वारा शुरू की गई 'मुक्तिकरण योजना' के सिलसिले में केन्द्रीय सूचना सेवा एसोसिएशन की साधारण सभा को सम्बोधित करते हुए कहा था कि केन्द्रीय सूचना सेवा के चतुर्थ ग्रेड के पदों पर तदर्थ रूप से कार्य कर रहे व्यक्तियों को अन्यत्र खपाया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) 7 मार्च, 1970 को हुई केन्द्रीय सूचना सेवा एसोसिएशन की वार्षिक साधारण बैठक में तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री श्री सत्य नारायण सिन्हा ने अपने भाषण में कहा था कि केन्द्रीय सूचना सेवा को युक्तियुक्त करने के प्रस्तावों के तदर्थ आधार पर नियुक्त इन व्यक्तियों के खपाए जाने की व्यवस्था भी है।

(ख) तथा (ग). युक्तियुक्त प्रस्तावों के कार्यान्वयन के बारे में तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने तथा उनकी सिफारिशों पर सरकार द्वारा निर्णय लिये जाने तक आगे कार्रवाई करना सम्भव नहीं है।

बिड़ला उद्योग समूह द्वारा लाइसेंसों का उपयोग

4861. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 तथा 1971 के दौरान बिड़ला उद्योग समूह की निम्नलिखित **फर्मों की**

किस प्रकार के लाइसेंस दिये गये : (1) ईस्टर्न सर्विस एण्ड मारकेटिंग लिमिटेड, (2) ओरियेन्ट पेपर मिल्स, (3) ग्वालियर बैंकिंग कम्पनी लिमिटेड तथा (4) हैदराबाद एजेन्सीज लिमिटेड ;

(ख) क्या उक्त फर्मों ने इन लाइसेंसों का पूर्ण उपयोग किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 1970 और 1971 के क्लैण्डर वर्ष में इन सार्थसमूहों को कोई औद्योगिक लाइसेंस नहीं जारी किया गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

बेरोजगारी दूर करने के लिए बिहार द्वारा मांगी गई वित्तीय सहायता

4862. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य के इंजीनियरों, स्नातकों, स्नाकोत्तरों तथा डाक्टरों की बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने की दृष्टि से बिहार सरकार ने केन्द्र से वित्तीय सहायता की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को कितनी धनराशि दी है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). बिहार सरकार से अब तक इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । परन्तु योजना आयोग ने हाल में ही बिहार सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें उससे कहा गया है कि वह 1972-73 के लिए 5.5 करोड़ रुपये तक परिव्यय के रोजगार कार्यक्रम तैयार करे । यह कार्यवाही इस बात को ध्यान में रखकर की जाए कि राज्य सरकार को 2.75 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध हो जायेगी और बाकी रकम राज्य सरकार अपने आप जुटायगी । इस प्रकार की तैयार गई स्कीमें वह योजना आयोग के विचारार्थ भेज दे ।

एच० एम० टी० कारखाने में "जवाहर रिस्ट वाच" का उत्पादन

4863. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच० एम० टी० कारखाने में "जवाहर रिस्ट वाच" का उत्पादन बन्द है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) देश में कुल कितनी जवाहर घड़ियां बनाई गईं, बेची गईं तथा निर्यात की गईं ; और

(घ) क्या इस घड़ी के निर्यात से बहुत बड़ी राशि में विदेशी मुद्रा कमाई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) 31 मार्च, 1972 तक 31532 जवाहर घड़ियां बनाई गईं जिनमें से 31,224 घड़ियां देश में ही बिकी तथा 36 घड़ियों का निर्यात किया गया ।

(घ) जवाहर घड़ियों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा अधिक नहीं है ।

पिछड़े क्षेत्रों में स्कूटर बनाने के लिये लाइसेंस जारी करना

4864. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 के अन्त तक स्कूटरों के निर्माण के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के सम्बन्ध में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) कितनी और किन किन पार्टियों को लाइसेंस दिये गये हैं और प्रस्तावित संयंत्रों के स्थापना-स्थल कौन-कौन से हैं ; और

(ग) पिछड़े क्षेत्रों के किन जिलों और राज्यों के लिए कितने लाइसेंस दिए गए हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). अक्टूबर 1969 में जारी किए गए प्रेस नोट के प्रत्युत्तर में स्कूटर निर्माण करने हेतु लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 1971 के अन्त तक 45 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से किसी भी आवेदक को अभी तक कोई औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिया गया है । इनमें से 23 आवेदकों को आशय पत्र दिए गए हैं जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया जाता है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-1922/72**]

केन्द्रीय मन्त्रियों की सम्पत्तियां

4865. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मंत्रियों की सम्पत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन मंत्रियों की सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण उनको प्राप्त होते हैं ; और यदि हां, तो क्या ये विवरण वार्षिक होते हैं या अर्ध-वार्षिक ; और

(ग) क्या इन विवरणों की सत्यता की जांच की जाती है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलेक्ट्रानिकी मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). मंत्री - आचार - संहिता के अधीन केन्द्रीय मंत्री, अपनी देयता और आस्तियों की विवरणियां अपने पद ग्रहण करने के समय तथा उसके बाद प्रति वर्ष प्रधान मंत्री को प्रस्तुत करते हैं । इन विवरणियों की यथासम्भव जांच की जाती है । ये विवरणियां प्रधानमंत्री को गोपनीय ढंग से प्रस्तुत की जाती हैं, अतः सदन इस बात को महसूस करेगा कि इन विवरणियों के ब्यौरे को प्रकट करना उचित नहीं है ।

भारत सरकार के अधिकारियों के पास सम्पत्ति

4866. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के सचिवों, संयुक्त सचिवों तथा उप-सचिवों के पास सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या वे अपनी सम्पत्ति का विवरण सरकार को भेजते हैं ; और यदि हां, तो क्या वे विवरण वार्षिक होते हैं या अर्ध वार्षिक ; और

(ग) क्या इन विवरणों का सत्यापन किया जाता है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). सरकारी कर्मचारियों पर लागू आचरण-नियमों के अधीन उन्हें सरकार के अधीन अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय अपनी सम्पत्ति का विवरण देना होता है । इसके बाद ये विवरण वार्षिक होते हैं । आवश्यक छानबीन के बाद ये विवतण उचित प्राधिकारियों के संरक्षण में रखे जाते हैं । चूंकि ये विवरण सरकारी कर्मचारियों द्वारा गोपनीय रूप में दिये जाते हैं, सदन इस बात को मानेगा कि इन विवरणों को प्रकट करना उचित नहीं होगा ।

एकाधिकार आयोग द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों के कारण औद्योगिक प्रगति में बाधा

4867. **श्री निहार लास्कर** :
श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार आयोग द्वारा लगाए गए प्रतिबन्ध ही गत कुछ वर्षों में देश की औद्योगिक प्रगति में बहुत बड़ी बाधा के लिए उत्तरदायी थे ;

(ख) क्या इन प्रतिबन्धों के कारण ही महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजनाओं की मंजूरी में असाधारण विलम्ब हुआ ; और

(ग) औद्योगिक प्रगति को तेज करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की भूमिका एक परामर्शदाता जैसी है तथा यह पर्याप्त विस्तार और अथवा नये उपक्रमों की स्थापना सम्बन्धी उन प्रस्तावों पर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके पास भेजे जाते हैं एकाधिकार और प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया अधिनियम की धारा 21 और 22 के अधीन सिफारिशें करता है ।

(ख) उक्त (क) के संदर्भ में जब तक किसी विशिष्ट मामले का जिक्र न आये तब तक सामान्य उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

(ग) सरकार ने अपनी तरफ से नीति निर्धारण की दिशा में तथा पद्धति की दृष्टि से दोनों ही प्रकार से औद्योगिक उत्पादन दर में तेजी लाने के लिए उपाय अपनाए हैं। फरवरी 1970 में घोषित संशोधित लाइसेन्स नीति विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के निर्माण में सहायक होगी ऐसी आशा की जाती है। अन्य बातों के साथ साथ 1 करोड़ रुपये तक के विनियोजन वाले एककों और 5 करोड़ से कम निश्चित अस्तियों वाले एककों की 1 करोड़ रुपये तक की विस्तार योजनाओं को कुछ शर्तों के अधीन संशोधित लाइसेंस नीति के अनुसार लाइसेंन्सिग उपबंधों से मुक्त कर दिया गया है। इसके बाद 1-1-72 को सरकार ने 54 विशिष्ट उद्योगों की एक सूची की घोषणा की है तथा इनमें इकहरी अथवा दोहरी पाली के आधार पर कार्य कर रहे औद्योगिक उपक्रमों को लाइसेन्स प्राप्त क्षमता का अधिकतम उपयोग करने तथा अन्य मामलों में जिन्हें पाली के आधार पर कार्य लाने के लिए लाइसेन्स नहीं मिला है, कुछ शर्तों के अनुसार लाइसेन्स प्राप्त उत्पादन क्षमता को 100% तक की वृद्धि करने की अनुमति दी है।

अनेक उद्योगों में नई क्षमता अधिष्ठापित करने अथवा पर्याप्त विस्तार के लिये आवेदन आमन्त्रित करने हेतु अनेक पब्लिक नोटिस जारी किये गये हैं। पिछले दो वर्षों में कच्चे माल के आयात को उदार बनाया गया है। इस्पात के आयात में विशेष रूप में उदारता बरती जा रही है। लघु उद्योगों को भी प्रत्यक्ष सहायता दी जा रही है।

पूंजीगत माल के आयात सम्बन्धी स्वीकृति तेजी से दी जा रही है। नीति के क्षेत्र में उदारता बरतने के साथ ही सरकार ने लाइसेंन्सिग तंत्र को भी जागरूक किया है तथा ऐसी पद्धतियां अपनाने को कहा है जिससे लाइसेन्स और पूंजीगत सामान सम्बन्धी आवेदन पत्रों पर शीघ्रता से निर्णय लिया जा सके। औद्योगिक लाइसेन्सों के आवेदन पत्रों के निपटाने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

इन सभी अभ्युपायों से आने वाले महीनों में उत्पादन में वृद्धि होने की आशा की जाती है। स्थिति पर बराबर दृष्टि रखी जा रही है और निःसन्देह परिस्थिति के अनुसार आवश्यक होने पर अन्य आवश्यक उपाय भी अपनाये जायेंगे।

भारतीय साम्यवादी दल का इतिहास (हिस्ट्री आफ कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया)

4868. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार साम्यवादियों तथा ऐसे साम्यवादियों जिन पर शक था, पर अत्याचार करने के उद्देश्य से सी० आई० डी० की गुप्त रिपोर्टों के आधार पर "भारत में साम्यवाद का इतिहास" (हिस्ट्री आफ कम्युनिज्म इन इण्डिया) का संकलन करती थी ;

(ख) क्या 1947 के बाद भी गुप्तचर ब्यूरो ने गोपनीय प्रयोग के लिए "भारतीय साम्यवादी दल का इतिहास" (हिस्ट्री आफ दी कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया) का संकलन जारी रखा और यदि हां, तो किस प्रयोजन से ;

(ग) इस इतिहास का गत अंक किस वर्ष प्रकाशित किया था और क्या और भी अंकों के संकलन की योजना है ; और

(घ) क्या इन "गोपनीय" प्रकाशनों को राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखा जाता है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) स्वतंत्रता से पूर्व भारत सरकार द्वारा भारतीय साम्यवादी दल के इतिहास से सम्बन्धित निम्नलिखित चार संकलनों का प्रकाशन किया गया था :—

1. कम्युनिज्म इन इण्डिया (1926) लेखक सर सेसिल काई
2. कम्युनिज्म इन इण्डिया (1924-27) लेखक डी० पेट्री
3. इण्डिया एण्ड कम्युनिज्म (1933) लेखक एच० विलियमसन
4. इण्डिया एण्ड कम्युनिज्म (1 जनवरी, 1935 तक संशोधित) लेखक एच० विलियमसन ये प्रकाशन राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखे गये हैं और वास्तविक अनुसंधान छात्रों को देखने के लिए उपलब्ध हैं ।

(ख) से (घ). विभागीय गोपनीय प्रयोजनों के लिये भारतीय साम्यवादी दल के इतिहास पर टिप्पणियां 1961 तक संकलित की गई हैं। वे देखने के लिए उपलब्ध नहीं हैं। दल के बाद के इतिहास पर और सामग्री का संकलन करने का विचार नहीं है ।

आरक्षित स्थानों पर नियुक्त किये गये सेवायुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों की तुलना में अनारक्षित पदों पर नियुक्त ऐसे अधिकारियों को सेवा लाभों से वंचित रखना

4869. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं के ऐसे भूतपूर्व एमरजेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, जो अनारक्षित सरकारी सिविल पदों के लिये चुने गये हैं। पर नियुक्त हुए हैं, वेतन और वरिष्ठता के उन सेवा लाभों से वंचित रखा गया है जो रक्षित पदों के लिये चुने गये/पर नियुक्त ऐसे अधिकारियों को प्राप्त हैं ;

(ख) यदि हां, तो योग्यता के आधार पर और प्रायः स्पर्धा द्वारा अनारक्षित पदों के लिए चुने गये/पर नियुक्त किए गए उक्त अधिकारियों के साथ इस प्रकार का भेद-भाव करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस भेद-भाव को दूर करने के बारे में विचार करेगी ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). प्रचलित नियमों के अनुसार एमरजेन्सी कमीशन प्राप्त तथा अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों की आरक्षित रिक्त सिविल पदों पर नियुक्ति के समय, उनके द्वारा सेना में की गई सेवा के आधार पर पूर्व-दिनांकित वरिष्ठता तथा वेतन निर्धारण के लाभ दिए जाते हैं। निर्मुक्त अधिकारियों की ऐसे रिक्त पदों पर, जो विशेष रूप से उनके लिए आरक्षित नहीं हैं, नियुक्ति के समय उन्हें उनके आरम्भिक वेतन निर्धारण हेतु सेना में की गई सेवा को प्रधानता देने के आदेश भी जारी किए गए हैं। निर्मुक्त अधिकारियों को अनारक्षित रिक्त पदों पर वरिष्ठता के लाभ देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

केन्द्रीय सरकार की सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में सुरक्षात्मक जांच पड़ताल का स्वरूप

4870- **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार की सेवा के विभिन्न संवर्गों पर नियुक्त होने वालों के लिये इस समय सुरक्षा व्यवस्था का स्वरूप क्या है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): अनुमानत: यहां संकेत, भारत सरकार के अधीन सेवा या पद पर नियुक्ति से पहले चरित्र तथा पूर्व-वृत्तांत के जांच करने की पद्धति है । इस बात को निश्चित करने के लिए कि सरकारी सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मचारी निष्ठावान, ईमानदार तथा तटस्थ हों, यह आवश्यक है कि सरकर, नियुक्ति के मामले में अपने विवेकानुसार यह देखे कि सरकारी सेवाओं में ऐसे व्यक्ति नियुक्त न हो पाएं जो अपने पद पर विश्वास का दुरुपयोग करें । भर्ती-कर्ता प्राधिकारी को अपनी सन्तुष्टि के लिए यह भी देखना होता है कि किसी सेवा या पद पर नियुक्त किया जाने वाला उम्मीदवार सर्वथा उपयुक्त है । किसी भी व्यक्ति को केवल उसके राजनैतिक दृष्टिकोण के आधार पर नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं समझा जाता । नियुक्त के लिए वही लोग अनुपयुक्त माने जाएंगे जिन्हें नैतिक भ्रष्ट-आचरण के कारण दाण्डिक अपराधों में सजा मिली हो या जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग अथवा विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में गलत तरीके अपनाए हों और जो नौकरी के लिए वारित कर दिए गए हों ।

केन्द्रीय सरकार में नौकरी के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता तय करने के मानदण्डों को 1967 में विस्तृत करते समय भर्ती-कर्ता अधिकारियों और राज्य सरकारों (जिनके अधिकारियों के माध्यम से यह जांच की जाती है) को यह स्पष्ट किया गया था कि जिस व्यक्ति ने किसी आपतिजनक गतिविधि या कार्यक्रम में यथार्थ रूप से भाग लिया हो या उससे सम्बद्ध हो तो उसे सरकारी नौकरी के लिए उपयुक्त न समझा जाए । विशिष्ट रूप से निम्नलिखित, केन्द्रीय सरकार के अधीन सिविल पदों पर नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं माने जाएंगे :—

(क) जो किसी संस्था या निकाय के अवैध घोषित किए जाने के बाद उस संस्था या निकाय के सदस्य हैं या रहे हैं अथवा उससे सम्बद्ध हैं ।

(ख) जो निम्नलिखित किसी ऐसी गतिविधि या कार्य-क्रम में भागी रहें हैं या उससे सम्बद्ध हैं ।

(i) जिसका उद्देश्य संविधान को ध्वंस करने का है;

(ii) जिसका उद्देश्य हिंसात्मक तरीकों से कानून की अवलेहना करना अथवा संगठित ठंग से कानून को तोड़ना है ।

(iii) जो भारत की प्रभुसत्ता तथा अखंडता, या राज्य की सुरक्षा के हितों के प्रतिकूल हो ।

(iv) जो धर्म, वंश, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर जनसाधारण के विभिन्न वर्गों में शत्रुता तथा घृणा की भावनाओं को बढ़ावा देते हों ।

केन्द्रीय सरकार की सेवा के लिये केरल से चुने गये प्रत्याशियों के सम्बन्ध में सुरक्षा सम्बन्धी अतिरिक्त जांच

4871- **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य से केन्द्रीय सरकार की सेवाओं के लिये चुने जाने वाले प्रत्याशियों के सम्बन्ध में सुरक्षा सम्बन्धी कोई अतिरिक्त जांच की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या किसी अन्य राज्य के प्रत्याशियों के सम्बन्ध में भी सुरक्षा सम्बन्धी ऐसी अतिरिक्त जांच की जाती है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग). केरल राज्य के प्रत्याशियों के सम्बन्ध में चरित्र एवं पूर्व-वृतान्त की जांच के लिए वही मानदण्ड लागू है जैसा कि वे अन्य राज्य के प्रत्याशियों पर लागू होते हैं फर्क केवल कार्यविधि का है, क्योंकि जबकि दूसरे राज्यों ने केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में नियुक्ति के लिए प्रत्याशियों की उपयुक्ता के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों को मानकर अपने जिला अधिकारियों को तदनुसार जांच करने की सलाह दी है, केरल सरकार ऐसा करने के लिए सहमत नहीं हुई। अत: केन्द्रीय सरकार के लिये यह आवश्यक हो गया कि वह केरल राज्य से केन्द्रीय सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए प्रत्याशियों के सम्बन्ध में चरित्र एवं पूर्व-वृतान्त विषयक जांच अपने साधनों के माध्यम से कराए ; प्रत्याशियों के अपराधिक क्रियाकलाप के सम्बन्ध में जानकारी, यदि कोई हो, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा दी जाती है।

केरल के शहरों में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के क्वार्टर

4872. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के महत्वपूर्ण शहरों में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों के लिए रिहाइशी क्वार्टर बनाने की प्रस्तावित योजनाओं में कोई प्रगति हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) (i) कुल 47लाख रुपये की लागत से त्रिचुर में 52, एर्नाकुलम में 132 और कोट्टायम में 32 क्वार्टरों का निर्माण-कार्य चल रहा है।

(ii) एलप्पी में 38, पालाघाट में 33 और कन्नानौर में 22 क्वार्टरों के निर्माण के लिए कुल 22 लाख रुपये की मंजूरी दी जा रही है।

(iii) आगे कालीकट, बाडांगरा, पोडूपुज्हा, ओट्टापलम, अलवाय और त्रिवेन्द्रम के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है। किन्तु इनका निर्माण धन-राशि के उपलब्ध होने पर निर्भर करता है।

Helicopter Mail Service in Hilly Districts of Himachal Pradesh

4873. **Dr. Sankata Prasad :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state the date from which helicopter service was introduced for distribution of mail in the Hilly Districts of Himachal Pradesh and the estimated number of persons likely to be benefited by the introduction of this service ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : There is no regular helicopter service for conveyance of mails of Hilly districts of Himachal Pradesh. It is only for Lahaul and Spiti valley that an arrangement exists since 16.2.70 for conveyance of first class mails between Chandigarh and Keylong once a fortnight during winter months only, when Rohtang Pass gets snow bound through the helicopter service operated by the Boarder Road Development Board. This arrangement would benefit the entire population of Lahaul and Spiti numbering about 23,000.

डा० साराभाई की मृत्यु की जांच

4874. **श्री हरिकिशोर सिंह :**
श्री बीरेन्द्र सिंह राव :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डा० विक्रम साराभाई की अप्राकृतिक मृत्यु जैसे कथित संदेह की कोई जांच कराई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) केरल राज्य सरकार द्वारा की गई जांच से पता लगा है कि स्व० डा० साराभाई की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई थी ।

Decreasing Average Annual Income in Bihar

4875. **Shri Shankar Dayal Singh:** Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether the average annual income in Bihar has been going down for the last ten years ; and

(b) whether the Centre has issued any directives to the Bihar Government in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) No, Sir. It is also almost static.

(b) No, Sir.

पश्चिम बंगाल राज्य का पुनः नामकरण

4876. **डा० रानेन सेन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार राज्य का पुनः नामकरण करना चाहती थी और उसने केन्द्र से अनुरोध किया था कि इस बारे में संवैधानिक संशोधन प्रस्तुत किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्र सरकार का क्या निर्णय है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) राज्य सरकार से ऐसा कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Strike by Bihar Khadi Karamchari Sangh

4877. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether at the call given by the Kendriya Khadi Karamchari Sangh (Central Khadi Employees Union), the workers of the Khadi Karamchari Sangh (Khadi Employees Union), Bihar went on strike in April, 1972 ;

(b) if so, their main demands and the action taken by Government in the matter ;

(c) the number of employees who took part in this strike and the extent of loss caused as a result thereof ; and

(d) whether any action has been taken by Government against the persons responsible for the loss ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Prof. Siddheshwar Prasad) : (a) to (d). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं तथा अन्यपरियोजनाओं के लिये पृथक रखी गई धन राशि का उपयोग न किया जाना

4878. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं तथा अन्य नयी परियोजनाओं के लिये पृथक रखी गई 250 लाख रुपये की राशि का उपयोग किन कारणों से नहीं किया गया है ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों के प्रारूप में नवीन परियोजनाओं/क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं को स्थापित करने के लिये रु० 248.00 लाख की अस्थायी व्यवस्था की गयी थी। 30 सितम्बर, 1970 को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान मण्डल (बी० एस० आई० आर०) ने अपनी बैठक में योजना काल में नवीन क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं और अन्य नवीन परियोजनाओं के स्थापित करने के प्रश्न पर विचार विमर्श करते समय यह तय किया था कि योजना प्रस्तावों को देश की आर्थिक विकास योजना के संदर्भ में प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुये परखा जाये। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के योजना प्रस्तावों की इस दृष्टिकोण से जांच की जा रही है।

अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन

4879. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिये कौन सी संस्थायें उत्तरदायी हैं ?

योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : सरकार ने समय-समय पर विभिन्न अनुसंधान और विकास संगठनों के कार्यकलापों का विशेष रूप से गठित विशेषज्ञों के दलों द्वारा मूल्यांकन कराने की व्यवस्था की है। देश में स्थित समस्त अनुसंधान विकास संगठनों के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिये कोई संस्था उत्तरदायी नहीं है। वैज्ञानिक क्षेत्रों की विविधताओं और सीमाओं का ऐसे मूल्यांकन में शामिल होने के कारण कोई एक अकेला संगठन इन कार्यों के लिये पर्याप्त नहीं हो सकता। विभिन्न संगठनों अथवा अनुसंधान संस्थानों के कार्यों के सामयिक पुनर्विलोकन किये गये हैं। इस प्रकार, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कार्यों का विशेष रूप से गठित विवरणों की समिति द्वारा सामयिक पुनर्विलोकन किया गया है। फिर भी, यह ध्यान में रखने की बात है कि विभिन्न संगठनों के कार्यों के मूल्यांकन का तरीका कभी एकसा नहीं हो सकता।

मेनका राकेट

4880. **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 फरवरी, 1972 को छोड़े गए 'मेनका' राकेट के कक्ष में अत्यधिक दबाव, जिसके परिणामस्वरूप कक्ष का कार्य बन्द हो गया था, के सम्भावित कारण क्या हैं ;

(ख) वर्ष 1974 तक अपना उपग्रह छोड़ने की हमारी क्षमता पर इस असफलता का क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) ऐसी असफलता की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कौन से प्रयास किए जा रहे हैं ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलेक्ट्रानिकी मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) 15 फरवरी, 1972 को थुम्बा से छोड़े गए मेनका राकेट के असफल होने के अनेक सम्भावित कारण हैं ; उदाहरणार्थ–प्रयुक्त हार्डवेयर चैम्बर की सहनशक्ति, अलग अलग थानों में तैयार प्रणोदकों को बनाने की विधि तथा सम्बन्धित नियन्त्रण प्रणाली में विविधता, प्रणोदक में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के कच्चे माल के गुणों में अन्तर रहना तथा इन्स्यूलेशन की मोटाई का अपर्याप्त रहना। इन बातों में से सभी अथवा कुछ अलग अलग सीमाओं तक असफलता का कारण हो सकती हैं। मेनका किस्म के राकेटों की उपयोगिता अभी सिद्ध नहीं की जा सकी है। तथा इनका तो अभी विकास किया जा रहा है। विकासात्मक कार्यों को किए जाने के लिए किए जाने वाले प्रक्षेपण में राकेटों का असफल रहना असामान्य बात नहीं है।

(ख) उपग्रह छोड़ने की क्षमता का विकास करने के हमारे कार्यक्रम पर इस असफलता का किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ग) भविष्य में ऐसी असफलता की सम्भावनाओं को दूर करने के लिए अनेक कदम उठाये गए हैं, जिनके अन्तर्गत किए गए कार्यों में शामिल कार्य हैं—सही डाइयों का इस्तेमाल करके हार्डवेयर चैम्बर की सहनशक्ति को सही रखना, इंस्यूलेटर को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए उसका डिजाइन दोबारा बनाना, अनेक मोटरों में से चुनी गई कुछ राकेट मोटरों की जांच राकेटों को चलाने में उनकी उपयोगिता का पता लगाने के लिए करना तथा श्रेष्ठतर स्वीकृत मानकों वाले प्रणोदकों के भाग बनाना।

वर्ष 1971 के दौरान जारी किए गए लाइसेंसों का उपयोग

4882. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए और उनमें से कितने लाइसेंसों को उपयोग में लाया गया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : वर्ष 1969, 1970 और 1971 के कलैन्डर वर्ष में निम्नलिखित संख्या में औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे :—

वर्ष	जारी किए गये औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या	(सी० ओ० बी०)
1969	221	18
1970	363	123
1971	626	309
योग	1210	450

उपर्युक्त में से 450 लाइसेंस काम चलाने के लिए जारी किये गये हैं। इनमें पार्टियों ने या तो लाइसेंसीकृत क्षमता स्थापित कर ली है अथवा सम्बन्धित उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करने की अवधि में अथवा उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम में उपबन्धों से दी गई छूट की अवधि में लाइसेंसीकृत क्षमता को कार्यान्वित करने के लिए कारगर कदम उठाये हैं।

शेष लाइसेंसों के बारे में यह कहा गया है कि लाइसेंसों के अनुसार क्षमता स्थापित करने में औद्योगिक लाइसेंसों के जारी होने के पश्चात् प्रायः लगभग दो या तीन वर्ष का समय लगता है। जिन पार्टियों को 1969 से आगे लाइसेंस जारी किये गये थे, ऐसा विश्वास है कि वे अधिकतर मामलों में अपनी क्षमता स्थापित करने की प्रक्रिया में लगे हैं।

Demand for Telephone Facilities in Madhya Pradesh

4883. **Dr. Laxminarain Pandey :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the names of places in Indore and Dhar Districts of Madhya Pradesh where a

demand for setting up of telephone exchanges has been made and since when such a demand is being made;

(b) the names of the places where there has been a demand for setting up public Call Offices and since when;

(c) the names of the places where a demand has been made for expansion of telephone exchanges together with the dates on which such a demand was made; and

(d) the steps taken by Government in this regard?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna): (a) to (d). A statement is laid on the Table of the Lok Sabha. **[Placed in the Library. See No. L. T. 1923/72]**

Foreigners Overstaying in India

4884. **Shri Ishwar Chaudhry**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of foreigners residing in India at present whose term of passports or visas has since expired and who have gone underground;

(b) the number of foreigners among them who came from Pakistan; and

(c) the action taken to repatriate them to their respective countries and the concrete steps proposed to be taken by Government in future in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Political Parties' Cooperation to Government during Indo-Pak War

4885. **Shri Ishwar Chaudhry**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether some political parties did not support the stand taken by the Government of India during the Indo-Pak war in December, 1971 and that they also did not extend their co-operation in the war efforts of Government;

(b) if so, the names of these parties; and

(c) the attitude adopted by the Jamiat-e-Islami Party during the said War and the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) and (b). The conflict with Pakistan was marked by an unprecedented upsurge of national unity and all political parties expressed their support to the national effort in facing the challenge.

(c) Prior to the war, the organisation had adopted a somewhat equivocal attitude in regard to the developments in Bangla Desh. But, subsequent to the war the organisation is reported to have passed resolutions accepting the reality of Bangla Desh.

स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन पर किया जा रहा व्यय

4886. **श्री धर्मराव अफजलपुरकार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन पर राज्यवार कितना व्यय किया जा रहा है ?

गृह मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : उन व्यक्तियों की संख्या जो अन्दमान

में कैद किए गये थे अथवा देश के बाहर की जेलों में भेजे गये थे जिनको स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के लिए पेंशन योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय राजस्व से पेंशन देना स्वीकार किया गया ।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**लाभ उठाने वालों की संख्या**	**पेंशन प्रतिमाह (रुपये में)**
पश्चिम बंगाल	208	41,400
असम	1	250
त्रिपुरा	15	3,300
बिहार	7	1,500
मैसूर	1	200
आन्ध्र प्रदेश	1	250
पांडिचेरी	1	150
उत्तर प्रदेश	10	2,020
महाराष्ट्र	2	450
गुजरात	1	200
गोआ	6	1,550
दिल्ली	4	750
पंजाब	8	1,300
हरियाणा	1	100
जोड़	266	55,420 रुपये प्रतिमाह

टिप्पणी :— इसके अतिरिक्त 1857 के आन्दोलन में भाग लेने वालों के 13 बंशजों को 12000 रुपये की रकम प्रतिवर्ष दी जाती है ।

चौथी योजना में मैसूर के पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना

4887. **श्री धर्मराव अफजलपुरकार** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में मैसूर के पिछड़े क्षेत्रों में कितने लघु उद्योग स्थापित किए जायेंगे ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार ने कुल कितने धन की मंजूरी दी है ?

औद्यौगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) वर्ष 1969-70 से राज्यों की राज्य प्रायोजना में सम्मिलित योजनाओं के कार्यान्वियन के लिये केन्द्रीय सहायता और ऋण ब्लाकों में दी जाती है तथा राज्य की वार्षिक योजना के लिये विकास के अलग अलग शीर्षों के अनुसार न देकर इकट्ठी दी जाती है । अतः अलग रूप में लघु उद्योगों को मिली केन्द्रीय सहायता की सही सही राशि बता सकना सम्भव नहीं है ।

आन्ध्र प्रदेश में चित्तूर के आस पास छोटे स्वचालित एक्सचेंजों का चित्तूर एक्सचेंज के स्थानीय सीमा-क्षेत्र के अन्दर आने वाले एक्सचेंजों के रूप में वर्गीकरण

4890. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में चित्तूर के निकट 20 किलोमीटर की दूरी के अन्दर आने वाले वंगरूपलेम, अरगेंडा और इराला स्थानों पर स्थित छोटे-छोटे स्वचालित एक्सचेंजों को चितूर एक्सचेंज के स्थानीय सीमा-क्षेत्र के अन्दर आने वाले एक्सचेंजों के रूप में वर्गीकृत करने का सरकार का विचार है, जिससे तिरुपति की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार जनता स्थानीय काल दरों पर ही इन स्थानों से सीधा सम्पर्क कर सके ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह योजना अलाभकर सिद्ध होगी ।

समाचार-पत्र वित्त निगम स्थापित करने का प्रस्ताव

4891. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि समाचार-पत्र वित्त निगम की स्थापना करने सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में कोई प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : जी, हां । उम्मीद है समाचार पत्र वित्त निगम की स्थापना करने सम्बन्धी विधेयक यथा शीघ्र फिर से प्रस्तुत किया जायेगा ।

बेरोजगारी की समस्या के हल के लिये प्रस्ताव

4892. **श्री बेकारिया** : क्या **योजना** मन्त्री बेरोजगारी की समस्या के हल के लिये प्रस्ताव के बारे में 1 दिसम्बर, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 371 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित और निरक्षर लोगों की बेरोजगारी दूर करने के लिये लागू की गई विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत, योजनावार, कितने लोगों को रोजगार दिया गया ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

वर्ष 1971 के दौरान उद्योगों को स्थापित करने के लिये विदेशी सहयोग करार

4893. **श्री बेकारिया** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में विदेशी सहयोग के लिए 1971 के दौरान प्राप्त प्रस्तावों में से कितने प्रस्तावों पर अभी तक निर्णय नहीं किया गया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : 1971 में विदेशी सहयोग के लिये प्राप्त हुए कुल 456 आवेदन पत्रों में से 233 प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं ।

देश में डाक तथा तार विभाग की नई कालोनियों का निर्माण

4894. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न डाक तथा तार सर्किलों में डाक तथा तार विभाग की नई कालोनियों का निर्माण करने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो सर्किलवार इनका ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित कालोनियां कहां-कहां बनाई जायेंगी ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख). जी हां, एक सूची संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1924/72]**.

विभिन्न संगठनों में भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित मानकों को अपनाया जाना

4895. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय मानक संस्था ने अब तक कितने भारतीय मानक निश्चित किये हैं ;

(ख) कितने मानक प्रत्यक्षतः उपभोक्ताओं के हित के हैं ; और

(ग) विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अपनाये गए मानकों की प्रतिशतता क्या है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). मार्च, 1972 तक कुल 6817 भारतीय मानक लागू हुए हैं, जिनमें 887 मानक उपभोक्ताओं से प्रत्यक्ष सम्बन्धित हैं ।

(ग) 31 मार्च, 1972 तक 80 प्रतिशत, (संख्या 5179) भारतीय मानक विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा अपना लिए गए हैं ।

Reconstruction of Pilibhit Post Office Building

4896. **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the building of the City Post Office in Pilibhit City is in a dilapidated condition and is not specious enough to meet the present requirements ;

(b) whether Government propose to reconstruct the said building ; and

(c) if so, the time by which it will be done ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) The rented building in which Pilibhit City Post Office is functioning was thoroughly renovated in March, 1971 by the Department at its own cost to improve its condition. The accommodation available in it is sufficient to meet the requirements of the Post Office.

(b) The reconstruction of the building is not possible as it is not a departmental building.

(c) Does not arise in view of the reply to (b) above.

Falling Standards of I. A. S.

4897. **Shri Mohan Swarup :** Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the capability of young boys and girls joining I. A. S. is going down day by day and their standard is far below the standard of an I. C. S. Officer ;

(b) whether the I. A. S. Officers' Association has expressed its dissatisfaction over the training of I. A. S. recruits and the recommendations of the Administrative Reforms Commission; and

(c) if so, Government's reaction thereto?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) No recruitment was made to the Indian Civil Service after 1943. A new service, namely, the Indian Administrative Service was constituted formally in 1946 to perform essentially the same duties and functions as had been assigned to the Indian Civil Service. The Indian Administrative Service received constitutional recognition, vide Article 312 (2). 75% of the posts in the Indian Administrative are filled through direct recruitment on the basis of the results of a competitive examination of a standard as high as that of the earlier Indian Civil Service Examination. Since the Constitution of the Indian Administrative Service, the functions of Government have increased vastly, particularly in the economic and developmental fields, throwing considerable burden on the members of the Indian Administrative Service at the District and other levels with the progressive implementation of the five year Plans. That these officers have, by and large, performed efficiently their duties in these new fields, which require intelligence, tact and capability of a high order, has established that their capability or standards of performance are in no way lower to those of the members of the former Indian Civil Service, who have also since become members of the Indian Administrative Service by virtue of the provisions of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक की विदेश यात्राएं

4898. **श्री डी० के० पंडा** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी-मार्च, 1970 में राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक ने विदेशों का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों का कितने समय और किस उद्देश्य के लिए दौरा किया गया था और उस पर भारतीय तथा विदेशी मुद्रा में कुल कितनी राशि खर्च की गई थी ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) 19 फरवरी, 1972 से 31 मार्च, 1972 के बीच राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के प्रबन्ध-संचालक अपने विदेश-दौरों के सम्बन्ध में निम्नलिखित स्थानों को गये थे।

रायो-डी-जेनीरो,
रेसिफे,
ब्यूनस् आयरस,
सेन्टयेगो,
लीमा,
डल्लास,
पिट्सबर्ग,
न्यूयार्क,
लन्दन
पेरिस,
फ्रेंकफर्ट,
फ्लोरेंस तथा टोकियो।

दौरों का उद्देश्य यह था :—

(i) लैटिन अमरीका में सरकारी क्षेत्र के शिष्टमण्डल के सदस्य के रूप में व्यापार की सम्भावनाओं की खोज तथा संयुक्त उद्योग स्थापित करना,

(ii) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के लिए कार्य की सम्भावनाओं का पता लगाना,

(iii) मैसर्स भारत पम्पस् तथा कम्प्रैसर्स लिमिटेड जिसके लिए राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम सलाहकार का कार्य करता है, उसकी गैस सिलैन्डर व पम्पस् तथा काम्प्रैसर्स की परियोजनाओं के लिए सहयोग के करारों को अन्तिमरूप देना तथा तकनीकी विषयों पर विचार विमर्श।

खर्च	
भारतीय मुद्रा	29,000 रुपए (लगभग)
विदेशी मुद्रा	रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा दिए गए 475 पौंड, 320 शिलिंग।

दौरों पर हुआ 12 से 31 मार्च, 1972 तक का व्यय भारत पम्प्स एण्ड काम्प्रैसर्स लिमिटेड वहन करेगा।

औद्योगिक विकास परामर्शदाताओं को मान्यता देने के लिए विधान

4900. **श्री बी० बी० नायक** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक उपक्रमों के विचारों को परियोजना रिपोर्टों में मूर्त रूप देने का काम इस समय प्राधिकृत अभिकरणों द्वारा किया जाता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार स्थापतियों की तरह औद्योगिक विकास परामर्श-दाताओं को मान्यता देने के सम्बन्ध में भी कोई कानून बनाने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी नहीं।

(ख) तकनीकी परामर्शदाता संगठन की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए कानून अधिनियमित करने हेतु इस प्रश्न की जांच के लिए एक नामिका गठित की रही है।

सभी लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था

4901. **श्री बी० बी० नायक** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लगभग सभी लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था देश में कब तक प्राप्त की जा सकती है ; और

(ख) रोजगार के क्षेत्र में उक्त स्थिति को प्राप्त करने की दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). देश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि यह बताना उचित नहीं होगा कि ठीक ठीक कब तक लगभग पूरा रोजगार दिया जा सकेगा। भावी आयोजन में केवल आर्थिक विकास पर बल न देकर अधिक रोजगार के अवसरों को सुलभ करने पर भी बल दिया गया है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि कतिपय अत्यधिक विकसित देशों में भी सभी लोगों को रोजगार प्रदान करना सम्भव नहीं हो सका हैं। विगत दो वर्षों के दौरान अनेक रोजगार-अभिमुख कार्यक्रम पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। इनमें से कुछेक ग्रामीण क्षेत्र में, जहां इस समय ज्यादा अर्थ-रोजगारी है वहां रोजगार को सुदृढ़ करने के लिये है। अनेक स्कीमें शिक्षित रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए शुरू किए गये हैं। श्रम तथा रोजगार मंत्रालय द्वारा नियुक्त बेरोजगारी सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति भी इस प्रश्न पर विचार कर रही है ताकि इस समस्या के समाधान के लिए सुदृढ़ प्रस्ताव तैयार किए जा सकें।

पंजाब-राजस्थान सीमा पर पाकिस्तानी जासूसों की गिरफ्तारी

4902. **श्री वी० मायावन :**
श्री देवेन्द्र सिंह गरचा :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 1 अप्रैल, 1972 को पंजाब-राजस्थान सीमा पर फिरोजपुर के निकट चार पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनसे कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए थे ; और

(ग) क्या भारत-पाक युद्ध के उपरान्त पाकिस्तानी जासूसों की संख्या में वृद्धि हो गई है ; और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख). जिला फिरोजपुर में 30 मार्च, 1972 को पाकिस्तानी जासूस होने के सन्देह में चार व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे और उनसे कुछ दस्तावेज बरामद किये गये थे। मामलों की जांच की जा रही है।

(ग) सरकार को कोई ऐसी सूचना नहीं है । जासूसी गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त होने वाले व्यक्तियों का पता लगाने तथा मुकदमा चलाने के लिए यथोचित व्यवस्था विद्यमान है और इस सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित एजेन्सियों द्वारा अत्यधिक सतर्कता बरती जाती है ।

60 वर्ष की आयु में स्टाफ आर्टिस्टों की टाप 'ए' कलाकारों की श्रेणी में पदोन्नति

4903. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ स्टाफ आर्टिस्टों को 60 वर्ष को आयु में टाप 'ए' आर्टिस्टों की श्रेणी में पदोन्नत किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, नहीं । "टाप रैंकिंग" या "ए" की श्रेणी में रखे गए सभी स्टाफ आर्टिस्टों का इस प्रकार का श्रेणीकरण उनके 60 वर्ष की अवस्था में पहुंचने से पूर्व किया गया था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

टेलीविजन कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण की योजना

4904. **श्री बालडण्डायुतम** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीविजन कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण देने के लिए एक योजना का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहायता करने के लिए तैयार है ; और यदि हां, तो किस रूप में ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) से (ग). संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा दी गई सहायता से भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान, पूना में एक टेलीविजन प्रशिक्षण स्कन्ध स्थापित किया गया है । इसमें टेलीविजन केन्द्रों में नियुक्त विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को प्रवेश के बाद तथा सेवा के दौरान प्रशिक्षण दिया जाता है । संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता, विदेशों में प्रशिक्षणार्थ भारतीय व्यक्तियों को फैलोशिप, उपकरणों तथा विशेषज्ञों के रूप में होगी ।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों कि मांगें

4905. **श्री के० बाल डन्डायुतम** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारी कुछ मांगों के पूरा न किए जाने के कारण प्रबन्धकों के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मांगें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). कर्मचारियों ने सेवा शर्तों तथा कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ आदि के बारे में कुछ मांगें पूरी करने के लिए, अभ्यावेदन दिया है । मुख्य मांगें कर्मचारियों को स्थायी करने, ग्रेच्यूटी योजना चालू करने तथा मकान बनाने के लिए उन्हें ऋण देने के बारे में हैं, ये मांगें सिद्धान्त रूप में मान ली गई हैं और सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उनके ब्यौरे की जांच की जा रही है ।

विभिन्न क्षेत्रों में गुजरात राज्य की प्रगति

4907. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य ने योजनावधि के पहले दो वर्षों में चौथी योजना के लक्ष्यों में तेजी से प्रगति की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त राज्य ने खाद्यान्नों के उत्पादन में अधिकतम विकास दर प्राप्त की है ;

(ग) क्या खनन और निर्माण क्षेत्र का योगदान बहुत कम रहा है ; और

(घ) क्या योजना आयोग राज्य के चतुर्मुखी विकास के लिए भावी पंचवर्षीय योजना में कुछ अधिक योजनाओं का नियतन करेगा ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (घ). मुख्य क्षेत्रों के अन्तर्गत चौथी योजना की प्रथम दो वर्षों की अवधि के दौरान भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धियां अधिकांशत: सामान्य रहीं। अनाजों के उत्पादन का जहां तक सम्बन्ध है, गुजरात में प्रथम दो वर्षों के दौरान 23 प्रतिशत मिश्रित वार्षिक विकास की दर से उपलब्धि हुई, जो कि देश में सबसे ज्यादा है। उद्योग और खान क्षेत्र के अन्तर्गत चौथी योजना में जो 20 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है वह 455 करोड़ रुपये के कुल चौथी योजना परिव्यय का कुल 4.4 प्रतिशत है अत: इस क्षेत्र का अंशदान उतना ज्यादा होने की सम्भावना नहीं है जितना कि अन्य क्षेत्र से अपेक्षा की जाती है। गुजरात की प्रस्ताविक पांचवीं पंचवर्षीय योजना को जब अंतिम रूप दे दिया जायेगा तो वह निस्सन्देह राज्य में समेकित और संतुलित विकास करेगी।

मध्य प्रदेश के लिए योजना सम्बन्धी नियतन में वृद्धि

4908. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में मध्य प्रदेश राज्य के लिए योजना नियतन में वृद्धि करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो किन क्षेत्रों में नियतन में वृद्धि करने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) मध्य प्रदेश की चौथी पंचवर्षीय योजना की वित्तीय-व्यवस्था के लिए उपलब्ध संसाधनों की संवीक्षा करने पर विदित हुआ कि राज्य के योजना परिव्यय को वर्तमान अनुमोदित 393 करोड़ रुपये के परिव्यय से बढ़ाकर 435 करोड़ रुपये किया जा सकता है। बढ़े हुए परिव्यय की वित्तीय व्यवस्था राज्य द्वारा अपने संसाधनों से किए जाने का प्रस्ताव है। परन्तु इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय अभी लिया जाना है।

(ख) बढ़े हुए परिव्यय के क्षेत्रवार आवंटन को अभी निश्चित किया जाना है।

Central Vigilance Commission's Report on Corruption in Administration

4909. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri M. C. Daga :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item appearing in the Hindustan Times dated the 6th April, 1972 that the Central Vigilance Commission has reported that corruption is spreading in administration through Government servants ; and

(b) if so, the reaction of the Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) The news item entitled Graft among public servants continues' published in the "Hindustan Times" dated the 6th April, 1972 is presumably based on the observation of the Central Vigilance Commission made in Section VIII of its Annual Report for the year 1970-71 to the effect that "corruption continues to prevail fairly widely among public servants though its extent varies from one department to another".

(b) In order to intensify the drive against corruption, the Central Bureau of Investigation

as well as departmental vigilance organisations have been strengthened. The Lokpal and Lokayukta Bill which is presently before the Parliament is yet another measure calculated to combat the evil. An annual programme of vigilance and anti-corruption work is also drawn up and implemented. This includes surprise checks and intensified action in certain sensitive departments to prevent delays. Suggestions made by the Central Vigilance Commissioner from time to time for combating the evil of corruption are given utmost consideration and appropriate remedial measures are taken by Government.

Stationing of B. S. F. in Border Areas of Bihar Adjoining Nepal

4910. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state whether Government propose to station Border Security Force in border areas of Bihar adjoining Nepal ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : There is no proposal in this regard under the consideration of Government.

दिल्ली के टेलीफोन एक्सचेंजों से नये कनेक्शन देने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के दौरान कुछ पार्टियों को टेलीफोन देना

4911. **श्री सतपाल कपूर :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के कुछ टेलीफोन एक्सचेंजों पर ईदगाह टेलीफोन एक्सचेंज के चालू होने तक, नये टेलीफोन कनेक्शन देने का प्रतिबन्ध लगा दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो किन टेलीफोन एक्सचेंजों पर प्रतिबन्ध लगाया गया था और कितनी अवधि तक लगाया गया था ;

(ग) क्या प्रतिबन्ध की अवधि के दौरान भी कुछ पार्टियों को कुछ टेलीफोन कनक्शन दिए गये थे ; और

(घ) यदि हां, तो इस अनियमितता के लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और इस सम्बन्ध में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) नए ईदगाह एक्सचेंज के खुलने पर जिन एक्सचेंजों को राहत मिलेगी उनमें से नीचे लिखे एक्सचेंजों में कनेक्शन देने की क्षमता समाप्त हो जाने पर उनके सामने दी गई तारीख से वहां कनेक्शन देना बन्द कर दिया गया है।

(क) करौल बाग (लेबल '56')·········जून 71

(ख) तीस हजारी (लेबल '22')·········नवम्बर 69

इन एक्सचेंजों में से टेलीफोन देना तब तक बन्द रहेगा जब तक ईदगाह एक्सचेंज से राहत मिलने पर इन एक्सचेंजों में कनेक्शन देने की कुछ क्षमता खाली न हो जाए।

(ग) जी हां।

(घ) अपवाद जनक मामलों में प्रत्येक मामले पर समुचित अधिकारी के आदेश लेकर टेलीफोन दिए गए हैं। अतः किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

शिकायत आयुक्त और सतर्कता आयुक्त के कार्यालयों का विलय

4912. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सतर्कता आयुक्त की सातवीं रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है जिसमें यह कहा गया है कि जनता से प्राप्त शिकायतों की जांच करने के लिए अवसर प्रदान करने की दृष्टि से शिकायत आयुक्त और सतर्कता आयुक्त के वर्तमान अलग-अलग कार्यालयों को मिलाकर एक कर दिया जाय ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक 1971 के उपबन्धों के अनुसार—यह विधेयक पहले से ही संसद के समक्ष है—कष्ट तथा आरोपों से सम्बन्धित शिकायतों पर, विधेयक में प्रस्तावित लोकपाल तथा लोका-युक्त पीठ (इन्स्टिट्यूशन) गौर करेगी। विधेयक के पारित होने के बाद इस पीठ के बन जाने से उन कार्यों को मिला कर एक कर दिया जाएगा जो इस समय शिकायत आयुक्त और केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त द्वारा किए जा रहे हैं।

उड़ीसा के बालासोर और मयूरभंज जिलों के लिए पृथक डाक प्रभाग

4913. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के बालासोर और मयूरभंज जिलों के लोगों की इस मांग पर विचार कर लिया है कि बालासोर अथवा मयूरभंज के जिला मुख्यालय में एक नया और अलग से डाक प्रभाग स्थापित किया जाये ; और

(ख) यदि नहीं, तो मांगों को स्वीकार करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख). बालासोर जिले के लिए पहले से ही एक अलग डाक डिवीजन है, जिसका मुख्यालय बालासोर में है। मयूरभंज का जिला क्योंझरगढ़ डिवीजन में शामिल है। यह डिवीजन मयूरभंज जिले के अलावा क्योंझर और धेनुकनाल जिलों का काम भी करता है। इस डिवीजन का मुख्यालय क्योंझरगढ़ है। विभागीय मानकों को दृष्टि में रखते हुए क्योंझरगढ़ डिवीजन को फिलहाल दो हिस्सों में बांटने का औचित्य नहीं है।

नागालैण्ड से सशस्त्र सेना (विशेष शक्ति) विनियम सं० 2-1968 का वापस लिया जाना

4914. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1968 के सशस्त्र सेना (विशेष शक्ति) विनियम सं० 2 को नागालैण्ड से वापस ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे वापस ले लेने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख). सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) विनियम, 1958 के खण्ड 1 (4) में की गई व्यवस्था के अनुसार इसका प्रभाव 5 अप्रैल, 1972 को समाप्त हो गया। सशस्त्र बल (असम व मणिपुर) विशेष शक्तियां (संशोधन) अधिनियम, 1972 के आधार पर समान उपबन्धों वाला सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 उसी दिन नागालैण्ड में भी लागू हुआ।

समाचारपत्रों पर 10 पृष्ठ की अधिकतम सीमा के बारे में अखबारी कागज सम्बन्धी सलाहकार समिति के विचार

4915. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज सम्बन्धी सलाहकार समिति में समाचारपत्रों की 10 पृष्ठ की अधिकतम सीमा के बारे में मतैक्य नहीं था ; और

(ख) यदि हां, तो मतभेद के मुख्य विषय क्या थे और उन पर क्या-क्या विचार व्यक्त किये गये ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख). बैठक में उपस्थित 7 सदस्यों में से 4 जनवरी-मार्च, 1972 की तिमाही के दौरान लगाई गई 10 पृष्ठ की सीमा को जारी रखने के पक्ष में थे, जब कि अन्य तीनों ने कहा था कि समाचारपत्र उद्योग के आर्थिक मामलों की जांच करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त तथ्य अन्वेषक समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक कोई पृष्ठ सीमा लागू नहीं की जानी चाहिए।

Application for setting up of Scooter Factory in Private Sector in Bihar

4916. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether Government have received any application for setting up of a scooter manufacturing factory in private sector in Bihar;

(b) whether Government have approved the grant of licence for setting up the said factory ; and

(c) if so, the reasons for according approval for setting up a factory in the private sector ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c). In October 1969, Government issued a Press Note inviting applications from interested entrepreneurs, who were prepared to take up production of scooters with completely indigenous knowhow and materials and without any foreign collaboration. In response 45 applications were received from parties in the private sector, as well as from the State Government Industrial Department Corporations. One of these was from Hathwa Enterpriser, of Patna, for the establishment of a new industrial undertaking at Patna in the State of Bihar for the manufacture of scooters with an annual capacity of 50,000 Nos. As the scheme of the applicant complied with the conditions set out in the Press Note, a Letter of Intent for a capacity of 24,000 scooters per annum was issued to the party on the 25th August, 1971.

बिहार सर्किल में डाक-तार कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

4917. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में डाक-तार कर्मचारियों के लिए बिहार सर्किल में क्वार्टरों के निर्माण के लिए कितनी राशि रखी गई है ;

(ख) इसमें से कितनी राशि अब तक व्यय की जा चुकी है ;

(ग) क्या बिहार सर्किल के पोस्टमास्टर जनरल ने अतिरिक्त राशि की मांग की है और यदि हां, तो कितनी ; और

(घ) स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए अन्य सर्किलों के लिए नियत परन्तु अभी तक उपयोग में न लाई गई राशि का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 78 लाख रुपये ।

(ख) अभी तक 54 लाख 64 हजार रुपये के निर्माण कार्य के लिए संविदा की गई है । इन कार्यों की प्रगति अलग 2 चरणों में हो रही है । बोकारो में स्टाफ क्वार्टरों के लिए 20 लाख रुपये की राशि नियत की गई है । दरभंगा के लिए 4 लाख रुपये की राशि नियत की गई है और इसकी मंजूरी के लिए कार्रवाई की जा रही है ।

(ग) जी हां । लगभग 132 लाख रुपये की कुल धन राशि और बिहार सर्किल के लिए रखी गई धन राशि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वहां 8 लाख रुपये की और राशि अलाट करने के लिए मामला विचाराधीन है ।

(घ) कुछ नहीं ।

बिहार सर्किल में डाक-तार कार्यालय किराये की इमारत में

4918. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सर्किल में कितने डाक-तार कार्यालय किराये की इमारतों में काम कर रहे हैं और विभाग द्वारा कितना किराया दिया जा रहा है ;

(ख) विभागीय कार्यालयों के उपयोग के लिये कितनी इमारतें विचाराधीन हैं; और

(ग) निर्माणाधीन इमारतों के कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 1108 जिनका मासिक किराया 1,06,195 रुपये है ।

(ख) 19

(ग) 1972 में 13
1973 में 4
1974 में 2

पटना में डाक-तार क्वार्टरों और इमारतों का रखरखाव

4919. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार सिविल विंग पटना द्वारा डाक-तार क्वार्टरों और इमारतों के रखरखाव का कार्य नहीं किया जा रहा है और सर्विस यूनियनों ने इस बारे में जांच की मांग की है ;

(ख) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है ; और

(ग) क्या डाक-तार इमारत के रखरखाव का कार्य फिर से पोस्टमास्टर जनरलों को सौंपने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) यह सही नहीं है कि डाक-तार सिविल विंग, पटना में डाक-तार क्वार्टरों और इमारतों के रखरखाव का काम नहीं कर रहा है। किंतु पोस्टमास्टर जनरल के साथ हुई यूनियनों की एक बैठक में एक यूनियन ने इमारतों के रखरखाव के काम की जांच कराने की मांग की है।

(ख) जी हां।

(ग) प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। और शीघ्र ही यह प्रश्न निर्णय के लिए डाक-तार बोर्ड के सम्मुख रखा जाएगा।

Construction of Roads in Dacoit Infested Areas

4920. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether a meeting was held in Delhi in October, 1970 in regard to the construction of roads in dacoit-infested areas and the Secretaries, Chief Engineers and Inspectors-General of Police of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan had participated in the said meeting;

(b) if so, the names of roads proposed to be constructed as a result of discussions in the said meeting; and

(c) whether the Central Government would provide special financial assistance to these States for construction of roads there after due consideration of their proposal ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin): (a) Yes, Sir.

(b) A statement showing the names of roads that are considered necessary for opening up this area is attached. **[Placed in Library. See No. L.T. 1925/72]**

(c) The Government of India have offered 100% loan for the construction of the inter-state roads.

The question of how best the construction of the other roads within each State could be taken up and financed is under examination of the State Governments and the Central Government.

Expansion of Indore A.I.R.

4921. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether Government are going to expand Indore Station of A.I.R. ; and

(b) if so, the main features thereof and the time by which the expansion work of the said Station with new equipment would be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Information and Broadcasting (Shrimati Nandini Satpathy) : (a) Yes, Sir.

(b) The existing medium power transmitter is to be replaced by a high power transmitter. The work on this is expected to be completed by 1973-74.

देश से गरीबी का उन्मूलन

4923. **श्री राम सहाय पांडेय :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गरीबी समाप्त करने के लिए योजना आयोग ने एक समय बद्ध कार्यक्रम तैयार करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए अपनाए जाने वाले मार्गदर्शन सिद्धान्तों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में योजना के प्रारूप को कब तक अंतिम रूप दे दिए जाने की सम्भावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). गरीबी का उन्मूलन पांचवीं योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक है और योजना आयोग इस उद्देश्य की कार्यनीति तैयार करने का काम कर रहा है ।

(ग) 1973 के मध्य तक योजना का प्रारूप तैयार हो जाने की सम्भावना है ।

टेलीविजन पर रंगीन चित्र

4924. **श्री राम सहाय पाण्डे :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में भारत में टेलीविजन पर रंगीन चित्र दिखाने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए विदेशों से तकनीकी रखने वाले व्यक्तियों को बुलाने की कोई व्यवस्था की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल से लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र

4925. **श्री प्रिय रन्जन दास मुंशी** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में नए कारखाने खोलने अथवा अन्य राज्यों से पश्चिम बंगाल में उद्योग स्थानान्तरित करने हेतु लाइसेंसों के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) आवेदन पत्रों पर क्या निर्णय लिए गए हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) नये उद्योग स्थापित करने के लिए पश्चिम बंगाल से 1971 में 58 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। अन्य राज्यों से पश्चिम बंगाल में औद्योगिक उपक्रमों के स्थानान्तरण हेतु कोई आवेदन पत्र नहीं मिला है।

(ख) 1971 में मिले 58 आवेदनों पत्रों में से 7 मामलों में आशय पत्र जारी किए गये हैं, 12 आवेदन पत्रों को अन्य प्रकार से निपटा दिया गया है। शेष 39 आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन हैं।

भारत के स्वतन्त्रता संघर्ष पर पूरी फिल्म

4926. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके मन्त्रालय का विचार भारतीय स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती के अवसर पर भारतीय स्वतन्त्रता संघर्ष पर सब भाषाओं के पूरी फिल्म बनाने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : भारतीय स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती के अवसर पर 1857 से स्वतन्त्रता के लिये भारतीय संघर्ष पर 'रोड टु फ्रीडम' नामक एक छोटी फिल्म निर्माणाधीन है। इसको सभी भाषाओं में डब किया जायेगा। पूरी बम्बई की फिल्म बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रबड़ निर्माण उद्योग की उत्पादन क्षमता

4927. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रबड़ निर्माण उद्योग की उत्पादन क्षमता कितनी है ; और

(ख) उसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए कितनी मात्रा में प्राकृतिक रबड़ की आवश्यकता होगी ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ऐसी बहुत सी वस्तुयें

हैं जो रबड़ की वस्तुएं बनाने वाले उद्योग के अन्तर्गत आती हैं । अत्यन्त ही महत्वपूर्ण वस्तुएं ये हैं— मोटरगाड़ी के टायर, साइकिल के टायर, पंखों और वी बेल्टें, रबड़ के होजेज, रबड़ कन्वेयर वेल्टिंग रबड़ तथा कनवैस के जूते । एक वर्ष का उत्पादन निम्न प्रकार है :—

वस्तु का नाम	गणना की इकाई	लाइसेंस प्राप्त/अधिष्ठापित क्षमता	1971 में उत्पादन
मोटरगाड़ी के टायर	संख्या	45,79,200	46,59,129
साइकिल के टायर	,,	2,80,00,000	2,06,63,883
फैन एंड वी बेल्टें	,,	52,60,000	56,07,215
रबड़ के होजेज	मीटर	78,40,000	35,06,375
रबड़ कन्वेयर बेल्ट	मी०टन	3,702	2,994
रबड़ तथा कनवैस के जूते	जोड़े	550.2 लाख	447.7 लाख

(ख) वर्ष 1970-71 में इस उद्योग में इस्तेमाल की गई प्राकृतिक रबड़ की मात्रा 87,227 मी० टन की थी । इस उद्योग में अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्माण की वस्तु मोटर गाड़ी के टायर तथा ट्यूबें हैं । टायरों और ट्यूबों के मामले में पूरी क्षमता का प्रयोग करना है । प्राकृतिक रबड़ की अनुमानित मांग लगभग एक लाख मी० टन है ।

P&T Staff Quarters in District Darbhanga, Bihar

4928. **Shri Ram Bhagat Paswan :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government are in possession of about 50 acres of land in P & T Training Centre, Villa Palace in Darbhanga District of Bihar ;

(b) whether Government have any scheme to set up a residential colony for P & T employees there ; and

(c) if so, the time by which the said colony is likely to be set up ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) Yes. 62 acres of land in the Villa Palace premises are in possession of P & T Training Centre at Darbhanga.

(b) Yes.

(c) The colony is likely to be set up within the 4th plan period.

Loans and Grants to Khadi Industry

4929. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) the names of the societies engaged in khadi industry which have been given loans or grants by Government together with the amount of loans or grants given to each one of them during the last three years ; and

(b) whether khadi industry has not so far become self-sufficient and if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : The Loans and Grants are not given by the Central Government direct to any societies engaged in the Khadi Industry in the country. The Loans and Grants are sanctioned for the development of Khadi Industry to Khadi and Village Industries Commission, Bombay. The Grants (including subsidy to offset the shortfall in interest due on loans) and loans which have been released to the Khadi and Village Industries Commission, Bombay, for the last three years are as under :

(Rs. in Lakhs)

Year	Khadi Grants (including subsidy)	Khadi Loans
1969-70	1031.00	222.00
1970-71	1055.00	320.00
1971-72	996.00	487.46

(b) The Khadi Industry has not so far become self-sufficient for the reason that the bulk of the Khadi production at present is based on yarn spun on the traditional charkha and the price differential is high not only between khadi and mill cloth but also khadi and handloom cloth produced from mill yarn.

Import of Raw Materials for Small Scale Industries

4930. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) the raw materials imported last year from abroad for small scale industries and the value thereof ; and

(b) the attitude of Government towards the small scale industries on which foreign exchange is required to be spent ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). Actual users are allowed import of raw materials, components and spares on the basis of the end products to be manufactured. Value of import licences issued in the period April 1971 to January 1972 is Rs. 79.15 crores. Separate figures for raw materials alone is not available. Government's continuous endeavour is to replace to the extent possible import for all sectors by indigenous substitutes.

दक्षिण-पूर्व संसाधन क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विकास योजना

4931. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के अनिर्णय के कारण दक्षिण-पूर्व क्षेत्र, जिसमें मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, तथा उत्तर प्रदेश के 26 जिले सम्मिलित हैं, के लिए 83,000 करोड़ रुपये

की लागत की बारह् वर्षीय क्षेत्रीय विकास योजना का विस्तृत अध्ययन कार्य रुका पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना को अन्तिम रूप न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, नहीं । योजना अभी तैयार की जानी है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दक्षिण पूर्व संसाधन क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विकास योजना

4932. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व संसाधन क्षेत्र के 12 वर्षीय क्षेत्रीय विकास योजना की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) सरकार का विचार उक्त योजना की कब तक स्वीकृति देने का है ; और

(ग) उड़ीसा के विकास के बारे में उक्त योजना की रूप-रेखा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

भारत सरकार, स्वास्थ्य व परिवार नियोजन, निर्माण, आवास और नगर विकास मन्त्रालय (निर्माण, आवास और नगर विकास विभाग) ने दिनांक 29 अगस्त, 1969 के प्रस्ताव द्वारा बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के भागों सहित दक्षिण-पूर्व संसाधन क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विकास योजना तैयार करने के लिए प्राधिकृत किया । इस काम के लिए, सरकार ने एक समन्वय समिति तथा एक संयुक्त आयोजन मण्डल का गठन किया और उसे निर्देश दिया कि उपर्युक्त क्षेत्र का आवश्यक सर्वेक्षण और अन्वेषण करने के बाद संयुक्त आयोजन मण्डल एक क्षेत्रीय योजना तैयार कर उसे समन्वय समिति को प्रस्तुत करेगा । संयुक्त आयोजन मण्डल ने अपनी ओर से आवश्यक अध्ययन और अन्वेषण करने के लिए 13 समितियों का गठन किया और आवास व नगर विकास मंत्रालय के अधीन नगर व ग्रामीण आयोजन संगठन इन समितियों का तकनीकी व सचिवालय कार्य करेगा ।

संयुक्त आयोजन मण्डल के द्वारा नियुक्त 13 समितियों ने अपना अध्ययन और सर्वेक्षण का काम पूरा कर अपनी रिपोर्टों का प्रारूप तैयार कर लिया है । इन रिपोर्टों के प्रारूपों को अन्तिम रूप देने के बाद ऊपरि संदर्भित प्रस्ताव के अनुसार इन्हें संयुक्त आयोजन मण्डल को आवश्यक कार्यवाही के

लिए प्रस्तुत किया जायेगा । फिलहाल, 13 समितियों की रिपोर्टों के प्रारूप के आधार पर नगर और ग्रामीण आयोजन संगठन सारांश रिपोर्ट तैयार करेगा ।

इन 13 समितियों की रिपोर्टों को अन्तिम रूप देने तथा उन्हें संयुक्त आयोजन मण्डल के पास प्रस्तुत करने में शीघ्रता की जा रही है । इसके बाद ये रिपोर्ट क्षेत्रीय योजना तैयार करने के लिए सामग्री उपलब्ध करेंगी जिन पर संयुक्त आयोजन मण्डल और समन्वय समिति द्वारा शीघ्र ही विचार कर सरकार तथा योजना आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा । परिकल्पित क्षेत्रीय आयोजन के अन्तर्गत काफी क्षेत्र आता है और उसका आकार भी व्यापक है अतः उसकी तैयारी बड़ी सावधानीपूर्वक करनी पड़ रही है और इस प्रकार उसमें समय लग रहा है। इसके अन्तर्गत चार राज्य आते हैं और संयुक्त आयोजन मण्डल, समन्वय समिति तथा योजना आयोग द्वारा पूरी तरह छानबीन करने तथा सम्बद्ध राज्यों से सलाह-मशवरा किए बिना रिपोर्ट को अनुमोदित करना सम्भव नहीं । यह स्वाभाविक है कि इस प्रक्रिया में कुछ समय लगे ।

विदेशी सहयोग समझौते

4933. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 की पूर्ण अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी सहयोग के लिए कितने प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं ;

(ख) वर्ष 1970 में अनुमोदित किए गए ऐसे प्रस्तावों की तुलना में इन की संख्या कितनी है ; और

(ग) वर्ष 1972 के लिए इनकी संख्या सम्भावनाएं क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). वर्ष 1971 की अवधि में विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी सहयोग प्रस्तावों की कुल स्वीकृत संख्या 245 थी, जब कि वर्ष 1970 में यह 183 थी ।

(ग) वर्ष 1972 की प्रथम तिमाही (1/1/72 से 31/3/72 तक) की अवधि में 44 विदेशी सहयोग करार स्वीकृत हुए । कुल 162 आवेदन प्राप्त हुए, जोकि विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन हैं । यह बताना सम्भव नहीं है कि पूरे वर्ष में कुल कितनी संख्या में विदेशी सहयोग स्वीकृत होंगे ।

परमाणु ऊर्जा विभाग का पुनर्गठन

4934. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा विभाग का हाल ही में पुनर्गठन किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो पुनर्गठन सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक-तार विभाग के विभागेतर कर्मचारियों के बारे में मदन किशोर समिति

4935. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तार विभाग के विभागेतर कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में जांच करने के लिये नियुक्त मदन किशोर समिति को दिया गया समय काफी पूर्व ही समाप्त हो गया था और यदि हां, तो सरकार को प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया गया था ;

(ख) यदि सरकार को प्रतिवेदन पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है तो उसको कब प्रकाशित किया जायेगा और ई० डी० समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के बारे में निर्णय लेने में सरकार को कितना समय लगेगा ; और

(ग) क्या सरकार उसकी सिफारिशों की एक प्रति संसद् में रखेगी ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) इस समिति का कार्यकाल 31 दिसम्बर 1971 को समाप्त हुआ और इसकी रिपोर्ट सरकार को 16 मार्च, 1972 को मिली है।

(ख) आशा है यह रिपोर्ट शीघ्र ही प्रकाशित हो जाएगी। इस समय सरकार इस समिति की सिफारिशों पर विचार कर रही है।

(ग) जैसे ही इस पर निर्णय लिया जाएगा समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें और उन पर की गई कार्रवाई का विवरण लोक-सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

डाक तार विभाग के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की सेवा-शर्तों में सुधार

4936. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि डाक तथा तार विभाग में अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी स्वतंत्रता प्राप्ति के दिन से अपनी सेवा शर्तों में सुधार का अनुरोध कर रहे हैं ; और

(ख) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने विभागेतर एजेन्टों की सेवा की शर्तों सम्बन्धी पूरे मसले पर विचार करने के लिए एक विभागेतर समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और इसकी सिफारिशों की परीक्षा की जा रही है।

कच्चे माल के उपयोग के लिये भारत-श्रीलंका संयुक्त उद्यम की स्थापना

4937. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उपलब्ध कच्चे माल का अधिकतम उपयोग करने के लिये भारत श्रीलंका के बीच संयुक्त उद्यम स्थापित करने के उद्देश्य से समझौता हुआ है ; और

(ख) क्या इसके अन्तर्गत उत्पादित माल केवल श्रीलंका और भारत में ही बेचा जायेगा अथवा अन्य जरूरतमन्द देशों में भी बेचा जायेगा ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). सितम्बर और नवम्बर, 1971 में भारत और श्रीलंका की द्विपक्षीय बातचीत के दौरान दोनों देशों में औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने के विचार से जांच एवं अनुवर्ती कार्यवाही हेतु उद्योगों के कुछ क्षेत्रों को निश्चित किया गया था। इस बारे में हुई प्रगति की अप्रैल, 1972 में हुई द्विपक्षीय बातचीत के दौरान समीक्षा की गई।

उद्योगों के चयन हेतु मुख्य कसौटियां श्रीलंका में प्राप्त कच्चे माल का प्रयोग भारत एवं श्रीलंका की आवश्यकता को पूरा करना और अन्य देशों को निर्यात हेतु क्षमता पैदा करना थीं।

विदेशों से भारतीय वैज्ञानिकों और टेक्नोलौजिस्टों को आकर्षित करने के लिये पैकेज योजना

4938. **श्री राजदेव सिंह : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों और टेक्नोलौजिस्टों को भारत आकर देश में अपने उद्योग प्रारम्भ करने के लिये आकर्षित करने हेतु वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने एक पैकेज योजना का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) क्या इस पैकेज योजना की घोषणा के पश्चात् से प्रतिभा पलायन पर कोई हितकारी अथवा नियंत्रक प्रभाव पड़ा है ;

(ग) क्या विदेशों में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों और टेक्नोलाजिस्टों में से कुछ ने वापिस आने की इच्छा व्यक्त की है ; और

(घ) पैकेज योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) विदेशों के उत्पादन एककों में कार्य करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविदों को आकर्षित करने, देश में वापस आकर अपने उद्योग आरम्भ करने, विशेष कर उन क्षेत्रों में जिनकी उत्पादन प्रौद्योगिकी में उन्होंने कौशल प्राप्त किया है, के लिये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) का एक प्रस्ताव है और उसके लिये एक विस्तृत योजना तैयार की जा रही है।

(ख) चूंकि अभी योजना अन्तिम रूप से तैयार नहीं हो पायी है, इसलिये प्रतिभा पलायन पर उसके प्रभाव का इतनी जल्दी अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(ग) समाचार पत्रों की खबरों के आधार पर विदेशों से भारतीय वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविदों ने योजना के बारे में कुछ पूछताछ की है। जिसमें उन्होंने जानना चाहा है कि इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी मिलने पर वे भारत वापिस आना पसन्द करेंगे।

(घ) प्रस्तावित योजना की मुख्य विशेषतायें हैं कि जो वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकीविद उत्पादन तकनीकी में अनुभवी हैं और उद्योग को प्रारम्भ करने के लिये आवश्यक उपकरणों का आयात करने में अपनी उपलब्धियों का प्रयोग कर सकते हैं। उनको पैकेज डील के अन्तर्गत आवश्यक लाइसेन्स सहित अपनी कमाई में से स्थाई महत्व के सामान को आयात करने की सुविधायें और सुव्यवस्था की अन्य सुविधायें जैसे, बिजली, पानी और कारखाना लगाने के लिये स्थान/भवन/आवश्यक होने पर उनको वित्तीय सहायता भी प्रदान की जायेगी।

कलपक्कम परमाणु परियोजना

4939. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु राज्य में कलपक्कम परमाणु परियोजना पर निर्माण कार्य निर्धारित समयानुसार चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के कब तक चालू होने की सम्भावना है ; और

(ग) इस परियोजना पर कितना खर्च होने का अनुमान है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलेक्ट्रानिकी मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). आशा है कि मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना का पहला यूनिट सन् 1975 में तथा दूसरा सन् 1976 में क्रान्तिकता प्राप्त कर लेगा। ऐसी सम्भावना है कि ये यूनिट क्रान्तिकता प्राप्त करने के कुछ महीने बाद पूरी उत्पादन क्षमता के साथ काम करने लगेंगे। निर्माणकार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है।

(ख) दोनों यूनिटों पर कुल मिलाकर 148 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

Annual Development Plans for States for 1972-73

4940. **Shri Arvind Netam :** Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the outlay of annual development plan of each State for the year 1972-73 and the contribution of the organisation ; and

(b) the reduction made in the Central assistance for State plans for the year 1972-73, State-wise, as compared to that provided during the year 1971-72 ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. L.T. 1926/72]**

कोयम्बतूर में 'तमिलनाडु फार तमिलियन्स' पोस्टर और नारे

4941. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी सूचना मिली है कि तमिलनाडु में कोयम्बतूर जिले के तूरुपुर क्षेत्र में हाल ही में 'तमिलनाडु फार तमिलियन्स' "लैट तमिलनाडु बी लिबेरिटिड" जैसे पोस्टर और नारे दिखाई दिए थे ;

(ख) क्या ऐसे पृथककवादी प्रचार को प्रोत्साहन देने वाले संगठनों का पता लगाने के लिए सरकार ने कोई जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) देश में ऐसी पृथक्वादी गतिविधियों को दबाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ). राज्य सरकार से एक रिपोर्ट देने का अनुरोध किया गया है जो प्रत्याशित है।

दक्षिण क्षेत्र के फिल्म उद्योग में चलचित्र वित्त निगम द्वारा पूंजी विनियोजन

4942. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिणीक्षेत्र के फिल्म उद्योग में चलचित्र वित्त निगम द्वारा अपनी स्थापना के बाद से अब तक कुल कितना धन लगाया गया ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : फिल्म वित्त निगम लि० ने अपनी स्थापना से लेकर 31 मार्च, 1972 तक दक्षिण भारत की भाषाओं में फिल्मों के निर्माण के लिए 13,09,356/— रुपये के ऋण दिए हैं।

चलचित्र वित्त निगम का मद्रास में कार्यालय का खोला जाना

4943. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साउथ इण्डियन फिल्म चैम्बर ने सरकार से चलचित्र वित्त निगम का एक पूर्ण कार्यालय मद्रास में खोलने के लिए कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जून, 1971 में, साऊथ इण्डियन फिल्म चैम्बर आफ कामर्स ने फिल्म वित्त निगम को, अन्य बातों के साथ साथ, यह सुझाव दिया था कि वह अपना एक प्रादेशिक कार्यालय मद्रास में तथा एक कलकत्ता में खोले।

(ख) निगम द्वारा अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

मद्रास में टेलीविजन केन्द्र

4944. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :**
श्री बी० वी० नायक :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ग) केन्द्र के कब से काम करने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी): (क) टेलीविजन केन्द्र के लिए स्थान प्राप्त कर लिया गया है। नींव की खुदाई का जांच कार्य कर लिया गया है। टेलीविजन केन्द्र के भवनों के लिए शिल्पकला सम्बन्धी नक्शे तैयार किए जा रहे हैं। निर्माण कार्य तमिलनाड् के सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंप दिया गया है। उपकरणों के लिये आर्डर दे दिए गए हैं।

(ख) लगभग 5,900/— रुपए।

(ग) 1973 के अन्त तक या 1974 के आरम्भ में।

आकाशवाणी कार्यालयों में परिवहन सुविधाएं

4945. **श्री सी० चिट्टिबाबू** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित आकाशवाणी के कार्यालयों में परिवहन सुविधाओं के व्यय के बारे में अध्ययन पूरा हो गया है ; और

(ख) इस अध्ययन के क्या परिणाम निकले तथा मन्त्रालय द्वारा क्या कारंवाई की गई ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) तथा (ख). कार्य अभी चल रहा है।

विविध भारती के लिये दक्षिण भारतीय फिल्मी गानों का चयन

4946. **श्री सी० चिट्टिबाबू** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विविध भारती से प्रतिदिन तमिल, कंन्नड़, मलयालम और तेलगू में प्रसारित होने वाले दक्षिण भारत के गानों के कार्यक्रम में दक्षिण भारतीय फिल्म के गानों का चयन किस प्रकार किया जाता है ;

(ख) क्या पुराने उकताने वाले गानों का बार-बार चयन किया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या दक्षिण भारत के गानों के चयन करने की प्रणाली में परिवर्तन करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) चयन एक समिति द्वारा फिल्म निर्माताओं से सीधे मंगाये गये फिल्मी गीतों की जांच करने के उपरान्त सम्बन्धित गीत की भाषा और संगीत को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

संघ लोक सेवा आयोग तथा अन्य सरकारी उपक्रमों की भर्ती सम्बन्धी नीति में परिवर्तन

4947. **श्री वयालार रवि :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार संघ लोक सेवा आयोग तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित अन्य सरकारी उपक्रमों की भर्ती सम्बन्धी नीति में परिवर्तन करने का है जिससे उपलब्ध रोजगार के अवसरों का एक समान वितरण करने सम्बन्धी नीति को कार्यान्वित किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या परिवर्तन करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख). सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं/पदों की भर्ती, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, जहां ऐसा परामर्श संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम के अधीन आवश्यक है, उन सेवाओं/पदों के लिए सरकार द्वारा बनाए गए भर्ती नियमों के अनुसार होती है। जहां तक श्रेणी-I तथा श्रेणी-II के पदों का सम्बन्ध है, संघ लोक सेवा आयोग उनके पदों पर इन्हीं नियमों के अनुसार भर्ती करता है।

संविधान के अनुच्छेद 16 (1) और 16 (2) में की गई व्यवस्था के अनुरूप, भारत सरकार की भर्ती सम्बन्धी नीति ऐसी बनाई गई है जिससे कि भारत सरकार के अधीन रोजगार के मामले में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलें। अलबत्ता संविधान के अनुच्छेद 16 (4) और 335 की विशेष व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सरकार के अधीन सेवाओं में स्थान रक्षित किए गए हैं।

सरकारी उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी निदेश दिए गए हैं कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए उसी प्रकार आरक्षण करें, जैसे कि इन जातियों को भारत सरकार के अधीन सेवाओं/पदों पर प्राप्त हैं।

चीन द्वारा परमाणु विस्फोटों के कारण भारत के ऊपर विकिरण में वृद्धि

4948. **श्री वयालार रवि :** क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग ने, यह पता लगाने के लिए कि क्या हाल ही में चीन द्वारा किये गये परमाणु विस्फोटों के कारण भारत के ऊपर विकिरण में वृद्धि हुई है ; कोई जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) यदि विकिरण में कोई वृद्धि हुई है तो इससे हमारी जनता के सामान्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले कुछ वर्षों में चीन द्वारा किए गए परमाणु अस्त्रों के परीक्षणों के परिणामस्वरूप भारत के ऊपर वायुमण्डल में रेडियोसक्रियता के स्तर में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

फिल्म वित्त निगम द्वारा वित्तीय सहायता

4949. **श्री वयालार रवि** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म वित्त निगम ने 1969 के पश्चात् विभिन्न फिल्मों को कुल कितनी वित्तीय सहायता दी तथा उन फिल्मों और उनकी भाषाओं के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक फिल्म को कितनी राशि दी गई ;

(ख) उनमें से कितनी फिल्में पूरी हुईं तथा प्रदर्शित की गईं ;

(ग) उनमें से कितनी फिल्मों ने राशि लौटा दी है ; और

(घ) कुल कितनी राशि बकाया है तथा बकाया राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) 1-4-69 से लेकर 31-3-72 तक की अवधि के दौरान फिल्म वित्त निगम द्वारा मंजूर किए गए ऋणों में से फिल्मों के निर्माणार्थ निगम द्वारा वास्तव में कुल 38,85,487/-रुपए की राशि वितरित की गई। एक विवरण जिसमें उन फिल्मों के नाम, उनकी भाषा तथा प्रत्येक फिल्म को दी गई राशि दर्शाई गई है, सदन की मेज पर रख दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1927/72**]

(ख) 14.

(ग) 7.

(घ) फिल्मों के निर्माण के लिए 1-4-69 से 31-3-72 तक की अवधि के दौरान दिए गए ऋणों में से 31 मार्च, 1972 के दिन 39,19,002/-रुपए (ब्याज सहित) बकाया थे। निगम की स्थापना के बाद दिए गए कुल ऋणों में से उस दिन ब्याज सहित 1,05,48,247/-रुपए की राशि बकाया थी।

बकाया राशि को वसूल करने के लिए निगम आवश्यक कदम उठाता रहा है। तथापि, फिल्मों

के सम्बन्ध में ऋणों की प्रभावी वसूली वाणिज्यिक रूप से उनके सफल होने के बाद ही सम्भव है। जहां आवश्यक हुआ है, निगम ने ऋण वसूल करने के लिए कानूनी कार्रवाई भी की है।

जयपुर में सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा वाले डाकघरों की संख्या

4950. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के जयपुर जिले में कुल कितने डाकघर हैं ;

(ख) कितने डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन की व्यवस्था है ; और

(ग) क्या राजस्थान के जयपुर जिले में सार्वजनिक टेलीफोन की संख्या बढ़ाये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 591

(ख) 105

(ग) पोस्टमास्टर जनरल, जयपुर ने जयपुर जिले में निम्नलिखित 5 डाकघरों में पी० सी० ओ० की मंजूरी दे दी है :—

भंकरौटा, धनी-बोरज, नांगलवरसी, कुंडल और कंसली।

उपभोक्ताओं से बकाया टेलीफोन बिल

4951. **श्री नवलकिशोर शर्मा** :
श्री हुकमचन्द कछवाय :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में टेलीफोन उपभोक्ताओं के नाम टेलीफोन बिलों की कुल बकाया राशि कितनी है और इनमें सबसे पुराने बिल की अवधि क्या है और सबसे नए की क्या है ; और

(ख) बकाया जमा हो जाने के क्या कारण हैं और इन्हें वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) देश भर में टेलीफोन उपभोक्ताओं के नाम टेलीफोन बिलों की कुल बकाया राशि तारीख 1-1-72 को 5 करोड़ 82 लाख 63 हजार रुपये है। यह राशि 30-9-71 तक जारी किए बिलों की है।

बकाये की यह रकम 25 साल से भी अधिक अवधि की है अर्थात् 1946-47 से लेकर 1971-72 तक की है (इसमें अगस्त-सितम्बर 1971 तक जारी किए गए बिल शामिल हैं)।

(ख) विभाग टेलीफोन उपभोक्ताओं को टेलीफोन सेवा उधार के रूप में देता है अर्थात् सेवा पहले देकर बाद में उसका भुगतान वसूल किया जाता है। ट्रंक या स्थानीय कालों की कोई सीमा

निर्धारित नहीं है। बाद में उपभोक्ताओं को इन कालों के बिल बना कर भेजे जाते हैं जो एक प्रकार से बकाया ही होता है। इसलिए कुछ सीमा तक भुगतान का बकाया हो जाना अपरिहार्य है। बकाया रकमों की वसूली बराबर चलती रहती है। शुरू में जिन उपभोक्ताओं के नाम रकम बकाया हो जाती है, उनके टेलीफोन कनेक्शन काट दिए जाते हैं। इसके बाद उनसे व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित किया जाता है और साथ ही उनके साथ लिखा पढ़ी भी की जाती है। अंत में यदि जरूरी हुआ तो कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। किन्तु यह कानूनी कार्रवाई सिर्फ प्राइवेट उपभोक्ताओं के खिलाफ ही की जाती है और मौजूदा कार्यविधि के अनुसार यह कार्रवाई भी उसी सूरत में की जाती है जबकि बकाया रकम वसूल हो जाने की सम्भावना होती है।

उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन

4952. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के विभिन्न डाकघरों में इस समय कितने सार्वजनिक टेलीफोन हैं ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में बरेली जिले के सभी डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) आगामी दो वर्षों में कितने डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाये जायेंगे ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 5.

(ख) जी नहीं। सार्वजनिक टेलीफोनघर के रूप में टेलीफोन सुविधा आम तौर पर उस स्थान पर दी जाती है जहां यह लाभकर होती है। लेकिन यह सुविधा सीमित घाटा उठा कर कुछ खास वर्ग के स्थानों पर भी उनके प्रशासनिक महत्व, आबादी और सामान्य दूरसंचार नेटवर्क से दूरी के आधार पर भी दी जा सकती है। सीमित घाटा उठा कर एक सीमित संख्या में पर्यटक केन्द्रों, यात्रा केन्द्रों, कृषि और सिंचाई परियोजना के स्थानों और टाउनशिपों में यह सुविधा देने के बारे में भी विचार किया जाता है। बरेली जिले के सभी डाकघर उपरोक्त शर्तें पूरी नहीं करते। अतः सभी जगह सार्वजनिक टेलीफोनघर नहीं लगाए गए हैं।

(ग) आगामी दो वर्षों में पांच और सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने का प्रस्ताव है।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में संगठन और पद्धति एककों की पुनः सक्रियता

4953. **श्री बी० आर० शुक्ल** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में संगठन तथा पद्धति एककों को अब तक पुनः सक्रिय करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है जैसा कि "भारत सरकार की मशीनरी तथा इसके कार्य की प्रक्रिया" के बारे में अपने प्रतिवेदन में प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की थी ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : भारत सरकार की मशीनरी तथा इसके कार्य की प्रक्रिया पर प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा

विचार करने से पूर्व ही प्रशासनिक सुधार आयोग ने वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक के सहयोग से संगठन तथा पद्धति एककों को संयुक्त आन्तरिक कार्य अध्ययन एककों में एक पुन: सक्रिय कार्यक्रम के रूप में पुनर्गठित तथा सशक्त बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया था।

प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय में, संख्या, गुण तथा स्तर के अनुरूप, एककों को पुनर्गठित तथा सशक्त करने के लिए कहने के अतिरिक्त ऐसे एककों के कार्य की पुन: परिभाषा, चुने हुए मंत्रालयों में प्रबन्ध सेवा एककों को आवश्यकता के अनुसार स्थापित करना तथा इन एककों में रखे जाने वाले कर्मचारियों की विशेषज्ञता के विकास पर विचार करना है।

अब तक (39 मंत्रालयों/विभागों में से) 29 मंत्रालयों/विभागों तथा 5 मुख्य कार्यालयों में संगठन तथा पद्धति/कार्य अध्ययन एककों को संयुक्त आन्तरिक कार्य अध्ययन एककों में पुनर्गठित किया गया है। एक प्रकार से अनुसंधान के रूप में इन एककों में व्यक्तियों को रखने के लिए अनुकरण में लाये गये तरीके में कर्मचारियों की उपयुक्त संख्या के अतिरिक्त उपयुक्त गुण तथा कर्मचारियों के स्तर की भी व्यवस्था है। मंत्रालयों/विभागों में इन एककों में रखे जाने वाले अपेक्षित व्यक्तियों के लिए कार्य अध्ययन में न्यूनतम प्रशिक्षण तथा अनुभव का स्तर सुनिश्चित करने के लिए आदर्श भर्ती नियम बनाये जा रहे हैं। वर्तमान संगठन तथा पद्धति (आंतरिक कार्य अध्ययन) एककों के कार्य की समीक्षा तथा संशोधन करने के लिए मंत्रालयों को निर्देशन परिचालित किया गया है।

परमाणु शक्ति विभाग ने प्रबन्ध सेवा एकक के कार्यों के समान एक कार्यक्रम विश्लेषण दल स्थापित किया है। इलेक्ट्रोनिक विभाग में भी प्रबन्ध सेवा एकक के रूप में कार्य करने के लिए एक समान दल स्थापित किया है।

संगठन तथा पद्धति (आन्तरिक कार्य अध्ययन) एककों में रखने और/अथवा पर्यवेक्षण करने के लिए प्रशिक्षित अधिकारी उपलब्ध हों, यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त स्तर के अधिकारियों के लिए समय-समय पर मूल संगठन तथा पद्धति और कार्य अध्ययन विषयों में उपयुक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

Representation Given to Backward Classes in Central and State Services

4954. **Shri Ishwar Choudhry** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that persons belonging to backward classes have not been given due representation in Central and State Services in proportion to their population ; and

(b) if so, whether Government propose to make reservations in services for these classes also as has been done in the case of Scheduled Castes ; and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b). State Services are the concern of the respective State Governments. So far, however, as the Government of India is concerned, no classes other than the Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been recognised as backward classes for the purpose of reservation in services under it. The question of laying down criteria for determination of backward classes other than the Scheduled Castes and Scheduled Tribes was considered by the Government after the Report of the Backward Classes Commission appointed under Article 340 of the Constitution in 1953, was available in 1956. The Commission could not discover any objective tests or indubitable yardsticks by which social and educational backwardness could be

measured. It was decided by the Government of India in 1961 after careful consideration of all relevant factors not to draw up any all-India list of backward classes. No assessment of the proportion of backward classes in the services under the Government of India would, therefore, be possible. The question of making reservation for any backward classes other than the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is also not under consideration of the Government of India.

संगीत और नाटक विभाग के सेवा मुक्त कलाकारों को सुविधाएं

4955. **श्री शशि भूषण** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगीत और नाटक विभाग में किसी महिला/पुरुष कलाकार को उसकी नियुक्ति से कितने समय पश्चात् आकर्षणहीन घोषित कर दिया जाता है तथा इसके लिए क्या कसौटी अपनाई गई है ;

(ख) इस प्रकार आकर्षणहीन घोषित किए गए तथा सेवा से मुक्त किए गए कलाकारों की श्रेणियां क्या हैं ; और

(ग) सेवा से मुक्त करने के बाद इनको क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) किसी स्टाफ आर्टिस्ट की योग्यता तथा उसके स्वर, शरीर आदि में विकार आ जाने की दशा में, ठेके का फिर से नवीकरण करना या न करना जांच समिति की सलाह पर निर्भर करता है ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) अंशदायी भविष्य निधि का लाभ जो गीत और नाटक प्रभाग के सभी आर्टिस्टों को उपलब्ध है, प्रत्येक उस आर्टिस्ट को भी उपलब्ध है जिसका ठेका समाप्त कर दिया जाता है ।

टेलीफोन केन्द्र अगरतला, त्रिपुरा

4956. **श्री दशरथ देव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के अगरतला स्थित टेलीफोन केन्द्र की वर्तमान क्षमता से अगरतला की जनता की बढ़ती हुई टेलीफोन सम्बन्धी मांग को पूरा नहीं किया जा सकता ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने नए टेलीफोन कनेक्शनों की मांग के बारे में इसकी क्षमता में विस्तार करने के विचार से, कोई अनुमान लगाया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां । अगरतला टेलीफोन एक्सचेंज की मौजूदा क्षमता 1080 कनेक्शनों की है । इनमें से 941 टेलीफोन कनेक्शन काम कर रहे हैं । प्रतीक्षा सूची पर 196 अर्जियां दर्ज हैं । अगरतला हवाई अड्डे पर 50 लाइनों का एक छोटा आटोमेटिक एक्सचेंज भी लगा है । इसमें 31 कनेक्शन काम कर रहे हैं और प्रतीक्षा सूची पर कोई नाम नहीं है ।

(ख) जी हां । नये टेलीफोन कनेक्शनों की मांग का अंदाज लगा लिया गया है । एक्सचेंज की मौजूदा 1080 लाइनों की क्षमता को बढ़ाकर 1320 लाइनें करने का कार्यक्रम बना लिया गया है ।

भारतीय टेलीफोन उद्योग के 72-73 के उत्पादन कार्यक्रम में 1500 लाइनों की क्षमता का एक आटोमैटिक एक्सचेंज तैयार करने की योजना बनाई जा चुकी है।

भारत-जर्मनी का अन्य देशों में संयुक्त उद्यम

4957. **डा० रानेन सेन** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल संघ के अध्यक्ष के नेतृत्व में अक्तूबर, 1971 में एक प्रतिनिधिमण्डल पश्चिम जर्मनी के दौरे पर गया था और उसने सरकार से यह सिफारिश की है कि भारत तथा पश्चिम जर्मनी को अन्य देशों में संयुक्त रूप से परियोजनाएं आरम्भ करनी चाहियें तथा भारतीय वित्त पोषक संस्थाओं को इन योजनाओं में सहायता देनी चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन में महाप्रबन्धक की नियुक्ति

4958. **श्री सी० के० चन्द्रगुप्त** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी व्यक्ति को ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन, कानपुर का महाप्रबन्धक नियुक्त किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका नाम क्या है तथा क्या वह सरजू प्रसाद आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित की गई शर्तों को पूरा करता है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन, कानपुर में महाप्रबन्धक का कोई पद नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अप्रैल, 1972 में डाकुओं द्वारा किया गया आत्म समर्पण

4959. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972 के अप्रैल मास में राज्य-वार कितने डाकुओं ने सर्वोदय नेता और प्रशासन को आत्म-समर्पण किया ; और

(ख) क्या हाल ही में आत्म-समर्पण करने वाले इन डाकुओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) अप्रैल, 1972 के महीने में कुल 189 डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया; समस्त आत्मसमर्पण मध्य प्रदेश में हुआ । इसके अतिरिक्त 1-5-72 को ग्वालियर में 81 डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया ।

(ख) उनके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही की जायगी ।

संसद् सदस्यों के ऊपर बकाया टेलीफोन बिल

4960. **श्री एम० एस० शिवस्वामी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद-सदस्यों से गत वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 1972 तक, टेलीफोन के बिल वसूल नहीं किये गये ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं तथा सरकार ने उनकी शीघ्र वसूली के लिए क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी हां ।

(ख) लोक-सभा के 83 सदस्यों और राज्य-सभा के 60 सदस्यों के नाम 1-3-72 तक जारी किये गए बिलों की 1,16,444 रुपये 32 पैसे की राशि बकाया है । 11 और 21 मार्च, 1972 को जारी किए गए बिल इस रकम में शामिल नहीं किए गए हैं क्योंकि ये लोक-सभा/राज्य सभा सचिवालय के सम्मुख सेटलमेंट के लिए पेश करने के लिए सिर्फ 10-4-72 को अपेक्षित थे । यह सूचना उनके दिल्ली नई दिल्ली के टेलीफोनों के बारे में है जो उन्हें संसद-सदस्यों के आवास और टेलीफोन सुविधा संबंधी नियमावली, 1956 के अधीन दिए गए हैं । इस सूचना में संसद-सदस्यों को उनके चुनाव क्षेत्रों में दिए गए टेलीफोनों को शामिल नहीं किया गया है । इनकी सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । टेलीफोन प्राधिकारी इन मामलों के बारे में लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय के सदस्यों के साथ, मामलों के अनुसार लिखा-पढ़ी कर रहे हैं ।

उद्योगों की स्थापना के लिए राज्यों को अधिकार

4961. **श्री एस० राजंगम** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये उद्योग आरम्भ करने के लिए राज्यों को अधिक अधिकार देने तथा ऐसे उद्यमों के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा का उपयोग करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). नीति निर्धारण करने तथा लाइसेंस देते समय राज्य सरकारों के विचारों को हमेशा उचित सम्मान दिया जाता है । जहां तक विदेशी मुद्रा का सम्बन्ध है, स्थिति पर पर्याप्त दबाव जारी है इसलिए राज्य सरकारों को अधिक राशि देना सम्भव नहीं है । फिर भी विद्यमान नीतियों तथा प्रक्रियाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा आयात हेतु अपेक्षित विदेशी मुद्रा जहां तक आवश्यक हो उपलब्ध की जाती है ।

तमिलनाडु में कच्चे माल की कमी

4962. **श्री एम० राजंगम** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु स्थित उद्योगों को लोहा तथा इस्पात जैसे औद्योगिक कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में विभिन्न कच्चे माल की पर्याप्त सप्लाई के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) देश भर में इस्पात और अन्य औद्योगिक कच्चे माल की आम कमी है ।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लि० तथा वास्तविक उपयोक्ताओं दोनों ही के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोहे और इस्पात के आयात की व्यवस्था की गई है । अप्रैल 1971 से फरवरी 1972 तक इस्पात आयात का मूल्य 243 करोड़ रुपये था । 1969-70 की तुलना में औद्योगिक कच्चे माल के आयात लाइसेंस के कुल मूल्य में 35.5% की वृद्धि हुई तथा अप्रैल, 1970 से फरवरी 1971 की तुलना में अप्रैल, 1971 से फरवरी 1972 तक 77% की और वृद्धि हुई है । ऊपर लिखे आयात में से नीति के अनुसार तमिलनाडु को उचित भाग मिल सकेगा ।

संविधान की समवर्ती और राज्य सूचियों का संशोधन

4963. **श्री एम० राजंगम** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान में समवर्ती सूची में संशोधन करने और प्रसारण को संघ सूची से हटा कर राज्य सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है ताकि इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय स्वायत्तता लाई जा सके ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नंदिनी सत्पथी) : (क) और (ख). प्रसारण सहित संचार के कतिपय साधनों को संघात्मक व्यवस्था में उनकी महत्ता के कारण संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची में सम्मिलित किया गया है । इस सम्बन्ध में सूची में कोई परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं ।

समुद्र विज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान में कार्य-रत एजेन्सियों का तालमेल

4964. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश में समुद्र विज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान में कार्यरत सरकारी और शैक्षणिक संस्थाओं के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इन एजेन्सियों में तालमेल लाने और समुद्र एवं वातावरण की समस्याओं के प्रति एक समेकित दृष्टिकोण अपनाने और संसाधनों के उपयोग के लिए कोई योजना विभाग के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) देश में समुद्र विज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान में कार्यरत सरकारी शैक्षणिक एजेन्सियों की एक सूची साथ में संलग्न है । [**ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 1928/72**]

(ख) और (ग). विभिन्न एजेन्सियों के कार्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने और समुद्रीय समस्याओं और साधनों का उपयोग करने के लिये सम्मिलित प्रयत्न करने के वास्ते एक उच्च स्तरीय पूर्णकालिक एजेन्सी स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है । प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

दिल्ली टेलीफोन के अन्तर्गत टेस्ट काल आपरेटरों को श्रेणी तीन के कर्मचारियों के रूप में खपाना

4965. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन में काम करने वाले टेस्ट काल आपरेटरों ने प्रधान मंत्री से श्रेणी तीन के कर्मचारियों के रूप में खपाये जाने की अपील की है ;

(ख) क्या इन कर्मचारियों को इस प्रकार के नोटिस दे दिये गये हैं कि उन्हें दैनिक मजूरी पर श्रमिक के रूप में नियुक्त किया गया था और परिणामस्वरूप वे नियमित रूप से खपाये जाने के अधिकारी नहीं हैं ;

(ग) क्या उन्हें अधिकारियों के निर्णय को मानने के लिए सात दिन दिये गये थे अन्यथा उन की सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी ; और

(घ) उनकी श्रेणी तीन के कर्मचारियों के रूप में खपाये जाने की मांग के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) दिल्ली टेलीफोन में दिहाड़ी पर नियुक्त किए गए कुछ दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों ने अपने आप को टेलीफोन आपरेटर के पदों पर नियमित रूप से खपाने के लिए जनरल मैनेजर दिल्लो टेलीफोन को अपील की है और इस अपील की एक प्रतिलिपि अन्य व्यक्तियों के साथ भारत के प्रधान मंत्री को भी भेजी है । इसके अतिरिक्त उनमें से बहुतों ने संचार मंत्री के पास भी टेलीफोन आपरेटरों के काडर में नियमित तौर पर खपाने के लिए अर्जियां दी हैं । इस प्रार्थना पर सावधानी से विचार किया गया और अस्वीकार्य होने के कारण उसे नामंजूर कर दिया गया । अर्जी देने वालों को तदनुसार सूचित कर दिया गया है ।

(ख) और (ग). जी, हां । इस मामले में यह निर्णय किया गया है कि इन दैनिक मजदूरों को नियमित टेलीफोन आपरेटरों के पद पर खपाया नहीं जा सकता । किन्तु यदि वे चाहें तो दैनिक मजदूर

के रूप में तब तक काम करते रहें जब तक कि उन्हें अपनी अपनी बारी पर चतुर्थ श्रेणी में खपा नहीं लिया जाता। दैनिक मजदूर के रूप में काम करते रहने के लिए उनकी स्वीकृति मांगी गई है।

(घ) जैसा कि ऊपर (ख) व (ग) में बताया गया है, इस मामले में पहले ही निर्णय लिया जा चुका है।

पश्चिम बंगाल में सीमेंट की कमी

4966. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 12 अप्रैल, 1972 के "हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड में "पश्चिम बंगाल में सीमेंट की अत्यधिक कमी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल में सीमेंट संकट किन कारणों से उत्पन्न हुआ ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) इस क्षेत्र को सीमेंट का संभरण करने वाले सीमेंट के कारखानों को पूर्वी क्षेत्रों को सीमेंट भेजने के लिए पर्याप्त बैगनों की व्यवस्था न होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। सीमेंट की कमी के कारणों में इस क्षेत्र के एक कारखाने का बन्द हो जाना तथा इस क्षेत्र में सीमेंट की मांग में एकाएक तेजी आ जाना भी है।

(ग) रेलवे अधिकारियों को इन क्षेत्रों को सीमेंट सम्भरण करने वाले कारखानों को पर्याप्त वैगन उपलब्ध कराने के लिये कहा गया है। सड़क यातायात द्वारा भी लम्बे और महंगे रास्तों से अधिक किराया देकर भी सीमेंट भेजने की और अधिक उदार व्यवस्था की अनुमति दी जा रही है। समुद्री मार्गों से भी सीमेंट भेजने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

बंगला देश के लिए नमक के उत्पादन में वृद्धि

4968. **श्री पी० वेंकटासुब्बया** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंगला देश की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए नमक उद्योग को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा है ;

(ख) यदि हां, तो बंगला देश की आवश्यकता कितनी है ; और

(ग) इस पर उद्योग की क्या प्रतिक्रिया रही ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) नमक उद्योग को नमक का उत्पादन बढ़ाने की सलाह दी गई है ताकि जब कभी आवश्यकता पड़े, बंगला देश की आवश्यकता को पूरा कर सके।

(ख) 6 किलोग्राम प्रति व्यक्ति उपभोग के हिसाब से और औद्योगिक कार्यों के लिए संभाव्य मांग के आधार पर बंगला देश की नमक की आवश्यकता का 7 लाख मी० टन प्रतिवर्ष का अनुमान है। बंगला देश को दिये गये 25 करोड़ रुपये में वस्तु अनुदान के अन्तर्गत जिसके लिए 17 जनवरी, 1972 को दोनों सरकारों के मध्य औपचारिक रूप से पत्र विनिमय हुआ था, बंगला देश को 600 मी० टन नमक की सप्लाई करने की व्यवस्था की गई। तत्पश्चात् बंगला देश की प्रार्थना पर इसको 2000 मी० टन तक बढ़ा दिया और इसमें से अधिकतर नमक सप्लाई कर दिया गया।

(ग) नमक उद्योग की प्रतिक्रिया आशाप्रद है।

मनीला में अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के बोर्ड की बैठक

4969. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के बोर्ड बैठक में भाग लेने के लिए मनीला गये थे ;

(ख) यदि हां, तो वहां किन समस्याओं पर चर्चा की गई ; और

(ग) विशेष रूप से भारत के सम्बन्ध में इसके परिणाम क्या हैं ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). योजना मंत्री, बोर्ड के सदस्य के रूप में मनीला में अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बैठक में शामिल हुए। संस्थान के दसवें वार्षिक समारोह के अवसर पर, संस्थान द्वारा किए गये कार्यों की समीक्षा करने के अलावा, बैठक में कृषि में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा क्षेत्र की अभीष्ट आवस्थाओं में उसका उपयोग सम्बन्धी समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श चावल अनुसंधान, खासतौर पर उस किस्म और बीमारी व कीट प्रतिरोध के बारे में किए गये, जिसका भारत में विशेष महत्व है। चावल को मुख्य फसल के रूप में लेकर बहु-फसली प्रणाली शुरू करने के बारे में भी विचार-विमर्श किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के दृष्टिकोण से मन्त्री महोदय ने जिस विषय में खास दिलचस्पी ली वह कारगर ढंग से काम करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाली संस्थागत संरचनाओं के बारे में था।

केरल में बागानों का राष्ट्रीयकरण

4970. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में बागानों का राष्ट्रीयकरण करने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या बागानों का राष्ट्रीयकरण करने की व्यवस्था करने वाले "बागान विधेयक" को गत वर्ष केन्द्र की स्वीकृति के लिए भेजा गया था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या केरल सरकार को इस बारे में अभी तक कोई स्वीकृति नहीं दी गई है ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग). जुलाई, 1971 में केरल सरकार से राष्ट्रपति के पूर्व-अनुदेशों के लिए अध्यादेश का एक मसौदा प्राप्त हुआ था। नीति की दृष्टि से विधान के मसौदे की सावधानी-पूर्वक परीक्षा करने की आवश्यकता है और अभी परीक्षा की जा रही है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा प्रोटोटाइप उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र ओखला के कर्मचारियों की मांग

4971. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा प्रोटोटाइप उत्पादन और प्रशिक्षण केन्द्र, ओखला के कर्मचारियों के बारे में 30 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9048 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के प्रबन्धकों और उसके कर्मचारी संघ के बीच अप्रैल, 1968 में मांग पत्र के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुये थे ;

(ख) क्या राष्ट्र में आपातकालीन स्थिति के दौरान समझौते का उल्लंघन करते हुये प्रबन्धकों ने सीधी भर्ती की तथा कर्मचारियों के हितों की उपेक्षा करते हुये नियुक्ति/पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों के चयन के सम्बन्ध में दिनांक 2 जुलाई, 1968 के निदेशक मंडल के निर्णय की भी अवहेलना की ;

(ग) क्या निगम के कर्मचारियों की मान्यता प्राप्त यूनियन द्वारा बार बार अनुरोध किये जाने विरोध पत्र दिये जाने, प्रदर्शन किये जाने तथा शांतिपूर्ण बातचीत किए जाने पर भी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और प्रोटोटाइप उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र के कर्मचारियों की मुख्य मांगें पूरी नहीं की गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) प्रबन्धकों और यूनियन की अप्रैल, 1968 में संयुक्त बैठक हुई कार्यवृत्त लिखा गया और सम्बन्धित पार्टियों ने उस पर हस्ताक्षर किये। इससे आगामी बातचीत का आधार बना।

(ख) समझौते अथवा प्रबन्धकों के निर्णय का उल्लंघन करके संघबद्ध संवर्ग (केडर) में भर्ती नहीं की गई।

(ग) और (घ). यूनियन की मुख्य मांगें इस प्रकार थीं :

(क) नियुक्ति तथा पदोन्नति नियमों का पुनरीक्षा (वेतनमानों की पुनरीक्षा सहित) तथा (ख) मकान-किराये भत्ते में वृद्धि। नगर निगम के वेतनमान करीब करीब सरकार के वेतनमानों की तरह से होने के कारण और वेतन आयोग द्वारा सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण पर विचार किये जाने के कारण सरकार ने यह निर्णय किया कि वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के पश्चात ही संवीक्षा की जाये। जहां तक मकान किराया भत्ते का सम्बन्ध है, निगम सरकार

की दरों को मान रहा है। यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ 11 अप्रैल, 1968 को हुई बैठक के पश्चात् मकान किराये भत्ते में 5 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है।

रायलसीमा के लिए क्षेत्रीय विकास योजना

4972. **श्री के० कोडण्डारामी रेड्डी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने "रायलसीमा के लिए क्षेत्रीय विकास योजना" का अध्ययन पूरा कर लिया है ; और

(ख) इस बारे में योजना आयोग की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश सरकार ने ऐसे अध्ययन आरम्भ किये हैं जिनसे रायलसीमा तथा राज्य के अन्य क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय विकास योजनाएं तैयार की जा सकेंगी। योजना आयोग भी इन अध्ययनों से सहयोजित किया जा रहा है। आन्ध्र प्रदेश सरकार जब इन क्षेत्रीय योजनाओं को तैयार कर लेगी तब इन्हें योजना आयोग के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। योजना आयोग में इन क्षेत्रीय योजनाओं के प्राप्त होने के बाद उन पर आवश्यक कार्यवाई आरम्भ की जायेगी।

बेरोजगार व्यक्तियों को सहायता देने के लिये योजना आयोग द्वारा की गई सिफारिशें

4973. **श्री के० कोडण्डा रामी रेड्डी** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने 1972-74 की अवधि में बेरोजगार व्यक्तियों को सहायता देने के लिए कतिपय सिफारिशें की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख). रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 1972-73 के लिए जो प्रस्ताव तैयार किए हैं वे सभा पटल पर पहले से प्रस्तुत वार्षिक योजना 1972-73 दस्तावेज में दर्शाये जा चुके हैं। 1973-74 के लिए अभी तक कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं बनाए गए हैं।

आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने के अधिनियम के अधीन राज्यों में व्यक्तियों की गिरफ्तारी

4974. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने के अधिनियम के अधीन विभिन्न राज्यों में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के कुल कितने मामलों की सूचना मिली है ;

(ख) क्या राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए मामलों पर गृह मन्त्रालय ने कोई पुनर्विचार किया है यदि हां, तो उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) सरकार ने कितने मामलों में राज्य सरकार की इस कार्यवाही को अनुचित समझा ?

गृह मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 29 अप्रैल, 1972 तक, जिन 5,166 मामलों में आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने के अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत नजरबन्दी के आदेश दिये गये थे, उनमें नजरबन्दी के आधारों के बारे में राज्य सरकारों से रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं।

(ख) और (ग). राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किये नजरबन्दी के आधारों तथा अन्य ब्यौरे की यह निर्णय करने की दृष्टि से जांच की जाती है कि क्या उक्त अधिनियम की धारा 14 के उपबन्धों का कोई आश्रय लेना आवश्यक है। केन्द्रीय सरकार ने अभी तक किसी मामले में ऐसी शक्तियों की याचना करना आवश्यक नहीं पाया है।

संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की मांगें

4975. **श्री अमरनाथ विद्यालंकार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में कार्य करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की मांगें क्या हैं जिनके लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ ने अप्रैल, 1972 के प्रथम सप्ताह से आन्दोलन आरम्भ कर दिया है ; और

(ख) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में कार्य करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने मांग की है :—

(i) ग्रीष्म ऋतु की वर्दियों के लिए खादी के कपड़े के स्थान पर मिल के बने कपड़े का प्रयोग किया जाय।

(ii) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के कुछ ऐसे वर्गों के लिए वर्दी की व्यवस्था की जाय जो इस समय वर्दी के हकदार नहीं हैं।

(ख) तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की ग्रीष्म ऋतु की वर्दी के लिए खादी के कपड़े का प्रयोग 1955 के निर्णय के अधीन किया जाता है। मामले का पुनरीक्षण किया जा रहा है और इस प्रयोजन के लिए खादी के प्रयोग पर शीघ्र निर्णय किया जायगा। इसी बीच चण्डीगढ़ प्रशासन को इस प्रयोजन के लिए अच्छे किस्म की खादी प्राप्त करने की सलाह दी गई है।

चण्डीगढ़ प्रशासन चतुर्थ श्रेणी के उन कर्मचारियों को वर्दी देने पर विचार कर रहा है जो इस समय वर्दी के हकदार नहीं हैं ।

दिल्ली नगर निगम में सहायक इंजीनियरों की नियुक्ति

4976. **श्री सतपाल कपूर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने सामान्य विंग में सहायक इंजीनियर (सिविल) की नियमित नियुक्ति के लिए दिल्ली नगर निगम को अक्तूबर, 1971 में एक पेनल भेजा था ;

(ख) क्या उक्त पेनल के अनुसार नियुक्ति करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है और तदर्थ नियुक्त किये गये व्यक्ति अभी भी काम कर रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या निगम के जूनियर इंजीनियर संघ से इस सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ). नगर निगम ने सूचित किया हैं कि उन्हें संघ लोक सेवा आयोग से विभागीय कोटे के अधीन चुने गये व्यक्तियों का पेनल प्राप्त हुआ है किन्तु अभी तक सीधी भर्ती के लिए कोई पेनल प्राप्त नहीं हुआ है । प्राप्त पेनल निगम के विचाराधीन है । निगम की अनुमति प्राप्त होने तक तदर्थ नियुक्तियों को जारी रखता है । इस सम्बन्ध से जूनियर इंजीनियर संघ से तार के जरिये एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और उसकी जांच की जा रही है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

एयर फ्रांस के पदाधिकारियों द्वारा भारतीय यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने का समाचार

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच बिहार) : मैं पर्यटन और नागर विमानन मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

"पालम हवाई अड्डे पर एयर फ्रांस के पदाधिकारियों द्वारा भारतीय यात्रियों पर हमला तथा उनके साथ दुर्व्यवहार किये जाने का समाचार"

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : 30 अप्रैल की प्रातः को पालम हवाई अड्डे पर एक खेदजनक घटना हुई । एक यात्री श्री जे० एस० गोपाल अपनी पत्नी और बच्चों समेत एयर फ्रांस द्वारा यात्रा के लिये विमानारोहण कार्ड प्राप्त करने की कार्यवाही पूर्ण करना चाहता था । स्थानीय पुलिस के साथ दर्ज कराई गयी उसकी रिपोर्ट के अनुसार, वह और उसका परिवार दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पकड़ने के लिये, इण्डियन एयरलाइन्स की एक सेवा द्वारा कलकत्ता से यहां आए थे । एयरलाइन के कांउटर पर उससे एयरपोर्ट टैक्स टिकट खरीदने के लिये कहा गया तथा एयर फ्रांस के एक कर्मचारी ने उसके साथ बड़ा अशिष्ट व्यवहार किया । उसने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि उसने आवश्यक टिकट पहले ही खरीदी हुई है, परन्तु, जब यह बातचीत अभी चल ही रही थी एयर फ्रांस का एक और कर्मचारी वहां आया और उसने उसकी पत्नी का अपमान किया और उस पर प्रहार किया । उसने यह भी बयान दिया कि उसके दायें अंगूठे पर चोट आई और बाद में उसे पता चला कि उसकी घड़ी भी गायब हो गयी थी । इस घटना के परिणामस्वरूप वह और उसकी

पत्नी एयर फ्रांस की उस उड़ान से वंचित हो गए। एयर फ्रांस के कर्मचारियों ने उसे शिकायत-पुस्तक देने अथवा उसकी टिकटों को किसी अन्य विमान कम्पनी के नाम पृष्ठांकित (एंडोर्स) करने से भी इन्कार कर दिया। एयर फ्रांस के उन दोनों कर्मचारियों ने भी पुलिस को रिपोर्ट की, जिसमें कहा गया था कि एयरपोर्ट टैक्स टिकट की खरीद के बारे में उत्पन्न हुए झगड़े के सिलसिले में उक्त यात्री ने उनके साथ अशिष्ट व्यवहार किया था और हाथापाई भी की थी। उनके अनुसार उसने स्वयं एयर फ्रांस द्वारा यात्रा करने से इन्कार किया था।

एयर फ्रांस को इस आशय का एक पत्र देने के उपरान्त कि उसका उनके विरुद्ध कोई दावा शेष नहीं था, उस यात्री ने अपने परिवार सहित अगले दिन एक पैन अमेरिकन उड़ान से यात्रा की। इस घटना के संबंध में परस्पर विरोधी बयानों को दृष्टि में रखते हुए मैंने अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण से मामले की पूर्ण जांच करने को कहा है।

श्री बी० के० दास चौधरी : माननीय मंत्री ने अपने वक्तव्य में उल्लेख किया है कि घटना के बारे में पारस्परिक विरोधी विवरण प्राप्त होने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को इस मामले में जांच करने का कार्य सौंपा गया है। एयर फ्रांस के अधिकारियों ने पहले भी भारतीय यात्रियों की कई बार बेइज्जती की थी और बाद में उस घटना पर 'गहरा दुःख' प्रकट किया था। 1957 में घटी घटना में एयर फ्रांस के अधिकारियों ने श्रीमती चानन सिंह कौर के साथ दुर्व्यवहार किया था। उनके पास टिकट होने पर भी, उनको यात्रा करने से रोका गया तथा दूसरे दिन के० एल० एम० के विमान से उनको यात्रा करनी पड़ी। उन्होंने इसकी सूचना पालम हवाई अड्डे के कार्यालय को दी। पुलिस और पासपोर्ट अधिकारियों के बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी एयर फ्रांस के अधिकारियों का व्यवहार उस समय निन्दनीय था। बाद में श्रीमती चानन कौर के सम्बन्धियों से मिलकर मामले को दबा दिया गया। ठीक इसी प्रकार की घटना श्री जे० एस० गोपाल के साथ घटी है। श्री जे० एस० गोपाल और उनकी पत्नी के साथ फ्रांस एयर लाइंस के अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया एयर फ्रांस के डिप्टी मैनेजर ने उन्हें मुक्का मारा। इस बात की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी गई। एयर फ्रांस के अधिकारियों से ऐसा व्यवहार न करने का अनुरोध किया गया। परन्तु एयर फ्रांस के अधिकारियों का रवैया बड़ा खराब रहा। वह सबसे अपना काम करने और उनके काम में दखल न देने के लिये कहते रहे। अगले दिन उन पर दबाव डालकर समझौता कर लिया गया। ऐसा न करने से श्री गोपाल को 36,000 रुपये के मूल्य के टिकटों की हानि हो रही थी। माननीय मंत्री को इस बारे में पता लगाना चाहिये कि क्या श्री गोपाल पर वास्तव में हमला किया गया था? जब उन्होंने टिकट खरीदा है तो उन्हें यात्रा करने का अधिकार है तब उनको ऐसा करने से क्यों रोका गया था।

ऐसी घटनाएं अनेक बार हो चुकी हैं। वर्ष 1961 में भी एयर फ्रांस के अधिकारियों ने एक संसद् सदस्य से दुर्व्यवहार किया था। उनका कसूर यह था कि वह धोती पहन कर यात्रा कर रहे थे। माननीय मंत्री को इस घटना की भी जांच करनी चाहिये।

एसा प्रतीत होता है कि एयर फ्रांस के अधिकारियों ने भारतीयों को सबक सिखाने की कसम खाई हुई है। एक विदेशी एयर लाइंस के अधिकारियों के ऐसे व्यवहार को कब तक सहन किया जाता रहेगा? उक्त एयर लाइंस के विरुद्ध कार्यवाही करने का स्पष्ट मामला बनता है। भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत उन्हें कार्यवाही करने से कौन रोक सकता था। एयर फ्रांस के अधिकारियों द्वारा श्री गोपाल की पत्नी का अपमान करना और उन पर हमला करना भारतीय दण्ड संहिता की धारा

509 के अन्तर्गत आता है। एयर फ्रांस के अधिकारियों के विरुद्ध तुरन्त सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

एयर फ्रांस की कितनी उड़ानें हमारे देश में होती हैं तथा हमारी फ्रांस में कितनी उड़ानें होती हैं ? यह भी बताया जाना चाहिये। एयर फ्रांस को भारत में उड़ान करने की तब तक अनुमति नहीं दी जानी चाहिये जब तक उसके अधिकारी बिना शर्त क्षमा याचना नहीं करते हैं।

वर्ष 1957 में यह कहा गया था कि भविष्य में इस बारे में अधिक सावधानी बरती जायेगी। लेकिन ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई। मान्य मंत्री को इस सम्बन्ध में यथा सम्भव कार्यवाही करनी चाहिये।

यह बहुत गम्भीर मामला है और भारतीय यात्रियों की प्रतिष्ठा को बचाने के लिये मंत्री महोदय को विचार करना चाहिये जिससे भविष्य में ऐसी घटना फिर न घटे।

डा० कर्ण सिंह : मेरे पास श्री गोपाल द्वारा दिया गया वक्तव्य और एयर फ्रांस के दो कर्मचारियों जिनमें से एक भारतीय नागरिक है, द्वारा दिया गया वक्तव्य है। अगले दिन श्री गोपाल का वक्तव्य आ गया था। श्री गोपाल एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं उन पर दबाव नहीं डाला जा सकता।

किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार कभी भी सहन नहीं किया जा सकता। चाहे वह एक भारतीय द्वारा किया गया हो अथवा विदेशियों द्वारा। एयर फ्रान्स से हमारा द्विपक्षीय सम्बन्ध है। एयर इंडिया की उड़ानें प्रतिदिन फ्रान्स जाती हैं। इस घटना की उचित जांच की जायेगी। अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अधिकारी इस मामले की जांच करेंगे और यदि इसके परिणामस्वरूप किसी को दोषी पाया गया तो हम इस मामले में तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : पर्यटन और नागर विमानन मंत्री ने इस मामले को गम्भीरता से नहीं लिया है। इस घटना के बाद इस संगठन के कार्यकारी प्रधान ने प्रेस सम्मेलन बुलाया जिसमें उसने स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया। मंत्री महोदय द्वारा दी गई सूचना से अधिक सूचना तो एक योग्य पत्रकार ही देने में समर्थ है। मुझे दुःख है कि मन्त्री महोदय द्वारा प्रयोग किए गये वाक्य तथा अधिकारियों द्वारा प्रयोग किये गये वाक्य समान हैं।

एयर फ्रान्स के अधिकारियों ने पहले ही हमला करने से इन्कार किया है। प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के संवाददाता श्री दिनेश देशाई ने अशोक होटल में श्री गोपाल की उंगली में पट्टी बंधी देखी थी। लेकिन अधिकारी प्रेस सम्मेलन में श्री गोपाल पर हमले से इन्कार करते हैं।

क्या यह सच नहीं है कि श्री गोपाल के परिवार को उक्त एयर लाइन्स से जाने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें अन्य एयरलाइन्स से यात्रा करने के लिए कहा गया। उनसे कहा गया कि उनके कर भुगतान में अनियमितताएं हैं।

इस एयरलाइन्स में भारतीयों के साथ भेद भाव किया जाता है। वर्ष 1957 में एक भारतीय यात्री और उसके चार बच्चों को यह कह कर इस एयरलाइन्स से यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई कि वे 'गन्दे कपड़े' पहने हुए हैं। इस बारे में जांच की जानी चाहिए।

श्री गोपाल के साथ काउंटर पर भी अभद्र व्यवहार किया गया और अब अधिकारी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ।

श्री गोपाल द्वारा पुलिस में शिकायत करने के बाद भी प्रथम सूचना रिपोर्ट न लिखे जाने के क्या कारण हैं ? उन्होंने अपने वक्तव्य में यह भी नहीं बताया है कि वे पुलिस को की गई अपनी शिकायत वापिस ले रहे हैं ।

ऐसी घटना पहली बार नहीं घटी है । माननीय मन्त्री को श्री गोपाल के वक्तव्य का सहारा नहीं लेना चाहिए । इस घटना की पूरी जांच की जानी चाहिए । इस मामले में आगे जांच न करने के कारण भी बताये जाने चाहिये ।

डा० कर्ण सिंह : मैंने ऐसा नहीं कहा कि इस मामले में आगे जांच नहीं की जा रही है । मैंने वक्तव्य में कहा था कि हवाई अड्डे के अधिकारी इस घटना की पूरी जांच करेंगे । दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी । श्री गोपाल और एयर फ्रान्स कर्मचारियों द्वारा पुलिस को दिये गये वक्तव्य में अन्तर है । इस घटना के बारे में निर्णय लेने से पूर्व हमें इस घटना की पूरी जांच करनी होगी, दोषी व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रो० मधु दण्डवते : एयर फ्रान्स के अधिकारियों ने कुछ पत्रकारों को उक्त घटना को प्रकाशित न करने के लिये दबाव डाला था । लेकिन यह मामला जनता की जानकारी में आ गया है ।

डा० कर्ण सिंह : यह बहुत गम्भीर मामला है । यदि माननीय सदस्य के पास दबाव डालने के बारे में कोई सूचना है तो वे इसे मुझे दे सकते हैं ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : Perhaps the officials of Air France think that they are still ruling the world and India is their colony. It appears that their minds have not changed so far. These incidents are insult to us and in such circumstances there is no alternative but to take severe actions against them. Their first statement should be given more importance. It is a fact that the officials of Air France have misbehaved and immediate action should be taken against them. At least Government can ask for the transfer of persons responsible for this incident. The Air France officials have not regretted for the incident, so far.

Dr. Karan Singh : It is an unfortunate incident and we are conducting an enquiry in this matter. (*interruptions*). The police as well as the Air Port authorities are making investigations. First of all we want to know the exact cause of the incident and then only we will be able to take any action in this matter.

श्री धामनकर (भिवंडी) : यह एक गम्भीर घटना है । ऐसी घटनाएं प्रायः होती रहती हैं । ऐसा लगता है कि कुछ अधिकारी अभी साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद की भावना को अपनाये हुए हैं । अन्यथा वे हमारे ही देश में हमारे लोगों का अपमान करने का साहस नहीं कर सकते थे । क्या माननीय मंत्री इसको एक गम्भीर घटना मानते हुए कोई कठोर कार्यवाही करेंगे जिससे ऐसी घटनाएं पुनः न हों ।

डा० कर्ण सिंह : हम इसको एक गम्भीर मामला मानते हैं और जो भी कार्यवाही आवश्यक समझी गई वह की जायेगी ।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : We should not do anything which may jeopardise in relation with France. But as many hon. Members have stated that this is not the first instance that such an incident has happened. I would like to know whether Government will appoint high

officials having full powers on all the airfields to ensure all facilities to Indian travellers travelling by foreign Air Companies ?

Keeping in view the sentiments of the people in this regard Government should take quick action. Otherwise people may Gheraoed the official concerned or people may take some other steps against him which they will prefer. This matter should also be taken up with the Government of France so that such incidents may not happen again.

I also support the demand that the concerned official may be asked to leave the country.

Dr. Karan Singh : I hope that such incidents will not occur in future. There is already an International Airport authority to look after the International Airports. We will consider the suggestion made by the hon. Member in regard to appointing the officials to ensure full facilities in Foreign Airways.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE
टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुलहक चौधरी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 की धारा 16 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति :—

(एक) मोटर गाड़ियों स्टैन्डर्ड हैरल्ड पैसेंजर कार 4- दरवाजा माडल उचित विक्रय कीमतों के निर्धारण के सम्बन्ध में टैरिफ आयोग प्रतिवेदन (1969)।

(दो) सरकारी संकल्प संख्या/(79)/ 69 ए० ई० इन्ड (एक) दिनांक 19 अप्रैल, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जिसके द्वारा उपर्युक्त प्रतिवेदन के सम्बन्ध में सरकारी निर्णय अधिसूचित किये गये हैं।

(2) उपर्युक्त दस्तावेजों को उक्त अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) में विहित अवधि के अन्दर सभा-पटल पर न रखे जा सकने के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त मद (1) (एक) में उल्लिखित प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ साथ हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०–1917/72]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS
तेरहवां प्रतिवेदन

श्री जी० जी० स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 13 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

नियम 377 के अन्तर्गत मामला
MATTER UNDER RULE 377

आवड़ी स्थित हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री में तालाबन्दी

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : आपको पता है कि आवड़ी हैवी व्हीकल्स फैक्टरी में तालाबन्दी की घोषणा कर दी गई है। विजयंत टैंकों का उत्पादन बन्द हो गया है। वहां पर काम करने वाले 5000 मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। विभिन्न कार्मिक संघों के प्रतिनिधि एक महीना पूर्व ही रक्षा उत्पादन मंत्री से मिले थे। मन्त्री महोदय ने वहां के जनरल मैनेजर को कार्मिक संघों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने का आदेश दिया था। बातचीत आरम्भ भी हो गई थी। परन्तु अचानक बातचीत रोक दी गई थी। मैं जानना चाहता हूं इसके क्या कारण हैं। जबसे जनरल किनी वहां के जनरल मैनेजर बने हैं तब से वहां पर औद्योगिक सम्बन्ध खराब होते जा रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वह स्थिति को सावधानी से निपटायें। मेरा उनसे यह भी अनुरोध है कि वह वहां के कर्मचारियों के प्रतिनिधियों तथा प्रबन्धकों की एक बैठक बुलायें। मैं फेडेरेशन की ओर से सहयोग का आश्वासन देता हूं। पिछली बार भी हमने सहयोग दिया था और तालाबन्दी खत्म कराई गई थी। परन्तु हम किन्हीं भी परिस्थितियों में इस प्रकार की स्थिति को सहन नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस बारे में यहां एक वक्तव्य दें ताकि तालाबन्दी खत्म हो और कार्य आरम्भ हो सके।

रक्षा मंत्रालय में (रक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मुझे इस बात का खेद है कि हमारी टैंक फैक्टरी में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हुई है। अधिकांश मजदूर अब भी प्रबन्धकों से सहयोग कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं। जिस लगाव से वे कार्य कर रहे हैं मैं उसके लिये उनको धन्यवाद देता हूं। फैक्टरी के बहुत थोड़े से मजदूर यह सारी कठिनाई उत्पन्न कर रहे हैं। इससे दूसरे मजदूरों के लिए भी काम करना कठिन हो गया था। मजदूरों की मांगों पर उन के प्रतिनिधियों के साथ अच्छी तरह विचार विमर्श किया गया था और वे इस बात को अच्छी तरह समझ गये थे कि वेतन आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर ही उनकी शिकायतों पर विचार किया जा सकता है। कुछ अन्य छोटी समस्याओं को भी संतोषजनक ढंग से सुलझाया गया था।

जनरल किनी ने, जोकि वहां पर जनरल मैनेजर हैं, मजदूरों के प्रतिनिधियों से बातचीत आरम्भ की थी। परन्तु ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ी हो गई। हमने तमिलनाडु सरकार से प्रतिवेदन मांगा है। हमने जनरल मैनेजर को भी प्रतिवेदन देने के लिए कहा है। हमें आशा है कि प्रतिवेदन शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगा। आज सुबह मुझे श्री एम० कल्याणसुन्द्रम से एक तार मिला है। वह बातचीत के लिए कुछ प्रतिनिधियों के साथ दिल्ली आना चाहते हैं। मैंने उनको उत्तर भेज दिया है कि वह तुरन्त दिल्ली आ सकते हैं। हमें आशा है कि उनके यहां आने पर आपसी गलतफहमी को दूर किया जा सकेगा।

मैं इस बात को यहां पर दोहराना चाहता हूं कि टैंक फैक्टरी के मजदूर न केवल बहुत मेहनती हैं बल्कि वे राष्ट्रवादी और निष्ठावान भी हैं। बहुत थोड़े लोग हैं जो इस प्रकार की गड़बड़ उत्पन्न कर रहे हैं। मुझे आशा है कि फैक्टरी में स्थिति शीघ्र ही सामान्य हो जायेगी।

सदस्य के निलम्बन की समाप्ति

TERMINATION OF SUSPENTION OF MEMBERS

श्री सेझियान (कुम्बकोण) : मैं नियम 374 (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"कि श्री हुकम चन्द कछवाय का निलम्बन, जिसके लिए सभा ने 2 मई 1972 को आदेश दिया था, तुरन्त समाप्त किया जाये।"

मेरे विचार में श्री कछवाय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह अध्यक्षपीठ के आदेश की अवहेलना नहीं करना चाहते हैं। उनके कुछ शब्दों को, जिनको आपत्तिजनक समझा गया था, पहले ही कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया है।

मुझे आशा है कि भविष्य में सभा की प्रतिष्ठा तथा सम्मान को हमेशा बनाये रखा जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि श्री कछवाय के निलम्बन सम्बन्धी आदेशों को तुरन्त समाप्त कर दिया जाये।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : हम प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। वास्तव में माननीय सदस्य को पहले ही एक दिन दण्ड मिल चुका है। हमें भी इस का खेद है कि उनको भड़काने के लिए कुछ कार्यवाही हुई थी।

Shri B. P. Maurya : (Hapur). The Member concerned should express his regret over the happenings of yesterday.

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कोई सदस्य न बोले।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : कुछ व्यक्ति दूसरों को गालियां देते हैं परन्तु जब वही गालियां उन को दी जाती हैं तो उनको बुरा लगता है। कल मैं यहां पर उपस्थित नहीं था अन्यथा यह सब घटना नहीं घटती। परन्तु अब कुछ सदस्यों ने कठोर रुख अपनाना आरम्भ कर दिया है जोकि ठीक नहीं है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जिसके लिए माननीय सदस्य को क्षमायाचना के लिए कहा जाये, यदि अध्यक्षपीठ किसी शब्द को असंसदीय समझते हैं तो वह उस शब्द को कार्यवाही वृत्तान्त से निकालने का आदेश दे सकते हैं। कल जो कुछ हुआ हमें उसको भूल जाना चाहिए और सभा के समक्ष इस समय जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : श्री मोदी ने जो कुछ कहा मैं उससे सहमत नहीं हूं। उसमें ऐसा लगता है जैसे अध्यक्षपीठ ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया हो। प्रस्तावक का तात्पर्य कल की गई कार्यवाही को चुनौती देना नहीं है। सभा में कुछ ऐसे सदस्य हैं जो सदा नियमों और विनियमों की अवहेलना करते रहते हैं। प्रत्येक चीज की एक सीमा होती है। जो मूल सिद्धान्त हैं उनकी अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। इस प्रकार की बात करने का प्रत्येक सदस्य को, चाहे वह किसी भी दल का हो, दण्ड दिया जाना चाहिए। कल जो कुछ हुआ यदि उसके लिए क्षमायाचना की जाती तो प्रस्ताव का समर्थन करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं थी।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरामपुर) : प्रस्ताव को उसी भावना में लिया जाना चाहिए जिसमें प्रस्तावक ने इसको सभा के समक्ष रखा है। यदि इस पर पुनः वाद-विवाद चालू किया गया तो अनेक बातें निकल आयेंगी जिससे कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। मेरा अनुरोध है कि इस मामले को तुरन्त निपटा दिया जाये।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा अनुरोध है कि आप इस मामले को स्वविवेक के अनुसार निपटा दें।

श्री समर गुह (कन्टाई) : हमें पता लगा है कि श्री कछवाय ने कल की घटना पर खेद प्रकट कर दिया है। सत्तारूढ़ दल को जो बहुमत मिला है उससे सभा की कार्यवाही सुस्त पड़ गई है। सत्तारूढ़दल के सदस्य सभा में उपस्थित नहीं रहते हैं। श्री कछवाय ने सभा के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का सदा ध्यान रखा है।

सभापति ने कल एक टिप्पणी की थी जिससे संविधान के उपबन्धों का उल्लंघन होता है।

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता।

श्री समर गुह : मेरा तात्पर्य सभापति की आलोचना करना नहीं है। परन्तु उन्होंने जो कुछ कहा उससे संविधान के उपबन्धों की अवहेलना होती है।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : प्रस्ताव में जो भावनाएं निहित हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। यह मामला केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं है। इस मामले का सम्बन्ध सभा की प्रतिष्ठा तथा प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों से है। गणपूर्ति का जो प्रश्न उठाया गया है वह इस मामले से सम्बन्धित नहीं है। गणपूर्ति बनाये रखना सब की जिम्मेदारी है। कल विरोधी दलों का केवल एक ही सदस्य सभा में उपस्थित था। यह ठीक है कि मैं चौथी लोक सभा का सदस्य नहीं था परन्तु मैं इससे पहले तीनों लोक सभाओं तथा संविधान सभा का सदस्य था। श्री हुकम चन्द कछवाय ने एक पत्र लिखा है। अध्यक्ष महोदय वह पत्र आपको सम्बोधित किया गया है अतः आप ही उसको पढ़कर सुनायें।

अध्यक्ष महोदय : अनेक बुरी बातें होती हैं परन्तु कल जो कुछ हुआ उससे मुझे बहुत धक्का लगा। बाद में जो कुछ हुआ उसके लिए हमें खेद है। गणपूर्ति के प्रश्न को उठाने का अधिकार सदस्य का है। वह किसी भी समय इस प्रश्न को उठा सकते हैं। परन्तु प्रत्येक दस मिनट बाद ऐसा करना ठीक नहीं है। एक बार घण्टी बजती है तो दूसरी बार घण्टी बजाने में कुछ अन्तर अवश्य होना चाहिए। मेरे विचार में यह अन्तर कम से कम एक घण्टे का होना चाहिए।

श्री के० मनोहरन (मद्रास-दक्षिण) : यह एक पृथक मामला है। इसको श्री कछवाय के मामले के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कल श्री कछवाय बहुत अधिक भड़क उठे और वह नियंत्रण में नहीं रहे वह श्री शशि भूषण द्वारा कहे गये शब्द का विरोध विनम्र ढंग से कर सकते थे। परन्तु वह कल निरन्तर हल्ला गुल्ला करते रहे। मैंने पहले इस सभा में कभी ऐसी गालियां नहीं सुनीं। अध्यक्षपीठ ने कल

उनको खेद प्रकट करने को कहा था परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर प्रस्ताव हुआ। उसके बाद भी वह अध्यक्षपीठ को धमकी देते रहे। कल जो कुछ भी हुआ वह बहुत बुरा था। ऐसे सदस्यों को नियंत्रण में लाना आवश्यक है। प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है कि वह अच्छा व्यवहार करे। मुझे श्री कछवाय से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने कल की घटना के लिए खेद प्रकट किया है।

श्री राजबहादुर : उन्होंने खेद प्रकट किया है परन्तु उसके साथ शर्तें लगाई हैं। यदि यह खेद बिना शर्त प्रकट किया जाता तो स्थिति बिल्कुल पृथक होती। सभा की कार्यवाही को सारे विश्व में पढ़ा जाता है।

श्री पीलू मोदी : बिना शर्त खेद प्रकट करने के लिये कहना तक गलत बात है। मेरे विचार में उनको क्षमायाचना करने को नहीं कहा जाना चाहिए।

श्री राजबहादुर : खेद प्रकट करते समय कोई शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे दो पत्र मिले हैं। दूसरा पत्र अधिक क्षमायाचक है। इस संशोधित पत्र में उन्होंने अपने अधिकार को अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि श्री शशि भूषण को ऐसा नहीं...(**व्यवधान**) आप इतने अधीर क्यों हैं? आप सब समझदार लोग हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि श्री शशि भूषण को भी उन्हें उत्तेजित नहीं करना चाहिये था।

Shri B. P. Maurya (Hapur) : On a point of order, Sir. Yesterday an hon. Member had passed some uncalled for remarks and this House had taken a decision. This decision can be changed only by this august body. The letter written by the hon. Member should be placed before this House and only then the House can consider whether or not the decision should be changed.

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : माननीय सदस्य का विचार बिल्कुल ठीक है। ऐसा करने के लिये प्रक्रिया निर्धारित है। इस सम्बन्ध में नियम बिल्कुल स्पष्ट है। अतः कोई निर्णय लिये जाने से पूर्व सभा को पत्र का पाठ बताया जाना चाहिये।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने बताया है कि श्री कछवाय ने खेद व्यक्त किया है। आपने उसे स्वीकार कर लिया है। अब माननीय सदस्य उसके सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं उठा सकते।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता, सभा ही उसे स्वीकार करेगी।

श्री राजबहादुर : सभापति ने विनिर्णय दिया था कि श्री शशि भूषण के शब्द असंसदीय नहीं थे। मैं भी इस बात से सहमत हूं। हम अब भी यह कहते हैं कि यह असंसदीय नहीं है... (**व्यवधान**) ...

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : सभापति ने कहा था कि उत्तेजनात्मक तथा कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये।

श्री राज बहादुर : श्री कछवाय ने जो क्षमा याचना की है वह सशर्त है ।

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : उनके शब्द को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया है, उन्हें निलम्बित कर दिया गया है और उन्होंने खेद व्यक्त किया है । क्या वे उनकी जान लेना चाहते हैं ? (**व्यवधान**)

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । संसद कार्य मंत्री ने सभापति के विनिर्णय को आंशिक रूप से उद्धृत किया है । बाद में अन्य सदस्यों के आग्रह पर सभापति इस बात पर सहमत हो गए थे कि वे श्री शशिभूषण द्वारा प्रयुक्त शब्दों पर विचार करेंगे । बाद में सभापति ने स्वयं श्री शशिभूषण द्वारा प्रयुक्त शब्दों को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया ।

अध्यक्ष महोदय : बात यह है कि यह निर्णय इस सभा द्वारा लिया गया था और अब यह सभा ही इस निर्णय को बदल सकती है । मुझे श्री कछवाय का यह पत्र मिला है जिसमें खेद व्यक्त किया गया है । दो बातों का उल्लेख किया गया है एक खेद के बारे में और दूसरे श्री शशिभूषण द्वारा प्रयुक्त शब्दों के बारे में । यदि इस पत्र पर भी वाद विवाद किया जाना है तो इसे परिचालित करना होगा । मैं इसे सर्शत खेद प्रकट करना नहीं कह सकता । इस पत्र का प्रथम भाग बिना किसी शर्त के है । उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत अफसोस है । मैंने टाइप किया हुआ पत्र पढ़ा है । हाथ से लिखा हुआ पत्र पढ़ने में मुझे कुछ कठिनाई है यह दूसरा पत्र है । इस पत्र के पहले पैराग्राफ में बिना किसी शर्त के खेद व्यक्त किया गया है । दूसरे पैराग्राफ में लिखा है कि मैं आशा करता हूं कि श्री शशि भूषण अपने शब्द वापस लेंगे । यह केवल आशा है । अब क्या सभा इस पर चर्चा करना चाहती है या इतना ही पर्याप्त है ? मेरे विचार में यह पर्याप्त है ।

श्री राज बहादुर : मैं आपकी बात स्वीकार करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं यह प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि श्री हुकम चन्द कछवाय का निलम्बन, जिसके लिये सभा ने 2 मई, 1972 को आदेश दिया था, तुरन्त समाप्त किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

अनुदानों की मांगें—1972-73

DEMANDS FOR GRANTS

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation (Shri Balgovind Verma) : At the time of Indo-Pakistan conflict 277 villages were vacated in Jammu and Kashmir area and 1,30,000 people were evicted. Out of this number 19 thousand people have gone back to their homes, and 1,11,000 people are still living in camps. We are making necessary arrangements for their rehabilitation. We are in touch with this problem.

श्री इन्द्रजीत मलहौत्रा ने कहा था कि राजौरी और पुंछ क्षेत्र के बहुत से परिवारों को कोई सहायता नहीं दी गई है, इस सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि सहायता में नकद रकम, कपड़ा, कम्बल, रजाइयां और बर्तन आदि शामिल हैं। जीवन निर्वाह, क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत, ढोरों की खरीद, व्यवसायों की पुनर्व्यवस्था आदि के लिये ऋणों और अनुदानों के रूप में सहायता दी गई है। सहायता के बारे में राज्य सरकार के अधिकारियों से निरन्तर परामर्श किया जाता है और पुनर्वास विभाग के अधिकारी भी वहां समय समय पर जाते रहते हैं। राज्य सरकार ने 31-3-1972 तक लगभग 2 करोड़ रुपये खर्च किए थे। राज्य सरकार को अब तक 3 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं। जहां तक छम्ब के शरणार्थियों का सम्बन्ध है उन्हें पाकिस्तान के साथ होने वाले अन्तिम फैसले तक प्रतीक्षा करनी होगी। माननीय सदस्य ने कहा था कि वर्ष 1965 के युद्ध के बाद छम्ब क्षेत्र के व्यक्तियों को अनुदानों और ऋणों के रूप में जो सहायता दी गई थी, केन्द्रीय सरकार को उनको दिये गये ऋणों को बट्टे खाते में डाल देना चाहिए। यह मामला विचाराधीन है और राज्य सरकार से उनको दिये गये ऋणों का ब्यौरा पूछा गया है। जहां तक वर्ष 1947 के शरणार्थियों का सम्बन्ध है उन्हें पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र से जो लोग जम्मू और कश्मीर में बसे है, उन्हें उस राज्य से निष्क्रान्त व्यक्ति की भूमि दी गई थी। राज्य की विधियों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा भूमि अर्जित नहीं की जा सकती है, अत: उन्हें विशेष कानून पास करना होगा। इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार निष्क्रान्त व्यक्तियों की भूमि अर्जित कर सकेगी और शरणार्थियों को सम्पत्ति के अधिकार दे सकेगी।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (जम्मू) : मतदान के अधिकार के बारे में क्या विचार है ?

श्री बालगोविन्द वर्मा : जब उन्हें भूमि दी जायेगी, वे राज्य के निवासी बन जायेंगे और फिर उन्हें अधिकार भी मिल जायेंगे।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : My point of order ; Sir. There is no quorum in the House.

उपाध्यक्ष महोदय : गणपूर्ति की घण्टी बजाई जाये। अब गणपूर्ति हो गई है, मंत्री महोदय अपना भाषण जारी रखें।

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : गणपूर्ति की जिम्मेदारी कवल एक पक्ष की नहीं है।

श्री समर गुह : गणपूर्ति देखना सरकार की जिम्मेदारी है।

श्री राजबहादुर : सभी दलों ने यह करार किया था कि मध्याह्न भोजन के अवकाश के समय गणपूर्ति की मांग नहीं की जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक माननीय सदस्य को पीठासीन अधिकारी की कठिनाइयों और जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिये। संविधान में यह व्यवस्था है कि यदि सभा की बठक के दौरान गणपूर्ति नहीं है तो सभापति या अध्यक्ष महोदय अथवा इस कर्तव्य को निभाने वाले व्यक्ति को सभा

की कार्यवाही तब तक स्थगित कर देनी चाहिये जब तक गणपूर्ति न हो जाये। दलों के बीच किये गये करार के बावजूद यदि मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि गणपूर्ति नहीं है तो मुझे संविधान के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करनी होगी । यदि मेरा ध्यान इस बात की ओर न दिलाया जाये तो अलग बात है । हां, यदि कोई करार किया गया है तो उसका पालन किया जाना चाहिये ।

Shri Balgovind Verma : It was pointed out that some officials of Coalmines Provident Fund organisation had made certain irregularities. I have looked into this matter and found that this charge could not be substantiated.

श्री पी० एम० मेहता (भावनगर) : यह मंत्रालय अपने कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहा है । वे श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सके हैं और प्रबन्धकों और श्रमिकों के बीच सम्बन्धों में समरसता नहीं ला सके हैं । सरकारी उपक्रमों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये इस मंत्रालय ने उचित भूमिका नहीं निभाई है । वर्ष 1971 में हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण 140 लाख जनदिवसों की हानि हुई है । बैंकों, रेलवे, कोयला खानों, अन्य खानों, पत्तन और गोदियों, विमान परिवहन और डाक तथा तार जैसे सरकारी उपक्रमों में प्रबन्धकों और श्रमिकों के सम्बन्ध अब ठीक नहीं रहे हैं ।

राष्ट्रीय श्रम आयोगों की सिफारिशों के बारे में सरकार का रवैया निन्दनीय है। मैं जानना चाहता हूं कि इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में सरकार कब विचार करेगी ?

बहुत से मजदूर संघों और उद्योगों ने 20 अक्तूबर, 1971 को घोषित किये गये खाडिलकर बोनस फार्मूले को स्वीकार कर लिया था परन्तु सरकार ने उसके लिए विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने में 6 महीने लगा दिए । क्या श्रम मंत्री ने वर्ष 1971 की बोनस समस्या पर विचार किया है ? क्या उन्हें विश्वास है कि श्रमिकों को वर्ष 1971 का बोनस समय पर मिल जायेगा और उन्हें हड़ताल नहीं करनी पड़ेगी ? फिर श्रमिकों की भविष्य निधि विवरण समय पर नहीं मिलता है । इस मंत्रालय को प्रशासनिक अदक्षता की ओर ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसका श्रमिकों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है ।

सरकार को भविष्य निधि की राशि पर व्याज की दर बढ़ानी चाहिए । राष्ट्रीय श्रम आयोग ने सिफारिश की थी कि कार्य करने के घण्टे 48 से घटाकर 45 घण्टे प्रति सप्ताह कर देने चाहिए । क्या मंत्री महोदय इस मामले पर विचार करेंगे और इस सत्र में आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ?

इण्डियन एयरलाइन्स के असिस्टेंट इंजीनियरों द्वारा धीमी गति से कार्य करने का मामला उठाया गया था । श्रम मंत्री ने एक करार सभा पटल पर रखा था । उसमें इस बात का उल्लेख है कि प्रबन्धकों और संघ के बीच एक मामले पर समझौता नहीं हुआ है । इण्डियन एयर लाइन्स के प्रबन्धक इस मामले को पंचनिर्णय के लिए नहीं भेजना चाहते हैं । नागर विमानन मंत्री ने स्पष्ट रूप से यहां बताया था कि उन्हें इस मामले को पंचनिर्णय को भेजने में कोई आपत्ति नहीं उठाई है । श्रम मंत्री को नागर विमानन मंत्रालय से कहना चाहिए कि वह संघ के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें ।

Shri R. N. Sharma (Dhanbad) **:** It has been observed that Government have been quite indifferent to the disputes between management and labour in the Railways, mines, coal mines,

banks, insurance and major ports etc. The meetings of industrial Committees are not held. The industrial Committee of coalmines held its last meeting on 6th November 1969. Since then no meeting has been called. The Government would convene a safety conference only when some tragedy would occur in the coalmines. The last safety conference was held in 1966 but the recommendations of the said conference have not been implemented so far. The Central Government had made a provision of Rs. 120.67 lakhs for the Industrial Relations Machinery. There are 233 officers and 747 employees. They have disposed off only 2080 cases, out of them they have succeeded in 1,009 cases and failed in 1023 cases. It has been stated in the Report that 916 works committees are functioning. This figure is only for record purposes, in fact no works committee is functioning.

The advisory Committee of coalmines Welfare Fund had recommended in 1965 that the cess should be raised from 8 annas to Re 1/-. The Government have not implemented this recommendation so far. On the other hand medical and other facilities are being curtailed.

There are 4 lakh workers but coalmines welfare organisation has constructed only 68,594 houses in the last 20 years. It will be observed that long time is being taken for construction of the houses. The Government should force the owners of collieries to construct the houses.

The Wage Board was set up in 1967. The recommendations of this Board have been implemented partially. It will be observed that cost of living index has been increased by 50 percent during these four years. In view of this a new Wage Board should be set up which should look into this matter.

The arrear of coalmines Provident Fund comes to Rs. 10 crores. It is felt that management is not contributing towards provident fund. Government should pass a legislation to force the employers to contribute their share of provident fund. The employers should be sent to imprisonment for atleast three months in case they do not contribute their share towards the provident fund.

The Family Pension Scheme should be amended in such a way that all the 8 lakh workers covered under Employees Provident Fund are benefited by it.

A colliery situated in Nourozabad has been closed since 28th February. The workers of this colliery have neither been paid lay off compensation nor retrenchment compensation. The Government should look into this matter.

Shri Hukam Chand Kachwai : The criteria for the recognition of a particular Union should be its membership. In this connection system of secret ballot should be adopted. Moreover these unions should be free from politics. I would like to suggest that Bhartiya Mazdoor Sangh should be recognised on all India basis. It fulfils all the conditions required for the recognition. In view of this, this Union should be recognised as a national Union as soon as possible.

It has been observed that industrial disputes are settled by the leaders of the Unions and employers without consulting the members of the Union. The result is that many a time workers have to suffer. In view of this members of the Union should be consulted before taking any decision. In many cases the Ministry has to file a case in the court of law but they take undue long time for this. The cases should be filed as early as possible and also disposed off by the courts without undue delay.

No doubt the capitalist invests money in the industries but labour is equally responsible for the success of any concern. Therefore labour should have equal share in the profits of the industry.

Employees of Municipal Committees, Hospitals, Education Departments etc. should be allowed to form their Unions ignoring the decision of Supreme Court in this regard as has been done in the matter of abolition of privileges of ex-rulers.

Government have appointed a Bonus Committee but they have not announced a time-limit in which the said Committee would have to submit its report. A time-limit for submitting the report should be fixed by this Government.

Workers of various Industries should be allowed to see the records and registers so that owners can not manipulate preparation of wrong balance sheets.

Abnormal delay in submitting report by Pay Commission has created unrest amongst the employees. It has become the habit of the Government that unless people launch agitations Government do not pay any attention towards their genuine grievances. Therefore I request that Government should ask Pay Commission to submit their Report as early as possible.

I also demand that the persons who hold power should not interfere in the affairs of the Trade Unions. It has been observed that certain influential persons favour the owners and try to crush the agitations launched by the employees.

It has also been observed that many mill-owners do not pay contribution towards the employees Provident Fund resulting in various hardships to the workers. Workers do not get loan and other facilities when they need them. In this context I suggest that the rate of penalty should be increased for such defaulters. Government should announce in the House that they are going to make strict laws in this regard.

A large number of refugees have been residing in Madhya Pradesh. Arrangements should be made to send them back to Bangla Desh. I hope the hon. Minister would consider all these points.

Shri Damodar Pandey (Hazaribagh) : Sir, while supporting the demands of this Ministry I would like to invite the attention of the hon. Minister to certain points.

Much emphasis is being laid on the need of increasing production and moratorium on strikes. With the award of Wage Board in 1967 a large number of workers of coal mines felt a great relief. But after the expiry of a long period of five year Government have not felt the necessity of another of Wage Board award. I suggest that Government should make certain arrangements with which workers may get revised wages without going on strikes and agitations.

It has been observed that the minimum wages of the coal mining workers in our country do not compare favourably with those of the other Industries whereas in other countries of the world the wages of these workers are much more. Not only this but the facilities given to them by coal Mines Welfare organisation have been reduced. The quantity of madicines supplied to their Hospitals has been cut down. The funds provided to the welfare of workers are used for administrative purposes. It was recommended by the Advisory Committee to increase the rate of cess. But nothing has been done to this effect uptil now. I, therefore, demand an assurance from the hon. Minister that the rate of cess would be immediately increased from 50 paise to Re. one in order to give all the facilities to the workers.

Problem of unemployment is very serious in the country. There is an urgent need of solving this problem on national level. Certain steps taken by the Government also indicate that they are interested to sovle it. I would like to point out that Employment Exchanges have become the hot beds of corruption. Employees of this machinary demand bribe for registration and forwarding the names of the candidates. The Employment Advisory Committee is only in name. Members of this Committee seldom meet and their recommendations are not implemented by the Government. In these circumstances the very purpose of Employment Exchanges has been defeated. Thus Government should take proper steps to remove this type of corruption.

How can Government justify their tendency of calling a safety conference only after taking place serious accidents in the mines? Why should they not make permanent arrangements

to avoid such accidents ? Apart from this Government have not implemented all the suggestions made by the safety conference held five or seven years ago. I also suggest that Government should convene a safety conference to look into the matter of providing security to the workers.

Various decisions which were taken by the Wage Board should also be implemented as early as possible and steps should be taken to fix the minimum wage of the mining workers.

Shri Dhan Shah Pradhan (Shahdol) : The performance of the Ministry of labour and Employment is not satisfactory. Problem of unemployment in the country has become more serious and there is an increasing unrest amongst the educated unemployed. This Ministry has not made any schemes or formulated any programme for the rural employment.

It is not possible for me to describe the seriousness of the problem of unemployment in Madhya Pradesh. Not a single member of numerous families there has been provided with job. They are prepared to do any work howsoever it may be difficult but there is no work to do. The hon. Minister should say something in this regard.

Economic development depends on three factors, namely Government, Industrialist and the labour. In spite of the fact that third factor, that is labour is weak, the role of workers is most important. Government therefore must give support and security to them.

In our country with democratic set-up Labour Unions have a right to express their view-points and thus there are more responsibilities upon them. It is the duty of the Government to formulate certain policies for the welfare of labour resulting in encouragement to them. Government should also go into the causes of disputes between the management and the labour.

For avoiding a situation when faith of the workers in the management and Government regarding their due wages, promotions and other facilities is shaken Government should appoint a separate machinery to settle all these matters expeditiously. It has been observed that the workers of coal mines in Madhya Pradesh feel disappointed for not solving their problems of basic needs for drinking water, madicines and residential accommodation in time. Managers take abnormal time for deciding such common issues resulting in unrest among the workers. Government should take some steps to remove this tendency from the management.

I also suggest that Employment Committee should be set-up at district level consisting of Government and Private members to help the Government in providing jobs and other facilities to more and more persons and to settle the disputes between the labour and the management. Arrangements should also be made to provide unemployment allowance to minimise the incidents of suicides committed by unemployed and frustrated persons. If it is not done, I am afraid a day may come when educated unemployed would take recourse of destruction and anti-social activities.

Repeated demand has been made in the House to discontinue the contract system in coal mines in Madhya Pradesh but no action has yet been taken by the Government. I again request that the Government should look into this matter.

I pay tributes to the Government for solving refugee problem which came into being due to the atrocities committed by Pakistani forces in Bangla Desh. Government have successfully send them back to their Homes. Displaced persons from the borders of western sector have also been rehabilitated by the Government. Government should also take effective steps to solve the problem of evacuees from Burma, Mozembique and Ceylon. The numbers of evacuees from Burma is 190,989. Rs. 207.75 lakhs and 985.925 lakhs have been given to the State Governments for providing them loan and agriculture land. More than 600 families have come to India from Mozembique most of these refugees have settled in Gujarat. Government should make some schemes to provide them certain facilities of starting small scale industries. The amount of grant for Tibetan refugees should be increased and their colonies should be linked with the main roads.

Under Dandakaranya project 9359 houses in 281 villages have been constructed for displaced persons. I suggest that 3,000 more houses should be constructed for them. They should be provided more irrigation facilities and the construction work on dams at Ban Sagar 4 Paralkote should be opened. Arrangements should also be made to impart them industrial training. It is the duty of the Central Government to provide all kinds of facilities to those adivasis as they are the important part of our civilization and culture.

श्री आर० वी० स्वामीनाथन (मदुरै) : श्रीमन, बहुत से माननीय सदस्यों ने देश के मजदूरों में व्याप्त असंतोष का उल्लेख किया है । मैं समझता हूं कि समस्या यह है कि 150 रुपया वेतन पाने वाले मजदूरों से लेकर 800, 1,000 और 4000 रुपया वेतन पाने वाले कर्मचारी भी सामान्य श्रमिकों की भांति हड़ताल का सहारा ले रहे हैं ।

श्रमिकों में व्याप्त असंतोष के तीन कारण बताये गये हैं । पहला कारण कार्मिक संघों की पारस्परिक शत्रुता, दूसरा कारण प्रबन्धकों द्वारा श्रमिकों की कठिनाइयों को समझना तथा तीसरा कारण सरकार का यह रवैया बताया गया है कि वह या तो समस्याओं का अधूरा समाधान करती है अथवा बहुत देर से कोई कदम उठाती है ।

इसका कारण कुछ भी हो किन्तु यह निश्चित है कि देश में उत्पादन बहुत कम हो गया है । हड़ताल के कारण श्रामिकों और प्रबन्धकों में सौहार्द समाप्त हो जाता हैं तथा सरकार के प्रयत्नों से भी वहां तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है ।

स्वतंत्र देश के नागरिक होने के बावजूद सामान्य जनता के लिये स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है क्योंकि उनकी कठिनाइयों को अभी तक दूर नहीं किया जा रहा है । सरकार के साथ-साथ कार्मिक संघों के ऊपर भी कुछ उत्तरदायित्व है । उन्हें श्रमिकों को कुछ सिखाना चाहिये । पश्चिम जर्मनी जैसे देश में श्रमिकों में कोई असंतोष नहीं है । वहां पर हड़तालें नहीं होतीं तथा श्रमिकों और प्रबन्धकों में पूरा सौहार्द है ।

श्रम सम्बन्धी समस्याएं उत्पन्न होने पर सरकार को अपना उत्तरदायित्व निभाना चाहिये तथा श्रमिक और प्रबन्धक दोनों ही पर अपना प्रभाव रखना चाहिये । बोनस के प्रश्न पर प्रत्येक वर्ष तथा प्रत्येक उद्योग में समस्याएं उठती रहती हैं । मेरा सुझाव है कि सरकार एक बार दोनों पक्षों को साथ बिठाकर एक ऐसा निर्णय करले जिससे इस समस्या का सदा के लिये समाधान हो जाये **(व्यवधान)**

यह स्वाभाविक है कि मजदूर अधिक मजूरी मांगता है । उनके परिवारों में केवल एक-एक सदस्य रोजगारप्राप्त है और शेष बेरोजगार के हैं । इस स्थिति में श्रमिकों तथा उनकी यूनियनों को यह मांग करनी चाहिये कि उनके परिवार के अन्य लोगों को भी काम मिले । बोनस या मजूरी में 5-10 रुपये की वृद्धि की अपेक्षा यदि उनके परिवारों के अन्य व्यक्तियों को भी रोजगार मिलता है तो उनकी स्थिति अधिक अच्छी होगी । इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को केवल 4 रुपया प्रतिदिन मजूरी मिलती है । इतना ही नहीं उन्हें काम भी वर्ष में केवल 4-5 महीने के लिये ही मिलता है । मेरा निवेदन है कि सरकार को उनकी ओर भी ध्यान देना चाहिये ।

मेरा सुझाव है कि नई दिल्ली स्थित कालका जी-कालोनी का नाम अब चितरंजन दास कालोनी रख दिया जाना चाहिये क्योंकि, अब पूर्व पाकिस्तान तो रहा नहीं जिसके विस्थापितों को बसाने के लिये वह बनाई गई थी ।

बर्मा, श्री लंका तथा अन्य देशों से भारत में आ रहे विस्थापितों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। बर्मा से आने वाले लोगों की स्थिति बहुत खराब है अतः उनको पूरी सुविधाएं तुरन्त मिलनी चाहिये।

श्री लंका से लौटने वाले भारतीय नागरिकों को मंडप्पम में बसाया जा रहा हैं। मेरा सुझाव है कि उन्हें किसी चाय या रबड़ के क्षेत्रों में बसाया जाना चाहिये क्योंकि मंडप्पम समुद्र के किनारे है तथा वहां ऐसे लोगों को ही बसाया जाये जो मछली पकड़ने का व्यवसाय करते हों।

श्री समर गुह (कंटाई) : मैं पुनर्वास मंत्री महोदय को सचेत करना चाहता हूं कि वह बंगला देश के शरणार्थियों के पुनर्वास के बारे में निराधार वक्तव्य न दें। बंगला देश को अपने नागरिकों को पुनः बसाने में उससे कहीं अधिक कठिनाई हो रही हैं जितनी भारत को उन्हें अस्थाई रूप से बसाने में हुई थी। भारत में आये बंगला देश के लोगों की भूमि तथा अन्य सम्पत्ति पर दूसरे लोगों ने अपना कब्जा कर लिया है तथा वहां की सरकार को उनकी सम्पत्ति तथा भूमि वापस दिलाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः इस स्थिति में भारत सरकार के ऊपर अधिक उत्तरदायित्व आ जाता है कि वह बंगला देश के लिये अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक सहायता दिलाने का प्रयत्न करे जिससे बंगला देश अपने विस्थापितों को पुनः बसा सके। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इस मामले पर विदेश मंत्री से विचार-विमर्श करें क्योंकि यह मामला बहुत नाजुक है। मैंने प्रधान मंत्री को भी इस मामले में कई पत्र लिखे हैं तथा सदन में भी कई बार यह मामला उठाया है। 1962 के युद्ध के उपरांत पाकिस्तान ने शत्रु सम्पत्ति अधिनियम बनाया था। इस कानून का उद्देश्य अल्प संख्यकों को बाहर निकालना था। अतः विदेश मंत्री को यह मामला उनके साथ उठाना चाहिये तथा उनसे अनुरोध करना चाहियें कि इस कानून को रद्द किया जाये अन्यथा अल्प संख्यकों को पुनर्वास मिलना असम्भव हो जायेगा।

मेरे एक पत्र के उत्तर में पुनर्वास मंत्री महोदय ने बताया है कि अब शरणार्थी राहत समिति की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या इस का यह आशय है कि अब शरणार्थी सम्बन्धी कोई समस्या ही नहीं है। यदि आप कलकत्ता तथा पश्चिम बंगाल का दौरा करें तो आपको ऐसी अनेक समस्याएं दृष्टिगोचर होंगी। अतः इस समिति को समाप्त नहीं किया जाना चाहिये।

अण्डमान में एक उच्च शक्ति प्राप्त दल इस बात की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये भेजा गया था कि क्या वहां बंगला देश के शरणार्थियों को बसाया जा सकता है। 1971 के अन्त तक वहां एक लाख पचास हजार व्यक्तियों को बसाया जाना था किन्तु खेद है कि केवल कुछ हजार व्यक्तियों को ही वहां बसाया जा सका है। ग्रह मंत्रालय का रवैया भी इन व्यक्तियों की ओर अच्छा नहीं रहा है। अन्तर्विभागीय प्रतिवेदन के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि उस प्रतिवेदन का क्या हुआ ?

कालका जी कालोनी के बारे में दिये गये सुझाव का मैं स्वागत करता हूं तथा निवेदन करता हूं कि इस कालोनी का नाम चितरंजन दास कालोनी रखा जाये।

मेरे विचार से आसनसोल में कोयला खानों के श्रमिकों से भी सरकार को हड़ताल की सूचना मिल गई है। वहां पर 50,000 मजदूर कार्य करते हैं तथा उनकी मांगें न्यायसंगत हैं। सरकार को उनकी कठिनाइयों की ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिये।

जहां तक जूट उद्योग में हड़ताल होने का प्रश्न है, सरकार को जूट उत्पादन, उसकी काश्त तथा खरीद-फरोख्त के बारे में बंगला देश सरकार से बात-चीत करनी होगी। गत 10 महीनों में 35 प्रतिशत जूट के सामान के स्थान पर अन्य सामान का उपयोग किया गया है। अतः जब तक इस सम्बन्ध में बंगला देश सरकार के साथ मिलकर संयुक्त नीति निर्धारित नहीं होगी तब तक इस उद्योग को हानि होती रहेगी।

श्रमिकों में व्याप्त असंतोष को दूर करने के लिये सरकार को इस बात का प्रचार करना पड़ेगा तथा श्रमिकों को महसूस कराना होगा कि राष्ट्रीयकरण का आशय उद्योग और व्यापार को श्रमिकों के अधिकार में लाना है।

यदि सरकार एक ऐसा कानून बना सके कि श्रम सम्बन्धी सभी विवादों को कम से कम समय में निपटाया जाये तथा ट्रिबुनलों के फैसले दोनों पक्षों को अनिवार्यतः मान्य होंगे तो 80 प्रतिशत समस्या का समाधान हो सकता है।

Shri R. P. Yadav (Madhepura) : Sir, I rise to support the demands of this Ministry. Recurring cases of strikes and Lock-outs in various industries indicate that labour policy of the Government is not satisfactory. In this context I suggest that genuine demands of the workers should be met by the Government irrespective of the fact that aggrieved workers have approached the Government through recognised Unions or unrecognised Unions.

It has been observed that the slogan of 'one union in one industry' has not been implemented as yet. Government should ensure that there is only one Union in a particular industry so that the demands of all the workers are fulfilled through it. This department can only be corrected when it has its own Chairman. The arrears of Provident Fund is increasing. The reason for all this mess is that Provident Fund Commissioners come here on deputation from other departments. So they do not show interest in any problem. My suggestion is that the Commissioner should belong to that organisation.

The Provident Fund employee's work is mostly of accounts. So their Pay scale should conform with those employees working in Accounts department. Then they can work satisfactorily.

The Hon. Minister had assured some months ago that as there is paucity of employees in Family Pension Scheme so more than 300 employees would be appointed. But till now not a single appointment has been made.

Whenever demands of employees are made, it is said that these would be considered only after the submission of third Pay Commission's report. But the third Pay Commission has not yet submitted its report. I want to know when the Commission will submit its report.

Bihar is experiencing acute problem of employment. These workers are being retrenched but no alternative job is being provided to them. The Government should keep this fact in mind.

The problem of educated unemployed has taken serious proportion. If planned programme for giving them jobs is not evolved, the problem will put the country into trouble. The employment exchanges in the country may be equipped with vocational and educational training centres and also facilities like library etc. may also be provided for the benefit of job seekers.

The Koshi embankment has rendened many families homeless. Nothing has been done to rehabilitate them so far. The Government should acquire land to rehabilitate the evicted families.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : आन्ध्र बैंक के कर्मचारी एक लम्बे समय से हड़ताल पर हैं और इसके समर्थन में अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी एसोसिएशन समूचे देश में हड़ताल का आह्वान कर रही है, उनकी समस्या को सुलझाने में क्या कठिनाई है।

दूसरे 2,50,000 जूट कर्मचारियों ने हड़ताल का नोटिस दिया है। उनकी मांगों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

तीसरे, आई० डी० पी० एल० के कर्मचारियों ने भी हड़ताल का नोटिस दिया है। इसका कारण यह है कि 11 कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है तथा अन्य कर्मचारियों को आरोप पत्र दे दिये गये हैं, वहां के कर्मचारियों की मांग हैं कि धूम्रपान करने के लिये उन्हें स्थान देने की व्यवस्था की जाये,

इन कर्मचारियों ने अपनी मजूरी का पुनरीक्षण करने की मांग की हैं, ऋषिकेश स्थित एण्टी-बायोटिक्स कारखाने के कर्मचारियों को पिंपरी के कर्मचारियों के समान मजूरी नहीं मिलती है, सरकार से अनुरोध है कि एण्टीबायोटिक्स कारखाने के कर्मचारियों के साथ न्याय किया जाये।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों की मांग समय समय पर उठाई गई हैं परन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कुछ नहीं किया गया है, वहां अभी भी भ्रष्टाचार व्याप्त है।

पश्चिम बंगाल में अस्पतालों की कमी है, हुगली जिले में एक अस्पताल के भवन को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा मिलिटरी को दे दिया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि के बारे में आपने जो आश्वासन दिया था, उस बारे में कुछ नहीं किया गया है, मालिकों ने इस निधि के मामले में जो गोल-माल किया है, उसके बारे में सरकार मौन है।

पुनर्वास समस्या को भली-भांति सुलझाया नहीं जा सका है, पश्चिम बंगाल के पुराने शरणार्थियों को पूरी तरह से बसाया नहीं गया है, उनकी कालोनियों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है। शरणार्थियों का आर्थिक पुनर्वास करने के प्रयास में कहीं कमी है, केन्द्रीय सरकार का यह दायित्व है कि वह शरणार्थी समस्या को पूरी तरह से सुलझाये और इस कार्य का पूर्ण दायित्व अपने ऊपर ले।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : इस समय राष्ट्र संकट में है और हमें इस संकट का सामना करना है, देश में प्रत्येक कार्मिक संघों ने एक होकर इस संकट का मुकाबला किया है।

राष्ट्र को भारी शरणार्थी समस्या का सामना करना पड़ा है। सभा में प्रत्येक सदस्य को इस मंत्रालय के महान कार्य की प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार जटिल स्थिति को सुलझाया है।

हमारे प्रधान मन्त्री और श्रम मन्त्री ने कार्मिक संघों में एक प्रकार की सर्वसम्मति लाने का प्रयास किया है जिससे औद्योगिक सम्बन्धों में सुधार हो तथा उन्हें मान्यता प्राप्त हो सके, श्रम मंत्री ने यह धमकी भी दी थी कि यदि ऐसा फार्मूला नहीं निकाला गया तो वे कार्मिक संघों पर दबाव डालने के लिये कानून बनायेंगे। यह प्रसन्नता का विषय है कि तीनों राष्ट्रीय कार्मिक संघों ने आपस में मिलकर एक फार्मूला निकाला है, यह निश्चय ही एक सुधार है।

कर्मचारियों में एकता लाने के लिये इंटक, एटक और हिन्द मजदूर सभा ने एक प्रकार का राष्ट्रीय मंच तैयार किया है जहां राष्ट्रीय समस्याओं पर अनौपचारिक रूप से चर्चा की जा सके, इन तीनों कार्मिक संघों ने ऐसा आपसी सहमति से किया है।

संसदीय तथा राज्य विधान सभाओं के चुनावों के निर्णयों से पता चलता है कि जनता ने बामपन्थी उग्रवाद को अस्वीकार कर दिया है, श्रमजीवी वर्ग के अधिकारों का आदर किया जाना चाहिए। कार्मिक संघों को मान्यता देने की कसौटी बनाते समय इस राष्ट्रीय निर्णय को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कार्मिक संघों को श्रमजीवी वर्ग की आशाओं के अनुसार कार्य करने को बचनबद्ध होना चाहिए। जो कार्मिक संघ श्रमजीवी वर्ग की आशाओं के अनुरूप कार्य नहीं करता है, उसे मान्यता नहीं दी जानी चाहिए।

आज हमें श्रमिकों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए, श्रम मन्त्रालय, जो ब्रिटिश प्रशासन के समय से चलते आ रहे हैं, का कार्य केवल औद्योगिक क्षेत्र में कानून तथा व्यवस्था लागू करना है, उसका कार्य श्रमिकों से अपना कार्य कराना है, परन्तु अब राज्य समाजवाद लाने के लिए कटिबद्ध है, समाजवाद में श्रमिक का स्थान पूंजीपति की अपेक्षा सर्वोपरि रहता है। हमने एकाधिकार, विदेशों द्वारा पूंजी नियोजन आदि के बारे में अपने दृष्टिकोण को बदला है तो क्या हम श्रमिक के प्रति अपना दृष्टिकोण नहीं बदल सकते हैं ? सरकारी मशीनरी जिस प्रकार कार्य कर रही है उससे पता चलता है कि श्रमिक के प्रति हमारे दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आया है। श्रम मन्त्रालय के पास अधिकार सीमित हैं, वह रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कर सकता है। वह श्रम सम्बन्धी नीतियों को लागू नहीं कर सकता है। उसका कार्य केवल मौन दर्शक बने रहना मात्र है।

आज का श्रमिक केवल मजूरी और बोनस से ही संतुष्ट नहीं है, वह अपना पद, गरिमा और स्थिति के प्रति जागरूक है। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके प्रति मन्त्रालय को आंख नहीं मूंदनी चाहिए।

समय कम होने के कारण मैं अधिक न कह सकूंगा परन्तु मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि यदि श्रम मन्त्रालय के मन में श्रमिकों के लिये चिन्ता है तो उसे उनके प्रति अपने विचार बदलने चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, यहां सभा में उपदान विधेयक लाया गया था। किसी सदस्य ने यह मांग प्रस्तुत की थी कि उपदान का भुगतान न करने की स्थिति में मालिकों पर मुकदमा चलाने के लिये सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता न हो। इसके लिये सरकार ने तर्क दिया कि इस मांग को मानने का तात्पर्य यह है कि मालिकों को परेशान किया जायेगा, यह एक गलत दृष्टिकोण है और इसको बदला जाना चाहिए।

मैं प्रस्तुत की गई मांगों का समर्थन करता हूं, मेरा यह कहना है कि हमें अपना दृष्टिकोण बदल देना चाहिए और यह तथ्य स्वीकार करना चाहिए कि उत्पादन करने वाले श्रमिक का स्थान सर्वोपरि होता है।

श्री एस० बी० गिरि (वारंगल) : श्रीमन्, गत 25 वर्षों के अनुभव ने हमें बताया है कि श्रम मंत्रालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली श्रम नीति प्रबन्धक प्रधान नीति है। यह नीति बदली जानी चाहिए तथा इसे श्रमिक प्रधान बनाया जाना चाहिए। हम समाजवाद की बातें करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया है। यह नारा तभी सफल हो सकता है जब गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को अपने हाथ में ले लिया जाये। श्रमिक को उद्योग में तथा इससे बाहर सामाजिक पद दिया जना चाहिए। इसके बिना औद्योगिक शान्ति नहीं हो सकती है।

अनुभव ने बताया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, अनुशासन संहिता आदि का कोई महत्व नहीं रहा है। त्रिपक्षीय समझौतों का मालिकों ने कोई पालन नहीं किया है तथा यही बात कार्मिक संघों पर लागू होती है, देश में औद्योगिक शान्ति को बनाये रखने में इनकी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही है। इसके स्थान पर गुप्त मतदान द्वारा सामूहिक सौदेबाजी की एजेंसी स्थापित की जानी चाहिए। एक उद्योग में एक कार्मिक संघ होना चाहिए।

तेलंगाना में रोजगार कार्यालय स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने में असफल रहा है। इस लिए एक पृथक तेलंगाना की मांग न केवल रोजगार समस्या अपितु कई अन्य कारणों से औचित्य पूर्ण है। तेलंगाना के रोजगार कार्यालयों को कहा जाये कि नौकरियों में यथासंभव स्थानीय लोगों की नियुक्ति की जाये।

कुछ उद्योगों ने मजूरी बोर्ड की सिफ़ारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है और न मंत्रालय ने इस संबंध में ही कुछ किया है, इसलिए मालिकों को इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए बाध्य करने हेतु एक अध्यादेश जारी किया जाये।

हमारी कोई राष्ट्रीय मजूरी नीति नहीं है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों ने आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम मजूरी के लिए 1960 और 1968 में हड़ताल की थी। सब कार्मिक संघ भी इसी की मांग कर रहे हैं। श्रम मंत्रालय को और अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि वह विवादों को शीघ्रता से निबटा सके।

नैमित्तिक श्रमिकों के बारे में मैंने गत वर्ष एक प्रश्न उठाया था कि सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि वह नैमित्तिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में आदेश जारी कर रही है, परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया है, मजूरी बोर्ड ने भी यह सिफारिश की थी कि यदि कोई ठेकेदार नैमित्तिक कर्मचारी को रखता है तो उसको भी उतनी मजूरी दी जानी चाहिए जितनी स्थायी कर्मचारी को मिलती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि नैमित्तिक कर्मचारी को स्थायी कर्मचारी के समान मजूरी मिलनी चाहिए और दूसरा उसके सेवा के 240 दिन पूरे हो जाने के उपरान्त उसे स्थायी बना दिया जाना चाहिए तथा उसे वे सभी सुविधाएं दी जानी चाहिए जो स्थायी कर्मचारी को मिलती हैं।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : माननीय सदस्यों ने श्रमिकों की स्थिति के बारे में जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं सहमत हूं।

**[श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
Shri K. N. Tiwary in the Chair]**

इस विषय पर चर्चा करने से पूर्व मैं कुछ आधारभूत सीमाओं के बारे में कहना चाहूंगा। पहले यह समझ लेना चाहिए कि सरकार एक मानव संस्था है और यह सर्वशक्तिमान नहीं है। सरकार के लिए इतनी बड़ी समस्याओं को सुलझाना कोई आसान काम नहीं है। दूसरे, श्रम सम्बन्धी मामला राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है।

केन्द्रीय सरकार निश्चय ही श्रम संबंधी नीति बनाती है पर इसका क्रियान्वयन इसके हाथ में नहीं है। राज्यों को स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए अपने-अपने कानून बनाने होंगे।

श्रमिक क्षेत्र में जो कुछ घटित होता है वह साधारणतया संपूर्ण आर्थिक नीतियों का परिणाम है। प्रधान मंत्री ने कहा है कि निर्धनता दूर करने के लिए रोजगार के अवसर जुटाना आवश्यक है श्रम संबंधी नीति बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं कर सकती है। यह वस्तुतः आर्थिक नीति का कार्य है जिससे यह समस्या सुलझाई जा सकती है।

माननीय सदस्यों ने औद्योगिक संबंधों के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की है। श्रम दिवसों की हानि निश्चय ही चिन्ता का विषय बन गई है। परन्तु तुलनात्मक आंकड़े देखने से पता चलता है कि स्थिति में कुछ सुधार हुआ है।

यह कहा जाता है कि सरकारी क्षेत्र में स्थिति निराशाजनक है, यदि हम औद्योगिक विवादों के आंकड़े देखें तो यह पायेंगे कि 1970 में काम रुकने के कारण सरकारी क्षेत्र में आधे दिन की श्रम दिवस की हानि हुई है जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र में 4 दिन की श्रम दिवसों की हानि हुई है। हम सरकारी क्षेत्र में इस हानि को भी समाप्त करना चाहते हैं, कुछ सदस्यों ने औद्योगिक उपक्रमों के बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति के प्रति चिन्ता प्रकट की है।

माननीय सदस्य जानते ही होंगे कि इस स्थिति से निबटने के लिए हमने ठोस कार्यवाही की है। बन्द होने वाले उपक्रमों को अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया को नया रूप दिया जा रहा है। बंगाल में ऐसी व्यवस्था की गई है कि उपक्रम के बन्द होने को सूचना 60 दिन पूर्व देना अपेक्षित है। इसी प्रकार का एक केन्द्रीय विधेयक संसद में भी लाया जा रहा है।

औद्योगिक सम्बन्धों को सुधारने के लिए वर्तमान प्रक्रिया को नया रूप देने की आवश्यकता है। श्रमिक संबंधी राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों के अनुसार औद्योगिक संबंध कानून में संशोधन किये जा रहे हैं, हम देश में प्रमुख कार्मिक संघों को कह रहे हैं कि वे आपस में मिलकर विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करें ताकि कई विषयों पर मतैक्य हो सके।

माननीय सदस्य यह समझ सकते हैं कि इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है, परन्तु ऐसी बात नहीं है। उन्होंने देखा होगा कि इस बार तीन राष्ट्रीय कार्मिक संघों ने मिलकर देश के महानगरों में संयुक्त रूप से मई दिवस मनाया जो कि शुभ संकेत है।

देश के तीन प्रमुख कार्मिक संघों से विचार विमर्श करने के उपरान्त कई विषयों पर मतैक्य हुआ है। इसके अलावा हम उनकी सहमति से अपने प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं ताकि हम संसद में विधेयक को ला सकें जो कि कार्मिक संघ को मान्यता देने, विवाद सुलझाने तथा अन्य संबंधित मामलों के बारे में होगा।

ऐसी मांग की गई है कि विवादों को कर्मचारियों और मालिकों के बीच निपटान के लिए छोड़ देना चाहिए। परन्तु सरकार औद्योगिक शान्ति को बनाए रखने के दायित्व से अपने आपको मुक्त नहीं कर सकती है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि समाज का कोई वर्ग आर्थिक नीतियों को खतरे में न डाले।

उपक्रमों के बन्द होने के संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये कदमों से मैं माननीय सदस्यों को

अवगत करा चुका हूं।……उनमें पहले ही त्रिपक्षीय समझौता हो चुका है और छंटनी के बारे में वर्तमान कानुन उपयुक्त है।

कुछ सदस्यों ने राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री द्वारा एक निश्चित अवधि तक हड़ताल तथा तालाबंदी न करने के अनुरोध की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, इसका उद्देश्य यह है कि देश में इस प्रकार की स्थितियां पैदा की जायें जिससे कारखानों में कार्य बन्द न हो।

संसद में तथा इसके बाहर उद्योगों में मजूरी निर्धारण के प्रभावी तरीके के बारे में पर्याप्त चर्चा हुई है। कुछ लोग मजूरी निर्धारण करने के लिए सांविधिक मजूरी बोर्ड स्थापित करने की मांग कर रहे हैं जबकि अन्य लोग इस प्रश्न को संबंधित पक्षों के मध्य स्वतंत्र सामूहिक सौदाकारी पर छोड़ना चाहते हैं। माननीय सदस्य जानते हैं कि विभिन्न मजूरी बोर्डों की सिफारिशों के आधार पर कई महत्वपूर्ण उद्योगों ने अपने यहां मजूरी का पुनरीक्षण किया है। ये मजूरी बोर्ड गैर-सांविधिक होते हैं और उनकी सिफारिशें को केवल समझा-बुझा कर ही लागू किया जा सकता है। श्रम संबंधी राष्ट्रीय आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार गैर-सांविधिक मजूरी बोर्ड का स्वरूप वही रखा जा रहा है परन्तु उनकी सिफारिशों को कानून द्वारा लागू करने की व्यवस्था की जा रही है। सरकार मालिकों और श्रमिकों के मध्य ऐसे प्रश्न सामूहिक सौदाकारी द्वारा निबटाने के प्रयासों का स्वागत करेगी। जहां तक बोनस का प्रश्न है इस मामले के साथ साथ कर्मचारियों के लिये मजूरी और सेवानिवृत्ति सम्बन्धी सुविधाएं भी सम्मिलित हैं। इसलिए वर्तमान बोनस कानून के पुनरीक्षण का समस्त प्रश्न एक समिति को सौंप दिया गया है और उपदान सम्बन्धीं विधेयक संसद के सामने पेश कर दिया गया है। माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि बोनस आयोग की सिफारिशों को आगामी पूजा अथवा दीपावली की छुट्टियों से पहले ही पेश किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में हम भरसक प्रयास करेंगे और सम्बद्ध समिति से अनुरोध करेंगे कि जहां तक न्यूनतम बोनस का सम्बन्ध हैं वे इस सम्बन्ध में कम से कम अन्तरिम सिफारिशें प्रस्तुत करें जिसके आधार पर सरकार आगे कार्यवाही कर सके।

बेरोजगारी और अल्प रोजगारी की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में सदस्यों ने काफी चिन्ता व्यक्त की है। सरकार को भी इस समस्या की चिंता है। इन परिस्थितियों में हम इस समस्या का यथासम्भव समाधान करने हेतु विकास की समूची नीति को समायोजित कर रहे हैं। अधिक रोजगार की सम्भावना वाली योजनाओं को उच्चतम प्राथमिकता दी गई है। कई विशेष योजनाओं पर कार्य आरम्भ किया जा रहा है इनमें सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम और ग्रामीण रोजगार सम्बन्धी द्रुत योजनाएं भी सम्मिलित हैं। इंजीनियरों और तकनीशियनों को मिलाकर शिक्षित वर्ग के लिए रोजगार के अवसर बनाने हेतु 25 करोड़ रुपये की एक योजना तैयार की गई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न रोजगारों की योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। वर्ष 1972-73 में आरम्भ की जाने वाली योजनाओं से लगभग 3.5 लाख शिक्षित बेरोजगारों को लाभ पहुंचने की सम्भावना है।

बेरोजगारी सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति ने अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में सुझाव दिया है कि इन विशेष कार्यक्रमों के अतिरिक्त कुछ श्रम प्रधान कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। समिति ने अनुमान लगाया है कि इस कार्यक्रम से आगामी 2 वर्षों में 40 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिल जायेगा। इन सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि समिति का अन्तिम प्रतिवेदन वर्ष के अन्त तक आ जायेगा।

असंगठित श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों की दशा के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। केन्द्रीय सरकार और कुछ राज्य सरकारों ने नैमित्तिक श्रमिकों के हितों की रक्षा करने हेतु प्रयास किए हैं। केन्द्रीय सरकार ने भी राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों द्वारा नियुक्त किए जाने वाले नैमित्तिक श्रमिकों की सुरक्षा के प्रश्न पर विचार किया है।

निर्माण उद्योग में कार्य करने वाले श्रमिकों के सम्बन्ध में श्रम कानून, न्यूनतम मजूरी, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम पहले से ही लागू हैं। संविदा श्रम अधिनियम के पूरी तरह लागू होने से इनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था हो जायेगी इसके अतिरिक्त सरकार भवन तथा निर्माण उद्योग में नियुक्त श्रमिकों की सुरक्षा की व्यवस्था करने हेतु एक नया कानून बनाने का विचार कर रही है। हम निर्माण श्रमिकों की मजूरी की वर्तमान दरों का पुनरीक्षण करने का भी विचार कर रहे हैं।

1971 के अन्त तक नियोजकों की ओर कर्मचारी भविष्य निधि की 18 करोड़ रुपये, और कोयला खान भविष्य निधि की 7 करोड़ रुपये की देय राशि बकाया है। इस सम्बन्ध में नियोजकों ने जो गड़बड़ी की है इसकी गम्भीरता को कम करने का सरकार का कोई विचार नहीं है यद्यपि यह राशि बहुत कम है। इस बकाया राशि के इकट्ठा हो जाने के प्रश्न पर भी गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता है। यह खराबी अंशतः उन नियोजकों ने भी की है जो इस राशि का भुगतान कर सकते हैं किन्तु मुख्यतः संकट ग्रस्त औद्योगिक कारखानों विशेषकर सूती कपड़ा उद्योग में भी यह गड़बड़ी व्याप्त है। इस उद्योग पर कर्मचारी भविष्य निधि का 12 करोड़ से अधिक रुपया बकाया पड़ा हैं। सरकार द्वारा नियंत्रणाधीन प्रतिष्ठानों पर भी 6 करोड़ रुपये से अधिक बकाया राशि पड़ी है। यदि अधिकृत नियंत्रकों को इन अंशदानों का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जाए तो उनके संसाधनों पर इसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा और कुछ प्रतिष्ठानों को बन्द करना पड़ेगा जिससे बेरोजगारी की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जायेगी। फिर भी इस कानून में कई उपबन्धों की व्यवस्था की गई है कि भुगतान न करने वाले नियोजकों पर मुकदमा चलाया जा सकता है और बकाया राशि को, वसूली कार्यवाही के द्वारा वसूल किया जा सकता है। विलम्ब से भुगतान करने पर क्षति पूर्ति करने का भी हमने उपबंध कर लिया है और उपयुक्त मामलों में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 के अन्तर्गत मुकदमें भी चलाये हैं। लेकिन न्यायालयों ने इन चूकों के प्रति बहुत नरमी बरती है और अर्थ-दण्ड के रूप में कम सजा निर्धारित की है। इस सम्बन्ध में मैं विधि मंत्री महोदय का ध्यान इस मामले की गम्भीरता की ओर दिलाऊंगा कि न्यायपालिका को इस प्रकार के अपराधों पर उचित ध्यान देना चाहिये। सरकार इस बात से सहमत है कि ऐसे मामलों में कड़ी सजा की आवश्यकता है और जान-बूझकर अशंदान का भुगतान न करने के मामले में कैद की सजा अनिवार्य करने का विचार है। उपबन्धों को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए अधिनियम में अन्य संशोधन भी किये गये हैं। सरकार का विचार संसद के आगामी सत्र में इस बारे में एक संशोधन विधेयक लाने का है।

गत वर्ष भारत की जनता के लिए पुनरुत्थान का वर्ष था। यह वर्ष उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि स्वतंत्रता प्राप्ति का वर्ष था। इस वर्ष हम बहुत गम्भीर संकटों से गुजरे हैं और हमारे भीतर एक नया आत्म विश्वास पैदा हो गया है। जहां गत वर्ष की घटनाएं हमारे लिए निर्णायक सिद्ध हुई हैं और हमें सफलता मिली है वहां हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। आत्मनिर्भरता प्राप्त करने संबंधी प्रधान मंत्री के आह्वान का अर्थ उससे कहीं अधिक गहरा है जितना कि स्पष्ट प्रतीत होता है। हमारे समस्त कार्यकलापों में यदि आत्मनिर्भरता के सक्रिय दर्शन होते हैं तो हमारा सर्व-प्रथम प्रयास राष्ट्र को एक सुदृढ़ आर्थिक आधार देना होना चाहिये। इससे श्रम और उद्योग के

क्षेत्र में हम जो कुछ करते हैं उसका महत्व बढ़ जाता है। क्योंकि इस प्रकार उद्योग में शांति की सीमित संकल्पना हो जाती है। उद्योगों के नेताओं और श्रमिकों को यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि उनके कार्य पर ही समूचे भारत तथा इस समूचे क्षेत्र का भविष्य निर्भर करता है। समय की गति से तनाव पैदा करने और संघर्ष बनाये रखने की पुरानी आदतें अब निष्प्रभावी हो गई हैं। इसलिए उत्पादन की गति में तेजी लाई जानी चाहिए और श्रमिकों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए जिससे वे यह अनुभव न करें कि वे उत्पादन की प्रक्रिया से बाहर हैं। अपितु वे ऐसा अनुभव करें कि वे उत्पादन की प्रक्रिया का एक अंग हैं और उसमें भागीदार हैं। प्रबन्धकों और श्रमिकों में उद्देश्य की पूरी एकता होनी चाहिए। इससे उत्पादन के दोनों हिस्सेदारों में निश्चित रूप से सहयोग बढ़ेगा।

यह बात निश्चित है कि परिलब्धियों और सेवा की शर्तों तथा अन्य सम्बद्ध मामलों के प्रश्नों पर कुछ आपसी मतभेद होंगे। किन्तु उद्योग के दोनों पक्षों के बीच वे अधिकाधिक सहयोग के साथ निश्चय ही एक साथ बैठकर स्वयं मामले निपटा सकते हैं। यदि औद्योगिक सम्बन्धों के वातावरण में राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करना है तो कार्मिक संघ अभियान को अपने विभिन्न वर्गों के बीच सभी मतभेदों को तुरन्त दूर करना चाहिए। उद्देश्य और लक्ष्य की एकता से अपने आपको शक्तिशाली बनाना चाहिए। यह एक सुसंकेत है कि प्रमुख कार्मिक संघों ने एक दूसरे के निकट आने का निर्णय कर लिया है। एकता की ओर उठाए गए इस कदम का सरकार स्वागत करती है और मैं बताना चाहता हूं कि इसे प्रोत्साहन देने और इस पर कार्य करने में सरकार हर सम्भव प्रयास करेगी। एकता के आह्वान पर सरकार, नियोजकों और कर्मचारी उन तीनों वर्गों को अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एक हो जाना चाहिए।

जहां तक सरकार का सम्बन्ध है श्रम नीति के स्पष्ट मुख्य उद्देश्य ये हैं कि सशक्त और स्वस्थ कार्मिक संघ अभियान का निर्माण करना, सामूहिक समझौते को प्रोत्साहन देना और कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार करना है जिससे कि स्थायी औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित हो सकें और यह सुनिश्चित हो सके कि औद्योगिक उत्पादन तथा उत्पादिता में वृद्धि हो और कर्मचारियों को लाभ का उचित भाग मिले। कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा का और प्रबन्धकों की मनमानी कार्यवाही के विरुद्ध सुरक्षा का भी आश्वासन दिया जाना चाहिये। आर्थिक विकास के लाभों में उन्हें बराबर का भागीदार बनाया जाना चाहिए। यह सरकार की नीति का ही एक पहलू है। इस तरह की महत्वपूर्ण दूसरी बात यह है कि कर्मचारियों और कार्मिक संघ के कार्यकर्त्ताओं को चाहिए कि वे औद्योगिक और आर्थिक तंत्र में कार्यकुशलता लाने के लिये तथा अधिकाधिक उत्पादन करने के लिये अपनी जिम्मेदारी समझें। यह तभी सम्भव है जब इन दोनों का पारिस्परिक समन्वय हो, तभी हम आर्थिक और सामाजिक मोर्चे में उन्नति करने की तथा एक सशक्त, स्थायी और न्यायोचित समाज की नींव डालने की आशा कर सकते हैं।

कुछ सदस्यों ने आन्ध्र बैंक में हड़ताल का उल्लेख किया है। वहां हड़ताल को 50 दिन से अधिक हो गये हैं। मैं स्थिति से पूरी तरह से अवगत हूं। परन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि यह वस्तुतः कार्मिक संघ का विवाद नहीं है। इस हड़ताल में यह प्रश्न उठा है कि जो कर्मचारी इस पचांट के अन्तर्गत आते हैं और जो कर्मचारी औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं क्या उन्हें अधिकारी संवर्ग का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जाए। कर्मचारियों के हड़ताल करने पर केवल मात्र अंकुश लगाने से इस मामले के बारे में निर्णय नहीं किया जा सकता है। इस मामले में

अनेकों कठिनाइयां हैं। इस मामले पर विधि मंत्री से परामर्श करने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें संवैधानिक तथा अन्य कई मामले ग्रस्त हैं। अब हड़ताल के लगभग दो महीने पश्चात् ऐसा प्रतीत होता है कि समझौते की कुछ सम्भावना है और कुछ ही दिनों में कोई न कोई हल अवश्य निकल ही आयेगा। मुझे आशा है कि इस मामले में प्रबन्धक भी उचित रुख अपनायेंगे और कर्मचारी तथा प्रबन्धक आपस में समझौता कर लेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : सामान्य बीमा के कर्मचारी भी इससे प्रभावित हैं। इन के बारे में क्या किया जा रहा है।

श्री आर० के० खाडिलकर : सामान्य बीमा के कर्मचारी बम्बई में कठिन स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। कार्यालय के खुलने के समय से कार्यालय बन्द होने तक वहां पर लगातार भजन होते रहते हैं ··· (**व्यवधान**)। परन्तु जब तक ऐसे तरीके अपनाये जाते रहेंगे और ऐसे आंदोलन जारी रहेंगे तब तक कोई परिणाम नहीं निकल पायेगा।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : सामान्य बीमा के कर्मचारी एक नये प्रकार का धरना दे रहे हैं। क्या इन कर्मचारियों ने ऐसा राष्ट्रीयकरण से पूर्व भी किया था या ये राष्ट्रीयकरण के पश्चात् ही ऐसा कर रहे हैं।

श्री आर० के० खाडिलकर : यह एक संक्रमण काल है। सरकार अभी तक सब कम्पनियों तथा उनकी सेवा शर्तों का एकीकरण नहीं कर सकी है। इस सम्बन्ध में एक समिति गठित की गई है। इस संक्रमण काल में जब तक समूचा एकीकरण पूरा नहीं हो जाता तक तक उन्हें ऐसे आन्दोलन नहीं करने चाहिए।

शरणार्थी समस्या और रोजगार कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार का भी उल्लेख किया गया है। जहां तक रोजगार कार्यालयों में भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है एक नवम्बर 1956 से रोजगार कार्यालय राज्य सरकारों के प्रशासन के अधीन कार्य कर रहे हैं। इसलिए रोजगार कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतों का निपटारा राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। इस बारे में केन्द्रीय सरकार के पास यदि कोई शिकायतें आती हैं तो वे तुरन्त सम्बन्धित राज्य सरकारों को भेज दी जाती हैं।

सूचित किए गये रिक्त स्थानों के लिए रोजगार कार्यालयों द्वारा व्यक्तियों के नामों की सिफारिश के औचित्य और निष्पक्षता के सम्बन्ध में जनता के मन में विश्वास पैदा करने के बारे में कुछ कदम उठाए गए हैं।

प्रत्येक कार्यालय में एक विशेष समिति गठित की गई है, जिसमें सरकारी, गैर सरकारी नियोजकों और कर्मचारियों का एक एक प्रतिनिधि लिया जाता है। इस रोजगार कार्यालय का रोजगार अधिकारी इस विशेष समिति का संयोजक सदस्य होता है। इस विशेष समिति की प्रतिमास बैठक होती है और यह उस रोजगार कार्यालय द्वारा नामों की सिफारिशों के बारे में यह जांच करती है कि क्या ये सिफारिशें उचित और निष्पक्ष रूप से हुई हैं।

जैसा कि मैंने पहले कहा है कि जहां तक केन्द्रीय औद्योगिक व्यवस्था का सम्बन्ध है,

हम स्थिति को ठीक कर रहे हैं और हमारे क्षेत्रीय अधिकारी हमें रिपोर्ट भेजते रहते हैं क्योंकि यह कार्य राज्य सरकारों का है इसलिए इसमें हम सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं और न ही हमें ऐसा करने का कोई अधिकार है । हमारे अधिकारियों को मुकदमा चलाने का भी कोई अधिकार नहीं है ।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : University employees, Hospital employees, and Medical representatives are demanding that they should be treated as workmen and all the facilities being enjoyed by workmen should be given to them. Committee on Petitions of Rajya Sabha is stated to have recommended this fact. What this Government is doing in this regard ?

श्री आर० के० खाडिलकर : मैंने पहले ही बता दिया है कि हमारा विचार शीघ्र ही औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने का है । इस संशोधन में अस्पताल कर्मचारियों, शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों, मेडिकल प्रतिनिधियों तथा अन्य कर्मचारियों की सुविधाओं का भी उपबन्ध किया जायेगा ।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : What is the difficulty of the Government to recognise B. M. S.

श्री आर० के० खाडिलकर : जहां तक भारतीय मजदूर संघ को मान्यता देने के प्रश्न का सम्बन्ध है, यह किसी निश्चित स्तर पर जांच करने के पश्चात् ही मान्यता दी जाती है । जब आगामी जांच होगी और यदि भारतीय मजदूर संघ अखिल भारतीय स्तर पर मान्यता पाने की योग्यता रखता होगा, तो इस संघ को निश्चित ही मान्यता दी जायेगी ।

जहां तक पटसन उद्योग के कर्मचारियों की हड़ताल का सम्बन्ध हैं, इस बारे में बातचीत जारी है और आशा है कि हड़ताल करने के निर्धारित दिन से पूर्व ही कोई समझौता हो जायेगा ।

बंगला देश में शरणार्थियों के पुनर्वास का उल्लेख किया गया है । हम इस बारे में सचेत हैं । हाल ही में बंगला देश के पुनर्वास मंत्री श्री कमरूजमां यहां आये थे । हमने अनेक समस्याओं, विशेषकर स्वदेश वापस गये शरणार्थियों को बसाने के बारे में समस्याओं पर विचार किया था । इस सम्बन्ध में बंगला देश सरकार हर सम्भव कार्य कर रही है । बंगला देश सरकार को शरण-सामग्री, परिवहन और अन्य प्रकार की सहायता की आवश्यकता है । हम उन्हें पर्याप्त सहायता दे रहे हैं जिस से वहां शरणार्थी शीघ्र ही बसाए जा सकें ।

शरणार्थियों को बसाने के बारे में कुछ अन्य समस्याएं अथवा मामले हमारे सामने हैं । इनके सम्बंध में एक पुनरीक्षण समिति है जिसे समाप्त किया जाना है । किन्तु हम इस समिति को वर्ष के अन्त तक जारी रखेंगे, ताकि सभी विचाराधीन मामलों का शीघ्रता से निपटारा किया जा सके ।

पहली बार इस देश में कर्मचारी वर्ग, कार्मिक संघ के नेता और सरकार भी, स्थिति के वर्तमान सन्दर्भ में अपनी अपनी भूमिका को समझने लगे हैं । यदि वर्तमान प्रक्रिया के फलस्वरूप वे पारस्परिक मत भेदों को भुला कर एक साथ इकट्ठे हो जायें और किसी प्रकार का एक राष्ट्रीय संयुक्त मंच बना लें, तो इससे न केवल वे वर्तमान चुनौती का सामना कर पायेंगे, अपितु वे इस देश की घटनाओं को भी कुछ सीमा तक प्रभावित कर सकेंगे । जबकि हम इस संक्रमण स्थिति में से गुजर रहे हैं, तो उन्हें यह गर्व होना चाहिए कि हम इस महान अभियान में उनके भागीदार हैं और इस देश के समाजवादी आधार के निर्माता हैं ।

सभापति महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The cut motions were put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा श्रम और पुनर्वास मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं।

The following demands in respect of the Ministry of Labour and Rehabilitation were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
		रुपये
61	श्रम और नियोजन विभाग	1,37,61,000
62	श्रम और नियोजन	18,62,17,000
63	पुनर्वास विभाग	7,17,41,000
124	श्रम और पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	6,65,87,000

इस्पात और खान मंत्रालय

सभापति महोदय : जो माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं, वे 15 मिनट में अपने कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या सभा पटल पर भेज दें। उन्हें प्रस्तुत माना जायेगा।

वर्ष 1972-73 के लिये इस्पात और खान मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
1	2	3
		रुपये
75	इस्पात विभाग	95,63,000
76	खान विभाग	14,92,63,000
77	भूगर्भ सर्वेक्षण	14,04,14,000
129	इस्पात और खान मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	55,85,20,000

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : देश के भीतर सरकारी उपक्रमों में अत्यन्त पूंजी निवेश किया हुआ है और इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए और अधिक समय दिया जाना चाहिए। सरकारी

उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के भारी पूंजी व्यय के बारे में कुछ विशिष्ट बातें बताई हैं कि इस कारखाने में संयंत्रों पर भारी पूंजी व्यय होने के कारण ही इस्पात की लागत में वृद्धि हुई है और सभी क्षेत्रों में लागत में वृद्धि के लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ही जिम्मेदार है। तीनों कारखानों के लिए निवेश के मूल अनुमान का तीन बार पुनरीक्षण किया गया है और अन्ततोगत्वा यह राशि कल्पनातीत है। लागत के अनुमान का तीन बार पुनरीक्षण करने के बाद 31 मार्च, 1970 को वास्तविक लागत भिलाई में 199.86 करोड़ रुपये थी, दुर्गापुर में 195.18 करोड़ रुपये और राउरकेला में 213.69 करोड़ रुपये थी। यही रुख संयंत्रों की विकास योजनाओं के बारे में है। भिलाई कारखाने में प्रस्थापित क्षमता को 10 लाख मीटरी टन से बढ़ाकर 25 लाख मीटरी टन करने में मूल अनुमान 104.60 करोड़ रुपये का था परन्तु 31-3-1970 तक वास्तविक लागत 151.21 करोड़ रुपये थी। राउरकेला में भी उत्पादन लक्ष्य को 10 लाख मीटरी टन से बढ़ाकर 18 लाख मीटरी टन करने के लिए मूल अनुमान 77.65 करोड़ रुपये का था परन्तु 31-3-1970 तक वास्तविक लागत 154.59 करोड़ रुपये थी।

[श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे पीठासीन हुए
Shri Narender Kumar Salve in the Chiar]

परन्तु अतीत की इस अवहेलना और अकुशलता की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए जिसके कारण इस्पात की लागत में वृद्धि होने से वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई है जिससे देश के उद्योगों की प्रगति रुक सी गई है।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है कि निर्माण कार्य में और संयंत्रों को चालू करने में 3 वर्ष से 4 वर्ष तक का विलम्ब हुआ है। ऐसे भी मामले हैं जिनमें प्रभावी नियंत्रण की कमी के कारण सार्वजनिक राजस्व में अत्यधिक हानि हुई है। इस सम्बन्ध में विशेष पुनरीक्षण की आवश्यकता है। निर्माणाधीन बोकारो इस्पात कारखाने तथा सलेम, विजयनगरम, और विशाखापत्तनम में सरकारी क्षेत्र में चालू किए जाने वाले तीन नये इस्पात कारखानों पर प्रभावी नियंत्रण किया जाना चाहिए। सरकारी उपक्रमणों सम्बन्धी समिति ने अपने 40वें प्रतिवेदन में सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने बोकारो इस्पात कारखाने के लिए अत्यधिक प्राक्कलन बनाने में उदारता बरती है। बोकारो इस्पात कारखाने के पुनरीक्षित प्राक्कलन, जो सरकार के पास अक्तूबर 1970 में भेजे गये थे अभी तक स्वीकृत नहीं हुए हैं और रूस के साथ किया गया ठेका कुछ महत्वपूर्ण बातों में त्रुटिपूर्ण है।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को भारी हानि हो रही है। यह हानि इस्पात मंत्रालय द्वारा गलत नीति अपनाने, सर्वोच्च पदों पर अयोग्य व्यक्तियों के चयन, अक्षम्य लापरवाही, अत्यधिक अकुशलता आदि के कारण हुई है। परन्तु इस्पात मंत्रालय कर्मचारियों को दोषी ठहरा कर अपने दोषों को छुपाने का प्रयास कर रहा है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में 8 घण्टे तक कार्य बन्द रहने के कारण 1967-68 में 7.10 करोड़ रुपये की, 1968-69 में 9.17 करोड़ रुपये की और 1969-70 में 9.89 करोड़ रुपये की हानि हुई थी। जब कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने के कर्मचारियों ने इस्पात मंत्रालय का ध्यान इस ओर बार बार दिलाया है कि उत्पादन में सुधार करने के लिए और नियमित रख रखाव के कार्यों को सुनिश्चित करने हेतु कार्यवाही की जानी चाहिये। परन्तु उनकी बात किसी ने नहीं सुनी है। कर्मचारियों ने प्रकाशित

पुस्तिकाओं में भी बताया है कि भारत सरकार द्वारा गठित पांडे समिति की सिफारिशों की पूर्णरूपेण उपेक्षा की गई है। इस बारे में इस्पात मंत्रालय के पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि इस समिति की सिफारिशों का क्या हुआ और उन पर क्या कार्यवाही की गई है। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने वर्ष 1971-72 के अपने प्रतिवेदन में भी उन्हीं त्रुटिपूर्ण बातों को दोहराया है जो पांडे समिति द्वारा प्रकाश में लाई गई थीं। अतः उचित स्थानों पर उपयुक्त लोगों को नियुक्त करने में अपनी अक्षमता के कारण तथा उचित समय में संयंत्र का उचित रख-रखाव न करने के कारण इस्पात मंत्रालय को ही क्यों न पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराया जाए ?

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में कार्य की जहां इतनी असंतोषजनक स्थिति है वहां कर्मचारियों के क्वार्टरों की स्थिति भी बहुत चिन्ताजनक है। इन क्वार्टरों में लोगों को जीवन की सामान्य और न्यूनतम सुरक्षा की कोई गारन्टी नहीं है। वहां पुलिस और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के संरक्षण में गुंडे इधर उधर घूमते फिरते हैं। कार्मिक संघ के एक प्रसिद्ध नेता श्री सुनील आचार्य की हत्या की गई है और आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम संधारण के अन्तर्गत अनेक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लोहा और इस्पात नियंत्रक के कार्यालय के कार्य की निगरानी की जानी चाहिये। इस्पात के कोटे के नियतन में कुछ आधारभूत गलती है और इसी कारण बिना अस्तित्व की कम्पनियों को इस्पात का कोटा दे दिया जाता है जबकि जो कम्पनियां महत्वपूर्ण सामग्री का उत्पादन कर रही हैं उन्हें कोटा नहीं मिल पाता है। इसके अतिरिक्त कोटा सिफारिशों के आधार पर भी दिया जाता है। मेरा यही कहना है कि इस ओर उचित ध्यान दिया जाना चाहिये।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के उत्पाद विशेषतया नेफ्था तथा कोक के उत्पाद भी अनेक रासायनिक उत्पादों के लिये आधारभूत सामग्री है। इनकी देश में काफी मांग है और ये बाजार में प्रीमियम पर बिकते हैं। इन उत्पादों के वितरण और आवंटन के लिये जो पद्धति अपनाई गई है वह सही नहीं है और इसकी जांच की जानी आवश्यक है।

जो अयस्क सरकारी खानों से निकलते हैं उनकी लागत में वृद्धि हो रही है। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने कम उत्पादन के बारे में तथा बहुत अधिक लागत के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने कुछ ऐसी अयस्क खानों के उपयोग के लिए स्वीकृति दे दी है जो आर्थिक रूप में महत्वपूर्ण नहीं हैं जबकि बहुत अच्छी किस्म की अयस्क की खानों के अयस्कों को जापान तथा अन्य देशों में निर्यात के लिए सुरक्षित रखा गया है। यही उचित समय है कि जब इस पहलू पर गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिये और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए तथा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की खान परियोजना की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए समुचित उपाय किए जाने चाहिये।

मजूरी बोर्ड ने जो सिफारिशें की थीं, उन्हें राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने पूर्णतया क्रियान्वित नहीं किया है। इस निर्णय को कि दोषी खान मालिकों को सरकार से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलेगी, व्यावहारिक रूप नहीं दिया गया है। कोककर कोयला खानों के सभी कार्यालय कलकत्ता में हैं। कोककर कोयला खानों को अपने हाथ में लेने के बाद इन खानों में काम करने वाले लिपिक वर्ग को, जो कलकत्ता में कार्यरत हैं, धनबाद में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है जिससे उनके लिए कठिनाई पैदा हो गई है। यद्यपि सरकार ने कोककर कोयला खानों को अपने हाथ में ले लिया है किन्तु उन्होंने समूचे रूप में कोयला खानों को अपने हाथ में नहीं लिया है। सरकार को इन सभी कोयला खानों को शीघ्र ही अपने हाथ में लेना चाहिए।

कोयला खानों में औद्योगिक सम्बन्धों के मामले में अराजकतापूर्ण कानून लागू है। खानों में कई घटनाएं हुई हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जो अधिकारी खानों का चक्कर लगाने जाते हैं और यह सुनिश्चित करने जाते हैं कि क्या खान मालिक सभी प्रकार की सुरक्षा प्रणालियों तथा तरीकों को अपनाये हुये हैं, वे अपना कर्त्तव्य नहीं निभाते हैं। अतः कई मूल्यवान जानें प्रायः चली जाती हैं। गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा चलाये जा रहे इस्पात उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने औद्योगिक सम्बन्धों के विषय में एक युक्तियुक्त नीति बनाये जाने की सिफारिश की है। इस नीति को अपनाया जाना चाहिये। इस समय कोई समुचित पदोन्नति नीति नहीं है। इसी कारण सरकारी उपक्रमों में अधिकतर विवाद और झगड़े पदोन्नति नीति के कारण होते हैं।

इन सरकारी उपक्रमों में अकुशल कामों के लिए स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। सरकारी उपक्रमों में प्रोत्साहन देने सम्बन्धी पद्धति लागू की जानी चाहिये। जो कर्मचारी सरकारी उपक्रमों में लगे हुये हैं और टाउनशिप के क्वार्टरों में रह रहे हैं, उन्हें पूर्ण नागरिकता के अधिकार दिये जाने चाहिये। कुछ स्थानों में टाउनशिप में रहने वाले कर्मचारियों के सम्बन्धियों को कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहने की अनुमति नहीं दी जाती है। इस बारे में मैं उदाहरण दे सकता हूं। सरकार को इस संबंध में तत्काल कोई कार्यवाही करनी चाहिये।

श्री स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : 27 अप्रैल को इस्पात और खान मन्त्री के वक्तव्य के बाद......

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Sir, there is no quorum in the house.

सभापति महोदय : घंटी बजा दी जाये। अब कोरम हो गया है।

श्री स्वर्ण सिंह सोखी : सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र में हुई दुर्घटना के बारे में इस्पात और खान मन्त्री द्वारा दिया गया वक्तव्य तथ्यों पर आधारित नहीं था। सच बात यह है कि जब वायलर को वार्षिक निरीक्षण तथा मरम्मत के लिए एक महीने तक बंद रखने के बाद पुनः चालू किया गया था, तो संयंत्र के प्रभारी अधिकारियों में से एक भी अधिकारी ने एसिड सरकुलेशन पम्प की अन्दर से जांच नहीं की थी तथा सल्फ्यूरिक एसिड टैंक काम नहीं कर रहा था और वह 5 से 6 घंटे तक खराब पड़ा रहा था तथा जहरीली गैस सल्फ्यूरिक एसिड गैस के अवशोषण टावर से गुजरती रही थी। अतः यह दुर्घटना केवल संयंत्र के अधिकारियों की लापरवाहियों के कारण हुई है।

इस दुर्घटना के 48 घंटे के अन्दर ही धमन भट्ठी के स्थान पर एक अन्य दुर्घटना हुई थी, जहांकि कोक ओवन गैस बलीडर ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा था तथा इसी करण के 48 व्यक्तियों को जो गैस बलीडर के पास से गुजरे थे, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। इस संयंत्र में चोरी के कारण लगभग एक लाख रुपये का नुकसान हुआ है। कारखाना क्षेत्र के चारों ओर तथा दीवार के साथ साथ झोपड़ियां बनी हुई हैं। इन्हें तुरन्त हटाया जाना चाहिए और किसी अनधिकृत कब्जे की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

उड़ीसा सरकार ने अभी तक भूमि का स्वामित्व हिन्दुस्तान स्टील के नाम में हस्तांतरित नहीं किया है। 17 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई

है। इससे पता चलता है कि इस्पात मन्त्रालय तथा इस्पात संयंत्र प्रबन्ध कितनी कुशलता से कार्य कर रहे हैं। सरकार को भूमि दस्तावेज प्राप्त करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए ताकि नगर प्रशासन नगर आयोजना का कार्य कर सके।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का महाप्रबन्धक सर्वथा विफल रहा है। वहां हड़तालें होती रहती हैं। महाप्रबन्धक को या तो शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिये या अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए। इस संयंत्र में घाटा होने के अन्य कारण यहां से अधिक माल डिब्बों का लदान है। दुर्गापुर संयंत्र के विस्तार की बात तब ही करनी चाहिये जब यह सुनिश्चित हो जाये कि यह पूरी क्षमता से काम करने लगेगा।

हैवी इल्कट्रिकल्स लिमिटेड में समूची चुकता पूंजी समाप्त हो गई है तथा ऐसी सम्भावना है कि आगामी दो वर्षों में हैवी इंजीनियरिंग निगम की चुकता पूंजी भी समाप्त हो जायेगी। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने इस सम्बन्ध में जो टिप्पणियां दी हैं, उन पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये।

भारी इंजीनियरिंग निगम रांची पर आरोप लगाये गये हैं कि उसने समय पर उपकरण नहीं दिये हैं। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने यह भी कहा है कि बोकारो इस्पात संयंत्र के निर्माण में विलम्ब होने की आंशिक जिम्मेदारी संगठन की विफलताओं पर भी है। लागत में बृद्धि संयंत्र के निर्माण में विलम्ब होने के कारण ही हुई है। इस संबंध में कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिये।

बिहार सरकार ने यह प्रस्ताव किया है कि भारतीय तांबा निगम को, जिसे हाल में केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, बिहार सरकार को सौंपा जाना चाहिये ताकि वह 51 प्रतिशत शेयर प्राप्त करके इसे लोक हित में संयुक्त क्षेत्र में चला सके। इस प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिये। कुछ अंशधारियों ने इस उद्योग में लगभग 55 लाख रुपयों का निवेश कर रखा है। उनकी इस धनराशि को बेकार नहीं जाने देना चाहिये।

इस्पात और खान मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
75	11.	श्री डी० के० पण्डा	इस्पात कारखानों में श्रमिकों और प्रबन्धकों की संयुक्त नियंत्रण प्रणाली लागू करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
75	12.	श्री डी० के० पण्डा	देश में इस्पात उद्योगों में सामान्यतया तथा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में विशेष रूप से प्रबन्ध में अफसरशाही के प्रभुत्व को दूर करने में असफलता।	

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
75	13.	श्री डी० के० पण्डा	राउरकेला इस्पात कारखाने के उर्वरक कारखाने में श्री आर० के० खाडिलकर के बोनस सम्बन्धी सूत्र को क्रियान्वित करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
75	14.	श्री डी० के० पण्डा	भिलाई इस्पात कारखाने में ठेकेदारों को 50 रुपये में रद्दी लोहा बेचना बन्द करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
75	15.	श्री डी० के० पण्डा	बर्नपुर स्थित इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का तुरन्त राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता।	,,
75	16.	श्री डी० के० पण्डा	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में नयागढ़-बनोई में एक दूसरा इस्पात कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता।	,,
75	17.	श्री डी० के० पण्डा	राउरकेला इस्पात कारखाने से छटनी किये गये 526 सुरक्षा कर्मचारियों को मंत्रालय द्वारा दिये गये वचन के अनुसार एक महीने के अन्तर्गत पुनः नौकरी पर लगाने की आवश्यकता।	,,
76	18.	श्री डी० के० पण्डा	आदिम जाति क्षेत्रों तथा खानों के विकास के बारे में आदिम जाति विकास कार्यक्रम, 1968 सम्बन्धी अध्ययन दल की सिफारिशों को जो दल के प्रतिवेदन में पृष्ठ 72 में दी गई हैं, क्रियान्वित करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये।

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
76	19.	श्री डी० के० पंडा	उड़ीसा में मयूरभंज, क्योंझर, कोरापुट, सुन्दरगढ़ जैसे आदिम जाति क्षेत्रों में विशेष रूप से खनिजों पर आधारित उद्योग स्थापित करने में असफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
76	20.	श्री डी० के० पंडा	उड़ीसा में मयूरभंज जिले में उस क्षेत्र के आदिवासियों को रोजगार दिलाने के लिए गोमाहिसारी में बन्द पड़ी खानों को चलाने में असफलता	"
76	21.	श्री डी० के० पंडा	उड़ीसा में खान क्षेत्रों में कोयला खान श्रमिकों के लिए मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में असफलता।	"
76	22.	श्री डी० के० पंडा	आस्काभारजानगर रेलवे के द्वारा क्योंझर, पारादीप, फुबावरीन जिला को मिलाकर और इन क्षेत्रों का समन्वय करके उड़ीसा के सुदूर आदिमजाति क्षेत्रों में खनिज उद्योग स्थापित करने में असफलता।	"
76	23.	श्री डी० के० पंडा	मयूरभंज तथा उड़ीसा की अन्य खानों में हजारों आदिवासी खान मजदूरों को, जो रेल डिब्बों की कमी के कारण बेरोजगार हो गये हैं, रोजगार दिलाने के लिये बन्द पड़ी मिलों को चलाने में असफलता।	"

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
76	24.	श्री डी० के० पंडा	अपेक्षित संख्या में रेल डिब्बे प्राप्त कर उड़ीसा में बारबिल की कोयला और खनिज लोहे की खानों और अन्य खानों में जमा हुए कोयले और खनिज लोहे को उठाने का प्रबन्ध करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं
76	25.	श्री डी० के० पंडा	उड़ीसा का एक वर्ष के अन्तर्गत भूगर्भीय सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता।	"
76	26.	श्री डी० के० पंडा	गैर-सरकारी क्षेत्र में स्वामित्व वाली तथा उसके नियंत्रित सभी शेष कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता।	"
76	27.	श्री डी० के० पंडा	स्थानीय खानों में श्रमिकों के रोजगार की ठेका प्रणाली को तुरन्त समाप्त करने की आवश्यकता।	"
75	28.	श्री दीनेन भट्टाचार्य	प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं के निष्पक्ष निर्धारण के आधार पर इस्पात का कोटा निर्धारित करने में विफलता।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाये
75	29.	श्री दीनेन भट्टाचार्य	दुर्गापुर मिश्रित-इस्पात संयंत्र में बड़े पैमाने पर होने वाली चोरी को रोकने की आवश्यकता	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्ताव का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
75	30.	श्री दीनेन भट्टाचार्य	उन नगरों में, जहां इस्पात के कारखाने हैं, श्रमिकों को लोकतांत्रिक अधिकार देने की आवश्यकता	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जायें।
75	31.	श्री दीनेन भट्टाचार्य	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के रख-रखाव के कार्य में तत्परता लाने की आवश्यकता।	"
75	32.	श्री दीनेन भट्टाचार्य	तीनों इस्पात संयंत्रों के कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए उचित नीति लागू करने की आवश्यकता।	"
75	33.	श्री दीनेन भट्टाचार्य	सभी इस्पात संयंत्रों में कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में उचित नीति लागू करने की आवश्यकता।	"
76	34.	श्री दीनेन भट्टाचार्य	कोककर कोयले से भिन्न कोयले की खानों का अर्जन करने में विफलता।	राशि घटाकर 1 रुपया कर दी जायें।
76	35.	श्री दीनेन भट्टाचार्य	रानीगंज और धनबाद क्षेत्र में बन्द पड़ी खानों को पुनः चालू करने की आवश्यकता।	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जायें
76	36.	श्री दीनेन भट्टाचार्य	कोककर कोयले की खानों के मुख्यालय को कलकत्ता से धनबाद ले जाने से रोकने में असफलता।	"
76	37.	श्री दीनेन भट्टाचार्य	कोयला मजूरी बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयों को पूरी तरह कार्यान्वित करने की आवश्यकता।	"

श्री पी० गंगादेव (अंगुल) : देश में औद्योगिक क्रांति को प्रोत्साहन देने के लिये यह आवश्यक है कि इस्पात उपलब्ध हो ताकि औद्योगिक क्षेत्र में क्षमता बेकार न पड़ी रहे ।

इस्पात का उत्पादन 1970 की तुलना में 1971 में कम हो गया था । इसी प्रकार बेचने लायक इस्पात के उत्पादन में भी कमी हुई है । इसका निर्यात भी पिछले 4-5 वर्षों में जितना था, उतना ही अब है ।

निस्संदेह रूप से इस्पात के उत्पादन में कमी का कारण इस्पात संयंत्रों की तकनीकी तथा अन्य कठिनाइयां हैं । इसका एक कारण श्रमिकों की समस्या भी है । पूर्वी भारत में विशेषकर पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो जाने से और वहां के इस्पात संयंत्रों के प्रबन्ध में केन्द्र द्वारा सुधार करने से ऐसी आशा की जाती है कि आगामी वर्षों में इन संयंत्रों में क्षमता का पूरा पूरा उपयोग किया जायेगा ।

हिन्दुस्तान स्टील को 223 करोड़ रुपये की संचित हानि हुई है, हैवी इंजीनियरिंग को 87.83 करोड़ रुपये की हानि हुई है । इसी प्रकार कई अन्य उपक्रमों को भी हानि हुई है । इतने उपक्रमों में से केवल तुंगभद्रा स्टील तथा हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंसट्रक्शन लिमिटेड को ही लाभ हुआ है ।

जिन उपक्रमों को घाटा हुआ है वह इतना अधिक है कि मंत्री महोदय को पुनः नये सिरे से इन उपक्रमों के प्रबन्ध का पुनर्विलोकन करना चाहिये ।

भारत में लौह अयस्क तथा कोयले के संसाधनों के होते हुए उसे कम से कम अपनी आवश्यकता के इस्पात का उत्पादन तो करना ही चाहिये । सरकार हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की स्थिति में सुधार कर सकती है तथा साथ ही साथ सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में अधिकाधिक इस्पात संयंत्र खोल सकती है ।

देश में उड़ीसा में लौह अयस्क सबसे अधिक मात्रा में होता है परन्तु वहां बिजली, उद्यमियों आदि को कमी है । राज्य तथा केन्द्रीय सरकार को राज्य में नये उद्योगों के लिये ये सुविधायें देने के लिये सहयोग देना चाहिये ।

सरकार ने इस सभा में उड़ीसा में नयागढ़ में इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिये कई बार आश्वासन दिये हैं, उसे उन आश्वासनों को पूरा करना चाहिये ।

श्री डी० के० पण्डा : सभापति महोदय, अन्य सदस्यों ने इस्पात का उल्लेख किया है किन्तु मैं सर्वप्रथम तांबे को लेना चाहता हूं । इस्पात और खान मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में 'तांबे' शीर्षक के अन्तर्गत लिखा है कि तांबे का उत्पादन कम होता जा रहा है । आश्चर्य यह है कि हमारे यहां तांबा खनिज की बहुलता है और उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास भी किये जा रहे हैं । फिर क्या कारण है कि इस दिशा में हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही है ? प्रतिवेदन से पता चलता है कि खेतरी तांबा परियोजना की अनुमानित लागत 24 करोड़ से बढ़ाकर 120 करोड़ रुपये कर दी गई है । इसका कारण है कि कुछ विचारणीय पहलुओं पर विचार नहीं किया जा रहा है । महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां खुदाई-कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । वहां एक अमरीकी परामर्शदात्री फर्म काम कर रही है । वह ठीक से कार्य नहीं कर रही है और अब उसे बिदा कर देना चाहिये । उस पर आने वाली लागत में वृद्धि के लिए जो पहलू जिम्मेदार हैं, उन पर विचार अवश्य

किया जाना चाहिए। पहली बात यह है कि उसकी पर्यवेक्षण-लागत (सुपरवाइजरी कोस्ट) में वृद्धि हुई है। दूसरे, ठेकेदारों को मूल अनुमान की दरों से दुगुनी दरों पर भुगतान किया जा रहा है। तीसरे अमरीकी परामर्शदात्री फर्म द्वारा प्रशिक्षित इंजिनियरों से काम नहीं लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ढांचे के डिजाइन का कार्य विभागीय इंजिनियरों द्वारा किया जाना चाहिए। तकनीकी जानकारी के विकास के लिए विभाग की अपनी योजना होनी चाहिए। अलौह धातुओं के बारे में वर्ष 1969 में नियुक्त किये गये अध्ययन दल के सुझावों को क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

27 अप्रैल, 1972 को एक उत्तर के सम्बन्ध में यह बताया गया था कि संयंत्र के लिए प्रतिदिन 2000 टन तांबा अयस्क की आवश्यकता होगी और इसके लिए सात खनन खड्डो (स्टोप्स) की आवश्यकता होगी, किन्तु अभी तक केवल एक ही तैयार हो पाया है। यह बड़ा विचित्र लगता है कि वे 8 महीने में 7 खनन खड्डे (स्टोप्स) तैयार कर लेंगे जबकि गत 10 वर्ष में वे केवल एक ही तैयार कर पाये हैं। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि खुदाई-विंग पृथक बनाया जाना चाहिए और खुदाई के सम्बन्ध में एक विशिष्ट योजना तैयार की जानी चाहिए।

हमारे देश में इस्पात के उत्पादन में बहुत अधिक प्रगति की गुंजाइश है। इस सम्बन्ध में नियुक्त की गई विभिन्न समितियों ने सुझाव दिये हैं कि विद्यमान इस्पात संयंत्रों की क्षमता बढ़ाई जाये और नये संयंत्र लगाए जायें। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों नहीं किया जाता। वर्ष 1970 में मांग और उत्पादन में 2 लाख टन का अंतर था जो 1972 में बढ़कर 15 लाख टन हो गया है। अतः दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और अन्य संयंत्रों का विस्तार किया जाना चाहिए। दुर्गापुर में 50 करोड़ रुपये की पूंजी लगाकर उसका विस्तारा किया जाना चाहिए। स्टेनलैस स्टील के विकास की तकनीक अब काफी विकसित हो गई है। अतः इसका विस्तार अवश्य किया जाना चाहिए। इसमें विभिन्न श्रेणियों का 3 लाख टन मिश्रित इस्पात तैयार किया जा सकता है। जहां तक रूरकेला संयंत्र का सम्बन्ध है, उसके उर्वरक एकक में श्री आर० के० खाडिलकर का बोनस फार्मूला लागू नहीं किया गया है, उसे लागू किया जाना चाहिए। बोकारो इस्पात कारखाने का निर्माण-कार्य बोकारो स्थित स्थान पर ही होना चाहिये। उसके अन्यत्र स्थानान्तरण से खर्च में अनावश्यक वृद्धि होगी। भिलाई कारखाने में कतरनों की बिक्री ठेकेदार को नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इसमें संयन्त्र को केवल 50 रुपये प्रति टन की प्राप्ति होती है जबकि ठेकेदार उसे 750 रुपये प्रति टन बेचता है। इन इस्पात संयंत्रों में जो छोटी-मोटी त्रुटियां हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए।

जहां तक राष्ट्रीयकरण का सम्बन्ध है, सभी गैर-सरकारी खानों का राष्ट्रीयकरण तुरन्त किया जाना चाहिए। इक्का-दुक्का खानों के राष्ट्रीयकरण से काम नहीं बनेगा। तलचर स्थित विलियर्स कोयला खान का, जो अब हांडीडारा कोयला खान के नाम से कार्य कर रही है, राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बर्नपुर में भारत सरकार के 52 प्रतिशत शेयर हैं। फिर इस कम्पनी का क्यों न राष्ट्रीयकरण कर लिया जाये।

अन्त में, मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि उड़ीसा में दूसरा इस्पात संयंत्र लगाया जाना चाहिए। यह न केवल राज्य के हित में है बल्कि यह पूरे देश के हित में है। संसद के दोनों सदनों में इस विषय पर कई बार चर्चा हो चुकी है और राज्य सभा में श्री बी० आर० भगत ने एक बार यह आश्वासन दिया था कि चौथी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा के स्थानों पर भी विचार किया जायेगा। अतः मैं श्री मोहन कुमार मंगलम् से अनुरोध करता हूं कि वह कठिनाइयों को पार करते हुए उड़ीसा में दूसरे इस्पात संयंत्र का निर्माण-कार्य आरम्भ करायें।

Shri R. N. Sharma (Dhanbad) : Mr. Chairman, Sir, first of all I would like to congratulate the Government for nationalising 214 collieries in my constituency. The Indian National Mines Workers Federation has demanded that rest of the mines should also be taken over by Government. In respect one thing should be taken notice of. The private mine-owners do not exploit the mine deposits fully. The exploit 30 to 35 per cent of minerals while mines should be exploited to the extent of 70 per cent. In this way they cause loss to the nation. So it is in the national interest that Government should nationalise all mines in the country.

These collieries were taken over six months ago. Now it is being feared that there will be loss of Rs. 3 crores. The Government has advanced the argument that the loss is due to the fact that it has implemented the recommendations of the Wage Board and has paid full wages to the workers.

After nationalisation of collieries a number of additional hands have been employed and they are being paid. There is proposal to increase the wages of those officers, who have been borrowed from National Coal Development Corporarion, Coal Board and other places. There are about 114 welfare officers, yet there is proposal to recruit another 100 to 150 welfare officers. This is all wastage.

The Balwant Rai Mehta Committee recommended that small collieries were economic and should be amalgamated to form bigger collieries. In persuance of Committee's recommendations Government have amalgamated 214 collieries into 24 collieries, but no steps have so far been taken to keep the minimum number of officers. Instead their number is being increased.

The safety measures are not being taken, though rainy season is about to set in and so there is danger of more mines being damaged during rainy season. The main defect in the working of the public undertakings is that the officers incharge of public undertakings employ their own men in large number in the undertakings. Thus with the transfer of these officer incharge all such employees are replaced by the new incumbents and it adversely affects the working and efficiency of the undertakings.

The only reason for losses in the public sector undertakings is that the estimates are prepared in such a manner that the targets are never fulfilled. The targets are fixed too high to be achieved. I read in newspapers that the Heavy Engineering Corporation will eat up its capital within two years. Heavy Electricals, Bhopal has already eaten up its capital. It all due to the fact that the Government has no clear conception about proper functioning of the public undertakings. On the one hand we talk of heavy mechanisation and on the other we talk of more employment opportunities. Thus we are confused about the way of working of these undertakings. With these words I invite the attention of Government to all these points.

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : सभापति महोदय, इस्पात मंत्रालय की प्रमुख समस्याएं हैं—इस्पात का उत्पादन, इस्पात का मूल्य और संगठन । इन पर मंत्रालय के प्रतिवेदन में भी प्रकाश नहीं डाला गया है । जहां उत्पादन का सम्बन्ध हैं, देश में इस्पात का उत्पादन दिन प्रति दिन घटता जा रहा है, जबकि देश में खनिजों की बहुलता है और उसके निकालने के लिए अपेक्षित श्रम-क्षमता भी हमारे यहां उपलब्ध है । मंत्री महोदय को बताना चाहिए कि इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिये उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है । यदि जापान के साथ हम भारत की तुलना करें तो हमें मालूम होगा कि 1948 में जापान में इस्पात का उत्पादन 17 लाख टन था और भारत में 13 लाख टन और अब जापान में 930 लाख टन है जबकि भारत में केवल 63 लाख टन । भारत में इस्पात के उत्पादन में प्रगति क्यों नहीं हुई ? भारत में उत्पादन में वृद्धि के स्थान पर कमी होती जा रही है । रूरकेला दुर्गापुर और भिलाई स्थित सभी कारखानों में इस्पात के उत्पादन में कमी होती जा रही है । अतः निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप उत्पादन करने के लिए हमें सुनियोजित कार्यक्रम तैयार करना चाहिए ।

इस समय सरकारी क्षेत्र के संयंत्रों में क्षमता पूर्ण उपयोग क्यों नहीं हो पा रहा है। मेरे अनुमान के अनुसार रूरकेला में 54.3 प्रतिशत, दुर्गापुर में 56.2 प्रतिशत और भिलाई में 22 प्रतिशत क्षमता अप्रयुक्त पड़ी है। सरकारी क्षेत्र के इस्पात उद्योग में अधिकारियों व श्रमिकों को मंजूरी बहुत अच्छी मिल रही है और वहां का उत्पादन निराशाजनक है।

इस्पात के मूल्य के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि भारतीय इस्पात का मूल्य अधिकतम है। गत तीन वर्षों में इस्पात के मूल्य में 75 रुपये प्रति टन की बृद्धि हो चुकी है। इस वृद्धि से गैर सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों ने लाभ उठाया है जबकि सरकारी क्षेत्र में इससे भी लाभ नहीं उठाया गया है। गैर सरकारी कम्पनियां इस्पात के मूल्यों में एक और वृद्धि के लिए प्रयास कर रही हैं। सरकार की इस मांग के प्रति क्या प्रतिक्रिया है। यदि वृद्धि की जानी है तो सरकार को इस्पात पर आने वाले खर्च, इस्पात के उत्पादन और उसके विवरण आदि के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखना चाहिए।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात उद्योग के लिए सरकार एक नियंत्रक कम्पनी बनाने जा रही है जिसके लिए 4000 करोड़ रुपये की पूंजी स्वीकृत की जा चुकी है। चूंकि यह कम्पनी अपने क्षेत्र की सबसे बड़ी कम्पनी होगी, इसलिए प्रतिवेदन में उसके सम्बन्ध में और अधिक जानकारी दी जानी चाहिए थी। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कार्य को देखते हुए, जोकि भारत की सबसे बड़ी कम्पनी है, सभा को चाहिये कि जब तक हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कार्य में सुधार नहीं होता तब तक इस समवाय के प्रस्ताव का अनुमोदन न करे। सरकार को इस समवाय के प्रस्ताव को स्वीकार करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये। इस बारे में भी संसद को विश्वास में लिया जाना चाहिये। हमें अपनी समूची अर्थ-व्यवस्था के गुण-दोषों को समझना चाहिये और यह भी जानना चाहिये कि इस स्थिति में कम्पनियां किस प्रकार अपना सुधार कर सकती हैं। यह सर्व विदित है कि जब इस्पात की कम सप्लाई हो तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार होता है। उच्च स्तर पर मिलने वाले प्रोत्साहन से भी ऐसा भ्रष्टाचार पैदा होता है।

मिश्रित धातु के उत्पादन में वृद्धि बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हाल ही में हमने 12,000 मीट्रिक टन सिलिकोन का आयात किया है जबकि हिन्दुस्तान स्टील लि० में और अन्य कई संयंत्रों में उच्च किस्म के सिलिकोन का उत्पादन हो रहा है इस सम्बन्ध में क्रयादेश दिये गये थे, वह क्रयादेश रद्द कर दिये हैं और 12,000 मीट्रिक टन सिलिकोन का आयात किया गया है। यह पता नहीं कि सरकार ने यह आयात कैसे करने दिया। 12,000 मीट्रिक टन सिलिकोन के आयात से 8 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी है। यह सी० पी० आई० की जांच का स्पष्ट मामला है। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये तथा शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए।

हमारे देश में इस्पात की प्रति व्यक्ति उपलब्धि विश्व में सब से कम है और इसकी कीमत सबसे अधिक है। यही उचित समय है जब इस्पात मंत्रालय द्वारा एक मूल्य नीति बनाई जानी चाहिये। इस्पात के आवंटन और वितरण के लिए एक समय बद्ध कार्यक्रम बनाया जाना चाहिये। वितरण में विलम्ब न होने की भी गारंटी दी जानी चाहिए। इस समय राष्ट्रीय खनिज विकास निगम तथा हिन्दुस्तान स्टील दो संगठन इस प्रकार के हैं जो इस्पात का आयात करते हैं। इसके लिए केवल एक एजेन्सी बनाई जानी चाहिये और इस्पात के लाइसेंस जारी करने के लिये प्राथमिकता देने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त दृढ़ता पूर्वक लागू किए जाने चाहिए ताकि भ्रष्टाचार के लिये कोई गुंजाइश न रहे।

श्री पी० आर० शिनाय (उदीपी) : मैं इस्पात और खान मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। इस मंत्रालय को संसार की सबसे बड़ी लौह अयस्क परियोजनाओं में से एक परियोजना अर्थात कुदरेमुख लौह अयस्क परियोजना को आरम्भ करने का काम सौंपा गया है। मेरा इसलिये उनसे अनुरोध है कि उनको इस बारे में सावधानी बरतनी चाहिए तथा वहां की जनता के साथ न्याय भी करना चाहिए। यह परियोजना पूरी हो जाने पर प्रतिवर्ष 75 लाख टन की दर से बिक्री योग्य लौह अयस्क का निर्यात करने में समर्थ हो जायगी। अमरीका की मारकीनो निगम और जापान की कम्पनियों के मोर्न ग्रुप के सहयोग से एन० एम० डी० सी० द्वारा इस के बारे में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है। इस प्रतिवेदन में एक महत्वपूर्ण सुझाव यह दिया गया कि कुदरेमुख से लौह-अयस्क को ढ़ाई लाख टनर लगाकर इसे पम्प द्वारा घोल के रूप में निकालकर इसका निर्यात किया जाना चाहिए। इस सुझाव को सीधे ही नामंजूर कर देना चाहिये क्योंकि इसको स्वीकार करने से मंगलौर पत्तन के विकास पर कुप्रभाव पड़ेगा और मंगलौर पत्तन केवल एक मत्स्य ग्रहण पत्तन के रूप में ही रह जायेगा।

इस प्रकार यह परियोजना रोजगारोन्मुख नहीं होगी और इसमें काफी अधिक विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। यदि हम इस प्रतिवेदन की सिफारिश को स्वीकार कर लेते हैं, तो हमें आत्म-निर्भरता के सिद्धान्त को एकदम छोड़ देना पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त पाइपों द्वारा घोल वाले अयस्क को भेजने का पूरा प्रस्ताव ही सम्भवतः आर्थिक विकास की भावना की अपेक्षा जोखिम की भावना पर अधिक आधारित है। इन कारणों को ध्यान में रखते हुए सरकार को कुदरेमुख अयस्क को घोल के रूप में भेजने के प्रस्ताव को छोड़ देना चाहिए।

Shri Damodar Pandey (Hazaribagh) : The hon. Minister deserves to all the congratulations for nationalising 214 coaking coal mines, Cooper Corporation and Asian Refractories within a short period of one year. At the same time there are some other works which remain to be done. Although one lakh coal miners have been covered by this nationalisation, yet about two lakhs of them have not been given this benefit. They are still waiting for the take-over of these mines which have been left in private hands.

Only half of the total coal production is in the hands of Government. In the near future, the demand for coal will almost be doubled and, therefore, Government should take effective steps so as to meet this growing demand for a vital product. Coal mine owners in the private sector are apprehensive that their mines will be taken over by the Government, they are not investing money and they are trying to extract as much coal as possible in the shortest possible time. Government should intervene and stop this open loot by coal miners.

Public sector is suffering huge losses because of faulty planning by the Government. The N. C. D. C. has established three washries at a cost of Rs. 30 crores. They are not even utilising 2 percent of their capacity. Similarly Girdih and Ramgarh projects are running at losses. A number of costly machines imported from foreign countries are lying idle. Government should look into it.

Mr. Chairman : This is half past six now. Hon. member may continue tomorrow.

इसके पश्चात् लोक-सभा बृहस्पतिवार 4 मई, 1972/14 वैशाख, 1894 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Thursday, May 4, 1972/Vaisakha 14, 1894 (Saka).